महानगर नई दिल्ली रविवार 21 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (14+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

ब्रिटेन का तेल टैंकर जब्त किया ईरान ने

चालक दल के 23 लोग फंसे, इनमें 18 भारतीय शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

ईरान ने हरमूज जलडमरूमध्य में ब्रिटिश तेल टैंकर को पकड़ा है, जिसके चालक दल के 23 सदस्यों में कप्तान समेत 18 लोग भारतीय नागरिक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि तेल टैंकर को पकड़े जाने के बाद उसमें सवार भारतीयों की सुरक्षित रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए वह ईरान के संपर्क में है।

खाड़ी क्षेत्र में ईरान के 'इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर' ने दो तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लिया है। एक टैंकर ब्रिटेन का है और दूसरा लाइबेरिया का। ब्रिटिश तेल टैंकर पर मौजूद भारतीय चालक दल के सदस्यों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि तेहरान स्थित हमारा दूतावास ईरान की सरकार के साथ संपर्क में है, जिससे भारतीय जल्द से जल्द स्वदेश आ सकें। लंदन से मिली खबर के मुताबिक इंग्लैंड के विदेश विभाग ने वहां शनिवार को ईरान के चार्ज डी अफेयर्स (प्रभारी राजदूत) को समन किया है। यूरोपीय शक्तियों ने ईरान से अनुरोध किया है कि वे सभी ब्रिटिश जहाज को छोड़ दें।

ईरान की फौज ने मछली पकड़ने वाली

'स्टेना इंपेरो' के चालक दल के सदस्यों में कप्तान सहित 18 लोग भारतीय हैं और इनके अलावा रूस, लातविया और फिलीपींस के पांच नागरिक शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए बातचीत शुरू की

ब्रिटेन ने शनिवार को अपने जहाजों को कुछ समय तक होरमुज के रास्ते से नहीं गुजरने की सलाह दी

लाइबेरिया का भी एक तेल टैंकर ईरान के कब्जे में

अपने देश की एक नौका से ब्रिटिश टैंकर की टक्कर के बाद **बाकी पेज 8 पर**

सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया अमरिंदर सिंह ने

चंडीगढ़, 20 जुलाई (भाषा)।

नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनका 'एक पंक्ति' का इस्तीफा शनिवार को स्वीकार कर लिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने सिद्धू का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को भेज दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को दिल्ली से लौटने के बाद पिछले दो दिनों से अस्वस्थ चल रहे अमरिंदर ने शनिवार सुबह इस्तीफा पत्र देखा। उन्होंने बताया कि पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी हुई थी और इस्तीफा देने का कोई स्पष्टीकरण या वजह नहीं बताई गई।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा

कैप्टन के अनुसार पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी हुई थी और इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई

मुख्यमंत्री ने छह जून को सिद्धू से स्थानीय सरकार और पर्यटन एवं संस्कृति मामलों का विभाग ले लिया था और उन्हें बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग दे दिया था।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसे समय में सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया है जब मीडिया में अटकलें लगी रही थी कि कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे को हल करने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया। सिद्धू (55) का मुख्यमंत्री से टकराव चल रहा था और उन्हें छह जून को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में अहम मंत्रालयों से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री ने छह जून को सिद्धू से स्थानीय सरकार और पर्यटन एवं संस्कृति मामलों का विभाग ले लिया था और उन्हें बिजली तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग दे दिया था।

सिद्धू के अलावा अन्य मंत्रियों के विभाग भी बदले गए थे। एक महीने से ज्यादा समय से सिद्धू द्वारा बिजली विभाग का कार्यभार संभालने से इनकार करना भी कांग्रेस के लिए 'शर्मिंदगी' की बात बन गई थी। विपक्षी दल राज्य में अमरिंदर के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला कर रहे हैं। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने 14 जुलाई को **बाकी पेज 8 पर**

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित नहीं रहीं। उनका शनिवार को निधन हो गया। वे 81 साल की थीं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि दीक्षित पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। उन्हें शुक्रवार की सुबह सीने में जकड़न की शिकायत के बाद फोर्टिस-एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां दोपहर बाद तीन बजकर 55 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित तमाम बड़े नेता उनके पार्थिव शरीर के दर्शन को उनके घर पहुंचे। रविवार को दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और दूसरे दलों के नेताओं के भी मौजूद होने की संभावना है। उनका पार्थिव शरीर शनिवार शाम छह बजे से निजामुद्दीन स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जहां प्रमुख राजनेताओं और आम लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है।

शीला दीक्षित 1998 से 2013 के बीच 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। दिल्ली में पार्टी को फिर से **बाकी पेज 8 पर**

स्मृति शेष : 31 मार्च 1938 - 20 जुलाई 2019

उनका पार्थिव शरीर निजामुद्दीन स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया जहां प्रमुख राजनेता और बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे। रविवार को दोपहर 2:30 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

फोटो : अरुष चोपड़ा

वरिष्ठ राजनीतिक शख्सियत श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ।
– राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

शीला दीक्षित जी के निधन से बेहद दुखी हूं। एक ऊर्जावान और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मैं शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। वे कांग्रेस पार्टी की प्रिय बेटी थीं जिनके साथ मेरा नजदीकी रिश्ता रहा।
– राहुल गांधी

मोर चोरी का आरोप

ग्रामीणों ने बुजुर्ग को पीट-पीटकर मार डाला

नीमच (मप्र), 20 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में मोर चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 58 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी।

जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर ने बताया कि शुक्रवार रात को लसूड़ी आंतरी गांव में मोर चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक दलित व्यक्ति हीरालाल बांछड़ा की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सगर ने बताया कि चार लोग जब मोर चुरा कर भाग रहे थे तब ग्रामीणों ने इनका पीछा किया और हीरालाल को पकड़ लिया, जबकि तीन लोग मौके से भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने हीरालाल की पिटाई कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हीरालाल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। सगर ने बताया कि गांव में चोरी की वारदात के अंदेशे में यह हत्या हुई है, जबकि मृतक के पास से मरे हुए चार मोर भी मिले हैं।

एसपी ने बताया कि हीरालाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, इनमें से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी ने बताया पुलिस ने मोर चोरी के मामले में मृतक हीरालाल सहित चार लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है।

आनंदीबेन यूपी और धनखड़ बंगाल के राज्यपाल नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

सरकार ने शनिवार को चार राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए, जबकि दो राज्यपालों का तबादला कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील और पूर्व सांसद जगदीप धनखड़ को राजनीतिक रूप से अशांत पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

1990-91 में संसदीय मामलों के केंद्रीय उप मंत्री रहे धनखड़ (68) ने 2003 में कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा के सदस्य बन गए थे। वे केशरीनाथ त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले सप्ताह के अंत में समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मध्य प्रदेश की राज्यपाल 77 वर्षीय आनंदीबेन पटेल **बाकी पेज 8 पर**

वरिष्ठ भाजपा नेता लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है

आनंदीबेन पटेल ने पिछले साल मप्र के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था

जनसत्ता बारादरी

झारखंड में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन तो हैं लेकिन उसकी कमाई दूसरे राज्यों में चली जाती है। उनसे विस्तृत बातचीत पढ़ें **पेज 7 पर**

हरियाणा की गायें अब जनेंगी केवल बछड़ियां

चंडीगढ़, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा में बछड़ों अथवा नंदी के कारण होने वाला फसलों का नुकसान तथा सड़क हादसों में अब कमी आएगी। प्रदेश की गायें अब बछड़ों की बजाए केवल बछड़ियां ही पैदा करेंगी। पशुपालन विभाग ने इसका सफल ट्रायल करने के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अब हरियाणा की गाय कृत्रिम गर्भधारण की मदद से केवल बछड़ियां ही पैदा करेंगी।

हरियाणा में नंदी अथवा बछड़े लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन बछड़ों के कारण न केवल आए दिन हादसे हो रहे हैं बल्कि बछड़ों द्वारा फसलों को भी उजाड़ा जा रहा है। कुछ समय पहले तक किसानों द्वारा इन्हें खेतों अथवा अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब ज्यादातर किसानों द्वारा ट्रैक्टर आदि के माध्यम से ही खेती की जा रही है।

पशुपालकों द्वारा एक आयु सीमा के बाद इन बछड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है। हालांकि मौजूदा सरकार ने कुछ समय पहले इन बछड़ों की समस्या के समाधान हेतु इन्हें मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र समेत उन राज्यों में भेजने की भी योजना बनाई थी, जहां आज भी खेती में इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। इस दौरान सरकार ने कृत्रिम गर्भधारण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि गायों द्वारा अब केवल बछड़ियों को ही जन्म दिया जाए। सरकार ने **बाकी पेज 8 पर**

12000
गायों का करवाया गया कृत्रिम गर्भधारण

पशुपालकों को सबसिडी पर मिलेंगे देशी-विदेशी नस्ल के सीमन

हरियाणा में नंदी अथवा बछड़े लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन बछड़ों के कारण न केवल आए दिन हादसे हो रहे हैं बल्कि बछड़ों द्वारा फसलों को भी उजाड़ा जा रहा है।

ट्रक से टकराई कार, नौ विद्यार्थियों की मौत

पुणे, 20 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण कार में सवार नौ विद्यार्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा कदमवक बस्ती के समीप रात करीब डेढ़ बजे हुआ।

लोनी कलभोर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सूरज बंडगार ने कहा कि जिन लोगों की इस हादसे में जान गई वे पुणे जिले के यावत के निवासी थे। उनकी उम्र 19-23 वर्ष के बीच थी। वे रायगढ़ से अपने गृहनगर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कार तेज रफ्तार से चल रही थी। कदमवक बस्ती के पास पहुंचने पर ड्राइवर कार पर से नियंत्रण गंवा बैठा और वह पहले डिवाइडर से टकराई फिर राजमार्ग की दूसरी तरफ जाकर ट्रक से टकरा गई। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि यह हादसा तेज रफ्तार और ड्राइवर के गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठने की वजह से हुआ।

महाराष्ट्र में पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर हुआ हादसा

मारे गए छात्रों की उम्र 19-23 वर्ष के बीच

बंडगार के मुताबिक कार कुछ मिनट पहले एक टोलप्लाजा **बाकी पेज 8 पर**

चुनार गेस्ट हाउस में 26 घंटे चला प्रियंका का धरना समाप्त | **सोनभद्र कांड** | **पीड़ितों से मिलने के बाद कहा, हमारा मकसद पूरा हो गया**

पीड़ितों से मिलकर छलक पड़ीं प्रियंका की आंखें

मिर्जापुर/लखनऊ, 20 जुलाई (जनसत्ता/ भाषा)।

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और जिला प्रशासन के बीच सोनभद्र कांड को लेकर जारी अवरोध को खुद पीड़ित के परिजनों ने समाप्त कराया। पीड़ित के परिजन अपने साधन से प्रियंका से मिलने आ गए। उनके पहुंचने के बाद दोनों ओर से जारी गतिरोध खुद ब खुद खत्म हो गया। इस तरह मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में 26 घंटे जारी प्रियंका गांधी का धरना भी समाप्त हो गया। धरना समाप्ति की घोषणा खुद प्रियंका ने की और कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। उन्होंने पीड़ितों की पांच सूत्रीय मांग को प्रदेश सरकार से पूरा कराने के लिए संघर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में उस समय भावपूर्ण दृश्य उपस्थित हो गया, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पर अपने आंसू नहीं रोक पाईं। इस दृश्य को देख वहां उपस्थित कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका ने अपने से लिपट कर रो रहीं महिलाओं के आंसू खुद पोंछे और उन्हें पानी पिलाया। हालांकि घोरावल उम्मा गांव के सभी पीड़ितों के परिजन यहां नहीं आ पाए थे।

प्रियंका ने पीड़ितों के परिजनों के साथ घंटों समय बिताया और हरेक से उनकी पीड़ा सुनी। प्रियंका से मिलकर परिजन भी काफी आश्वस्त नजर आए। उनके चेहरे पर संतोष का भाव स्पष्ट दिख रहा था। प्रियंका ने उनके पक्ष में मीडिया से भी बात की। उन्होंने मृतक के परिवारों को दस-दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। धरना समाप्त कर प्रियंका वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गईं।

इससे पहले, चुनार में शनिवार को भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था। प्रियंका ने परिजनों से मिलने की जिद पर अड़ी थीं तो प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भला हो पीड़ितों का जिन्होंने खुद आ कर मामला संभाल लिया। हालांकि पुलिस प्रशासन उनको **बाकी पेज 8 पर**

मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में उस समय भावपूर्ण दृश्य उपस्थित हो गया, जब प्रियंका गांधी सोनभद्र में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पर अपने आंसू नहीं रोक पाईं।

हम डरने वाले नहीं : राहुल

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि चुनार गेस्ट हाउस में बिजली-पानी की आपूर्ति रोकना लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है लेकिन उनकी पार्टी **बाकी पेज 8 पर**

रविवारी

21 जुलाई, 2019

हादसों की सड़क

सड़कें देश के विकास का पैमाना मानी जाती हैं। अच्छी सड़कें यातायात और माल ढुलाई में सुगमता लाती हैं। पर यही सड़कें अब हादसों का सबब बन रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बता रही हैं नाज खान।

- **कविताएं**/ शरद रंजन शरद • **कहानी**/ हरि मोहन • **ललित प्रसंग**/ सुरेश सेठ • **संस्कृति**/ चंद्र त्रिखा • **शख्सियत**/ बिमल रॉय • **दाना-पानी**/ मानस मनोहर • **सेहत**/ रविवारी डेस्क

फैशन में झोला • अनीता सहरावत

• **कविता**/ सुनील भट्ट • **कहानी**/ विप्रम

कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं जल पुलिस के जवान

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 20 जुलाई।

ऋषिकेश और हरिद्वार में आजकल चारों ओर गंगा घाटों के किनारे कांवड़िए विशाल कावड़ लेकर नजर आ रहे हैं। कांवड़िए हर की पैड़ी हरिद्वार और आसपास के घाटों से गंगाजल भरकर अपने-अपने गांव और शहरों में शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। गंगा घाटों पर स्नान भी करते हैं। स्नान के चक्कर में कई बार पैर फिसलने से या गंगा के तेज बहाव की वजह से वह गंगा में डूब जाते हैं। कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाने के लिए कांवड़ मेला क्षेत्र में गंगा घाटों पर 100 से ज्यादा जल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हर की पैड़ी कांगड़ा घाट एललितारो पुल घाट पर तैनात जल पुलिस के जवान रात-दिन कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। गंगा में डूबते कांवड़ियों के लिए जल पुलिस के जवान देवदूत से कम नहीं हैं, जो उनकी जान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाते हैं।

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अशोक कुमार ने बताया कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से लेकर रुड़की हरिद्वार के गंगा घाटों तक 100 से ज्यादा जल पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जो रात-दिन कांवड़ियों पर निगाहें रखती हैं। हमने विभिन्न घाटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। इसके बाद भी कांवड़िए इन चेतावनी बोर्डों की उपेक्षा कर गंगा में डुबकी लगाने लगते हैं और उन्हें बचाने का काम हमारी जल पुलिस करती है।

जल पुलिस के जवान सनी कुमार ने पिछले तीन दिनों में छह से ज्यादा कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया है। उनका कहना है कि यह काम पुण्य का है। जब कांवड़ियों को हम गंगा में डूबने से बचाते हैं तो कांवड़िए हमें धन्यवाद देते हैं। सनी कुमार पिछले चार साल से कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर ड्यूटी कर रहे हैं। चार सालों में वे अब तक डेढ़ सौ से ज्यादा कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुके हैं। वह कहते हैं कि हम किसी को बचा रहे हैं, उसे नया जीवन मिल रहा है। यह पुण्य का कार्य है।

जल पुलिस के हेड कांस्टेबल अतुल सिंह का कहना है कि हम लोगों ने गंगा घाटों पर जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, पर कांवड़िए इन बोर्डों के बावजूद खतरे वाले गंगा घाटों पर डुबकी जाने चले जाते हैं और गंगा में तेज भाव के चलते डूबने लगते हैं। हमारे जवान तुरंत गंगा में कूदकर उन्हें बचाते हैं। हम ड्यूटी के साथ-साथ गंगा मैया की सेवा भी कर लेते हैं। किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। इस तरह हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर जल पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ-साथ पुण्य कार्य में भी लगी हुई है। कावड़ियों के जीवन की रक्षा में अपनी जान जोखिम में डाल रही है, इस तरह उत्तराखंड की पुलिस का यह मानवीय चेहरा हरिद्वार की गंगा घाटों पर देखने को आपको मिल जाएगा।

राजनाथ ने करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर, 20 जुलाई (भाषा)।

'ऑपरेशन विजय' के 20 साल होने पर शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के करगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को जम्मू-कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। करगिल का दौरे पर आए रक्षा मंत्री कठुआ के उझ और सांबा जिले के बसंतर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए दो पुलों को राष्ट्र को सर्मिपत करेंगे।

श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया, 'रक्षा मंत्री ने करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों की याद में माल्यार्पण किया। शहीदों के सम्मान में एक मिनट का मौन भी रखा गया।' उन्होंने बताया कि बाद में सिंह द्रास के युद्ध स्मारक परिसर में स्थित वीर भूमि और 'हट ऑफ रिमेमब्रेंस' में भी गए ।

कालिया ने बताया कि रक्षा मंत्री को 'ऑपरेशन विजय' और द्रास, करगिल तथा बटालिक सेक्टरों में दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सैनिकों की कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। सिंह के साथ केंद्रीय मंत्रीय जितेंद्र सिंह और सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी थे।।

लोहे की छड़ से वार कर बुजुर्ग पिता की हत्या, आरोपी फरार

अकोला, 20 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक शख्स ने किसी वित्तीय विवाद के चलते 65 वर्षीय अपने पिता की शनिवार को कथित रूप से जान ले ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना कांशीवनी गांव में हुई। उन्होंने बताया कि चंदू राउत ने अपने पिता नामदेव राउत के सिर पर लोहे की छड़ से वार किया। तब वह सो रहे थे।

बोरगांव मंजू थाने के इंस्पेक्टर हरीश गवली ने बताया कि मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस घटना से कुछ घंटे पहले पिता और पुत्र के बीच किसी वित्तीय विवाद को लेकर बहस हुई थी।

'कांग्रेस सरकार किसानों को ऋण वसूली के लिए भेज रही है नोटिस'

भोपाल, 20 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों का दो लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने के वचन के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानों को ऋण वसूली और जब्ती नोटिस भेज रही है। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि प्रदेश में पिछले छह महीनों के दौरान 71 किसानों ने आत्महत्या की है। यह मुद्दा विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने प्रदेश सरकार की चल रही जय किसान ऋण माफी योजना से संबंधित एक प्रश्न के जरिए उठाया।

भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने दावा किया कि राज्य में किसान को कृषि ऋण के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। भार्गव ने किसानों को दी जाने वाली नोटिस को सदन में पढ़ते हुए कहा कि हर जिले में बहुत से किसानों को अलग-अलग बैंकों से वसूली और जब्ती के नोटिस मिल रहे हैं। विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि किसानों के ट्रैक्टर, घर और अन्य संपत्ति को डिफॉल्टर बता कर जब्त किया जा रहा है, जबकि उन्हें ऋण माफी का लाभ देने का वादा किया गया था।

भार्गव ने विधानसभा में प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के हवाले से कहा कि प्रदेश में पिछले छह महीनों के दौरान 71 किसानों ने आत्महत्या की है।

अपहरण गिरोह का मुखिया गिरफ्तार

जयपुर, 20 जुलाई (भाषा)।

पुलिस ने फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करने वाले गिरोह के मुखिया सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो लोगों को मुंबई से, जबकि दो अन्य को यहां से गिरफ्तार किया गया है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Teena Somal W/o Akhilesh Rathore R/o-I-101,Windsor Park,Indirapuram,Ghaziabad, U.P.,have changed my name to Teena Rathore after marriage for all future purposes. 0040504056-4

I, Nitin Jain S/o Subhash Chand Jain R/Of-166, 2nd Floor, Sarvodya Enclave Malviya Nagar, Delhi-17, have Changed the name of my minor daughter (4.10.2011) Dhvani Jain to Pranavi N Jain for all Purposes. 0040504129-4

I, Naveen S/o Sh. Mohan Lal R/o-Guru Nanak Marg RZF-1064 Raj Nagar-II Palam Colony New Delhi, inform that my 10th & 12th class certificate my father name wrongly written as Mohan instead of Mohan Lal. 0040504129-1

I, Gaurav Kumar S/O Dharmveer Singh ,R/O 139, Mohalla-Pragtipuram , Mursan Road , Sadabad ,Hathras, Uttar Pradesh-281306 , have changed my name to Gaurav Chaudhary. 0070665845-1

I, hitherto Known as Bunty Bansal wife of Mr. Deepak Jain residing at H-34/151, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085, India, have changed my name and shall hereafter be known as ANUSHKA JAIN. I am changing my name only, not my religion. 0040504025-1

I, Vikas Sisodiya S/o Prem Pal Shishodiya R/o H.No.D-48, Gali No.6, Bhagirathi Vihar, Delhi-110094 have changed my name to Vikas Shishodiya. 0040504052-1

I, Vanna Prakash Khatri D/o Prakash Khatri W/o Rohit Talra R/o-E-20 Guru-Nanak Marg, Adarsh-Nagar Delhi-110033.have changed my name to Jia Talra. 0040504093-2

I, Vandana Aggarwal W/o Nitin Singhal R/o 1007-B, Tower-2,Panchsheel Wellington, Crossing Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Vandana Singhal. 0040504056-3

I, Sunil Singhal S/o Sh.Yogesh Kumar R/o H.No. 8-E, Kamla Nagar, Delhi-110007, have changed the name of my minor son from Anurag Singhal to Yuvraj Singhal for all purposes. 0040504016-3

I, Sulochana Verma, W/O Sh.Rajesh Kumar R/O-Rz-26p/192, Gali No.39/3, Indra-Park, Palam-Colony, New Delhi-45. Have Rectify My Name On My Son's School Records From Reena To Sulochana Verma,For All Future Purposes. 0040504073-4

I, Sonia Kukreja D/o Lal Krishan Kukreja R/o-H-33/85 Sector-3, Rohini Delhi-85. have changed my name to Sonia for all purposes. 0040504073-1

I, Shajat Kataria S/o Ravinder Kataria D/o Dhara Singh R/o H.No. 123, Hewo Apartments, Sector-15-II, Gurugram informs that I have changed my name to Shajet Katarria for all purposes. 0040504091-1

I, Safur Rheem S/o Umar Farukh R/o 878/7, Flat No.101, Ist Floor, Jaga Bai Extn., Jamia Nagar, New Delhi-110025, have changed my name to Saifur Raheem for all purposes. 0040504016-2

I, Ramandeep Singh Verdi S/o Paramjit Singh Verdi R/o-Wz-238/88, West-Block, Gali No.2, Vishnu-Garden, Delhi-18,Changed My Name To Ramandeep Singh Virdi. 0040504073-5

I, Prerna Rattan Lal Garg W/o Manish Jain R/o A-136, Prashant Vihar, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Prerna Garg for all purposes. 0040504071-1

I, Naveet Kaur W/O Jagmohan Singh Virk, R/O-B-1878, Shastri Nagar Delhi-52, Change My Name To Navneet Kaur Virk. 0040504073-7

I, Payal Manaktala W/O Mahesh Mongia R/O-77, Rps Colony-Khanpur Dr.Ambedkar -Nagar New Delhi-1100632. Have Changed My Name To Payal Mongia After Marriage. 0040504064-2

I, Paramjit Singh Verdi S/O Dharam Singh R/O-Wz-238/88, West-Block, Gali No.2, Vishnu Garden, Delhi-18, Changed My Name To Paramjit Singh. 0040504073-8

I, Panyam Hymavathi W/O No-14444068l Hav Kanaka Murali R/O-Vill-Siddanakitchayapalle, Po-Kalavakunta, Teh-Porumamilla, Distt-Cuddapah, (A.P.)-516505,Have Changed My Name From Panyam Hymavathi To Kanaka Hymavathi,For All Future Purpose. 0040504064-4

I Ashma Tomer, H.N.1 Yamaha Vihar Sec 49 Noida, By mistake my last name is not added in my daughter (Meemansa) school documents and Birth certificate. I added my last name also as ASHMA TOMER in place of Ashma vide affidavit 20.07.2019 NCT Noida 0040504046-1

व्यक्तिगत

I, Oomman Varughese S/o Pannackel Chandy Varghese R/o 151-D, Pocket A-2,LIG flats, Mayur Vihar, Phase-3, Delhi-110096, have changed my name to Oommen Varghese for all future purposes. 0040504054-1

I, Nishant Kumar Gupta S/o Ashok Gupta R/o 1708-A, Tower-2B,Panchsheel Wellington, Crossing Republic,Ghaziabad, UP-201016,have changed my name to Nishant Gupta. 0040504056-1

I, N Baleshwari W/O 15394802l Hav N Chinna Swamy R/O-10-4-1/1/C, Sriram-Colony, Po-Yenugonda, Distt&Teh-Mahabub-Nagar, (TELANGANA)-509001, In My Husband's Service Record My Date-Of-Birth Wrongly Mention As 16/05/1983 Instead Of 16/07/1984. 0040504064-3

I, Mohammed Yameen S/o Mohammad Hafiz R/o-3/A-196 Chungi No.-2 Lal Kuan, Delhi-110044, have changed name to Yamin Malik. 0040504064-1

I, Mankan Deep Singh S/o Sh.Balbir Singh Bammi R/o-WZ-231A, Plot.No-VB-27, Second floor Gali.No-1, Virender Nagar Delhi-110058, have Changed my name to Deep Singh Bammi 0040504013-1

I, Manish Chhabra S/o Ashok Chhabra R/o T-9-1708, RPS Savana-Society, Sector-88, Faridabad, Haryana-121001. have changed my name to Munish Kumar. 0040504064-8

I, Mamta Devi W/o Darshan Lal R/o A-1/70, Sultanpuri, Delhi-110086, have changed the name of my minor son from Mohit Kumar to Mohit Lal for all purposes. 0040504074-1

I, Lakshya S/O Prabhmeet Singh R/O-1/212/3a, Sadar-Bazar, Delhi-Cantt-110010, Have Changed My Name From Lakshya To Lakshay Singh For All Future Purpose. 0040504064-6

I, Km. Rajesh W/O Sukhbir Singh R/O-S-170/216, Jhuggi-Jharera-Village, Delhi-Cantt, New Delhi-110010. Changed My Name To Rajesh Devi. 0040504093-3

I, Kawaljeet Kaur D/O Trilochan Singh W/o Dhanwant Singh R/O-WZ-766, Plot No.15, Vishnu-Garden, New Delhi-110018, have changed my name to Harpreet Kaur. 0040504093-5

I, Jairaj Vikal S/o Dinesh R/o H.No. 788, Sector 29, Faridabad have changed my name to Jairaj. 0040504064-10

I, Jagmohan Singh, S/O Harbhajan Singh R/O-B-1878, Shastri Nagar Delhi-52, Change My Name To Jagmohan Singh Virk. 0040504073-6

I, Ic-67758x Lt/Col Sameer Bansal,S/O Faqir Chand Bansal, R/O-289, Salaria Officers-Enclave, Sec-21 Dwarka, Delhi-110077,Have Changed My Minor Daughter Name, From Geet Bansal To Heer Bansal, For All Future Purposes. 0040504064-7

I, Hemant Sharma S/o Sh.Ved Prakash Sharma R/o H.No.50, Jain Colony Part-1, Matiyala, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed the name of my minor daughter from Lovika @ Lavika Sharma @ Anaya Sharma to Anaya Sharma for all purposes. 0040504016-1

I, Harmeet Singh Kohli S/o Onkar Singh R/o-T-510/C-52/2A, Gali.No.2, Baljeet-Nagar, New Delhi-110008.have changed my name to Harmeet Singh for all future purposes. 0040504073-3

I, Estuti, D/O Upendra Dutt Shukla R/O-1705/4, Govind Puri-Extension, Kalka Ji, New Delhi-110019,Have Changed My Name From Estuti To Estuti Shukla, For All Future Purpose. 0040504064-5

I, Dimple R/O, 64/A Om Vihar PH-3 Hastsal New Delhi 110059 Have Changed My Name To Dimple Sharma. 0070665850-1

I, Deepansu Anand S/O Yash Pal Anand R/O Wz-2361, 1st-Floor, Raja-Park, Shakur-Basti, Delhi-110034. Changed My Name To Deepanshu Anand. 0040504093-4

I, Deepak Verma Father of Soham R/o H.No.27/4,First Floor, Ward.No.1,Mehrauli (Near Mother Dairy),New Delhi-110030,have changed my son's name to Soham Verma. 0040504056-2

I, Avinish Katara W/o Yogesh Kumar Katara R/o 2/62, Jangpura A, Defence Colony Delhi-110014, have changed my name to Avinash Katara for all purposes. Also I inform that my father and mother name is wrongly written in my passport as Sham Dat Sharma and Muni Devi Sharma instead of Shyam Dutt Sharma and Munni Devi Sharma respectively. 0040504021-1

I, Geetika Bhatia W/o Munish Kumar R/o T-9-1708, RPS Savana-Society, Sector-88, Faridabad, Haryana-121001. have changed my name to Geetika. 0040504064-9

I ARMY NO.4083768K NK/WM Sunny Kumar H.NO.D1/51A Sita Puri Part-1 Near Shiv Mandir South West Delhi-110045 Changed my minor daughter name from Miss Navya to M.Navya 0040504081-2

I, Arman Chaudhary S/o Dhara Singh R/o A-12, Freedom Fighter Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi-110068, informs that I have changed my Son's name to Arrman Chaudhry for all purposes. 0040504079-1

I, Aprajita W/o Shri Lalit Sharma R/o-H.No.14/343, Gali.No.1, Dayanand Nagar, Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507, have changed my name to Aprajita Sharma. 0040504129-2

I, Anita Kumari W/o Mr.Nitesh Kumar R/o-Vill-Kapriwas, Po-Hero Honda, Distt-Rewari, Haryana,have changed my name to Anita for all future purposes. 0040504129-3

I, Akanksha Chaudhary w/o Shajat Kataria D/o Dhara Singh R/o H.No. 123, Hewo Apartments, Sector-15-II, Gurugram inform that I have changed my name to Aknksha Chaudary for all purposes. 0040504087-1

I Sunilkumar Vinod Bhai Patel S/O, Vinodbhai Patel R/o Swaminarayan Akshardham Mandir, Noida mor, Delhi-110092 have changed my name to Sunil Kumar Patel for all purposes. 0040504093-1

I Sunil Kumar Jain S/o Kapoor Chand Jain, R/oH.No.4/1639, Mahavir-Block, Bhola Nath-Nagar, Shahdra, Delhi.have changed my name to Sunil Jain. 0040504073-2

I Satish Kumar S/O Bansi Lal Vohra R/O.396, four storey-flats, near Vishal-Market, Tagore-garden, New Delhi-110027. have changed my name to Satish Vohra for all purposes. 0040504073-9

I Sabina Singh Shrestha W/o Rakesh Murjani D/o Binod Man Singh Shrestha R/o Jyatha 27 kathmandu Nepal 44600 Permanently residing at H-3/14 Ground Floor Shri hari Rohini Sector-18 Delhi-110085 have changed my name after marriage from Sabina Singh Shrestha to Jaanvi Murjani for all purposes. 0040504024-1

I Manoj Kumar Vohra S/O. J.K.Vohra R/O.WZ-173/G, gali no.16, Hari-Nagar, New Delhi-110058.have changed my name to Manoj Vohra for all purposes. 0040504073-10

I ARMY NO.4083768K NK/WM Sunny Kumar H.NO.D1/51A Sita Puri Part-1 Near Shiv Mandir South West Delhi-110045 Changed my minor daughter name from KM Yogitha to Yogita 0040504081-1

I, Yarsi Devi W/o Mamraj Khanna H.No.C-251, Chanadan Vihar, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi-41 in my son's education document my name wrongly mentioned Sharda Khanna my correct name is Gyarsi Devi both are same person. 0040503597-6

I, Usha Devi w/o Satish kumar Bhatti H.no-2064, street no.161, Ganesh pura-B, tri nagar delhi-35 have changed my name to Usha. 0040503942-2

ANNEXURE - II
Newspaper Advertisement
For Change Of Name (Spouse)
(For Change Of Name Of Widows Of Deceased Soldiers & Change Of Name Of Wives Of Veterans And Serving Soldiers)

I, Sarita Tilotia spouse of Pradeep Kumar R/o Village Chudela, Post + The - Jhunjhunu, District : Jhunjhunu State - Rajasthan - 333001 Have Changed My Name From Sarita Tilotia To Sarita Fogat Vide Affidavit Dated-12/07/2019 Before Pitam Pura, Delhi.

संपत्ति

CLASSIFIED

FOR SALE

7 (Seven) Cottah land with12000 sq.ft. G 4 Commercial Plan Fix Price 10.60 Crore behind 105 Park St. Varun 9830374633 50151816

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Matru Lal son of Shri Khadag Singh and Smt. Leela wife of Shri Matru Lal Bothresidents of C-14, Vandana Vihar, Nangloi Jat, Nangloi, Delhi-110041 Do hereby have debarred/disowned and disinherited their son namely Yogesh and his wife Smt. Renu alongwith their children namely Mis. Sudha aged 11 years and master Dipanshu aged 9 years from their moveable and immoveable properties for all purposes as well as severe their relations with their son Yogesh, daughter-in-law Smt. Renu, grand daughter Sudha and grand son Dipanshu. My clients have no control over their said son Yogesh and his wife Smt. Ranu. Anybody who deals with them shall be doing so at their own risks and consequences and my clients shall not be responsible for any of their acts, deeds, omissions and commission.
Divakar Sharma (Advocate)
Ch.No.517-A, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that our client is entering in to an Agreement to purchase with Smt. Amita Batra and Shri Yogesh Batra, for Property being: 6 First Floor, Nizamuddin East Market, New Delhi-110013, upon representation from the seller that they are the exclusive and rightful owner of the said property and the same is free from all kind of encumbrance(s) whatsoever, including prior sale, mortgage, lien, charge, litigation, attachment, court decree etc. If anyone amongst the public has any right, title, any interest, claim or demand in, or to the said property, the same should be notified to us at the address given below with documentary proof within 15 (fifteen) days hereof, failing which, all claims and demands shall be treated as waived and not binding on our client.
Justitia Law Offices
Gorang Goyal, Advocate
B-147, LGF, Lajpat Nagar-1,
New Delhi-110024
M: +91-9045188393, 9650410577
Ph: 011-29815063; 41715555
Email: admin@justitialaw.com
justitia20@gmail.com

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate andMarksheet of Class-10th, year2013, Roll-No.8199925 &class12th, year2015, Roll No.9722292 issued by CBSE has been lost. Atul Pratap Singh R/o.Wz-1067, Nangal-Raya, New Delhi-110094. Founder Pls Contact-8287882855 0040504093-8

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate/ Marksheet of main secondary, examination of Class –X,Year 2017, Roll No. 8325546 issued by CBSE has been actually lost. Ashu Rathore, S/o-Lal Bahadur Rathore ,R/o A-1/9, Gali No. 15, Gaurav Nagar-II, Prem Nagar-III, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086. 0040504093-7

Lost my Original Booking Receipt Issued by TDI infrastructure Ltd. having Customer ID-KFL-15585 in the name of Sita Aggarwal R/o 360/15, Churu Wala Gali, D.N.College Road, Hissar, Haryana. Online FIR has been lodged Vide-LR No.1282930/2019. 0040504075-1

Lost original Lease Deed of property No.2B/3, Ramesh Nagar, New Delhi-110015, in the name of Sohan Lal. Finder contact Desraj s/o Sohan Lal. 0040504083-1

I, Chander Bhushan S/o Jagdish Mitter Aggarwal R/o Gopal Nagar BTL PSOC City Batala, Punjab have lost Conveyance Deed File No. 505 (408) 95 ESH/NA Delhi Development Authority, this deed jointly in name of Manisha Aggarwal W/o Chander Bhushan, somewhere. If anybody found, please contact on above address. 0040504027-1

I, Suman Gupta D/o Satya Pal Gupta R/o-C-49, Shivaji-Park, West-PunjabiBagh, Delhi-110026, have lost my D.Pharma Diploma-Certificate 02/07/2019 with B.T.E. Roll No.899761, Institute Roll No.15NP91. 0040504093-9

It is notified for the information that my original qualifying examination certificate of class 10th examination of year:2017 and Roll.no.-8605038 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate-MUSKAN PARVEEN, Address:F-20,3RD Floor Jagatpuri Kirishna Nagar,Delhi-110051. 0040504095-1

LOST & FOUND

I Revathi Ramesh w/o S. Ramesh R/o JP Nagar 4th phase Bangalore, K.A. My Omaxe C.P mall property Receipt no 457688 , 457690, -4/11/10 , 460432 -22/11/10 ,460443-23/11/10, ,1349439-2/1/17 ,1349442- 2/1/17 , 1366297 -21/2/17 total amount Rs 16859994/- , respectively issued by Omaxe Ltd is misplaced somewhere any person who finds it please return it to Pradeep Kumar at Omaxe Ltd, shop No.19b FF Omaxe celebration Mall Gurgaon Call: 9999999849

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमती पुष्पा गुप्ता पत्नी स्व. लक्ष्मीचन्द गुप्ता निवासी ई-5, मेन रोड, कृष्णा नगर, दिल्ली-51 ने अपने पुत्र हरीश गुप्ता एवं उसकी पत्नी ममता गुप्ता एवं पौत्र युव गुप्ता व प्रीयष गुप्ता के द्वारा मेरी मुवक्किला के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देना तथा मकान के फर्जी कागजात बनाकर मकान को हड़पने, की धमकी देने तथा मकान पर जबरदस्ती कब्जा बनाये रखना तथा उसके पुत्र हेमंत गुप्ता को भी झूठे केसों में फंसाने की धमकी देने के कारण, उन्हें अपनी सभी चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करते हुए इन सभी से पारिवारिक रिश्ते-नाते सामाजिक, सम्बन्ध-विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में मेरी मुवक्किला इनके किसी भी प्रकार के क्रिया-कलापों, दीवानी, फौजदारी वाद-विवाद, पुलिस कार्यवाही व लेन-देन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यदि कोई भी व्यक्ति इनसे कोई व्यवहार करता है तो उसका वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
Satender Gopal Asthana
En.No.: D-313/B/1998(R) Advocate

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रामलाल एवं श्रीमती बबीता पत्नी श्री नरेश कुमार, निवासीगण मकान नम्बर 317, हरिजनो वाली गली, सैनी चौपाल, लामपुर, नोर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110040 ने अपने पुत्र जतिन को उसके दुर्व्यवहार/नियंत्रण से बाहर होने के कारण समस्त संबंध-विच्छेद करते हुए अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई जतिन से कोई लेन-देन रखेगा तो इसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा और इसमें मेरे मुवक्किलान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
VINEET KUMAR
Advocate
Chamber No. 500
Civil Wing,
Tis Hazari Courts,
Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Public in general is hereby informed that my clients Mr. Rajendra Prasad S/o Sh. Prem Raj Sharma aged about 61 years and Mrs. Shyam Lata w/o Rajendra Prasad aged about 55 years R/o E 68, Gali No.3, Gokul Puri, Bhagirathi Vihar, Saba Pur, Delhi, Sabhapur, North East, Delhi-110094 have dis-owned their son namely Nakul aged about 28 yrs from all their movable & immovable properties/ assests and severed all relations from him. In future my clients shall not be responsible for any of their acts, deeds, etc.
BHAWNA JAKHETIA (Advocate)
M : 9711230627

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Mohd. Shareef S/O Mohd. Haneef R/o. 4395, Katra Begum, Shahganj Chowk, Ajmeri Gate, Delhi-110006, disowned their sons & daughters namely (1) Mohd. Firoz, & his wife Zeba (2) Mohd. Nasir and his wife Saima & (3) Mrs. Rubina w/o Mohd. Shakeel (4) Yasmeen w/o Mohd. Atiq (Majid) both Son/ Daughter of Mohd. Shareef and their childrens, from their all moveable immoveable properties as they have abusing and quarreling with my client and other family members and my client have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner
Sd/-
(G.L. GOSWAMI)
(ADVOCATE)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुवक्किल श्री सुभाष पुत्र श्री किशोरी लाल, एवं श्रीमति कमलेश पत्नी श्री सुभाष, निवासीगण 3136, गली नं. 4, गुरुद्वारा वाली गली, ओल्ड चर्मपुरा गांधी नगर, दिल्ली-110031 ने अपनी पुत्री पूर्णिमा उर्फ आशी को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि वह मेरे मुवक्किल की आज्ञाकारी नहीं रही है और उसने मेरे मुवक्किल की मर्जी व अनुमति के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अतः भविष्य में पूर्णिमा उर्फ आशी अपने समस्त कार्यों व लेन-देन तथा अपने जीवन के हर पहलू के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी, मेरे मुवक्किल व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।
AMIT GOSWAMI - ADVOCATE
Ch. No. 576, Western Wing,
Tis Hazari Court, Delhi -110054

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल जय करन वर्मा पुत्र श्री वेद प्रकाश वर्मा निवासी म.न.-बी-362, हर्षवर्धन गली-2, सुभाष विहार, नार्थ घोंडा, गढ़ी मेंडू, भजनपुरा, दिल्ली-110053 ने अपने पुत्र नोनु वर्मा को दुर्व्यवहार हेतु समस्त सम्पत्ति से बेदखल कर संबंध-विच्छेद कर लिए हैं उसके किसी कृत्य हेतु मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।
हस्ता./-
योगेश शर्मा
(एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

My clients (1) Shri Hukam Singh son of Shri Prabhu Dayal & (2) Smt. Sunita Singh wife of Shri Hukam Singh both resident of S-43,Old Mahabir Nagar, Gali No.2, New Delhi-110018 have disowned their son Shri Manish Kumar and his wife Smt. Rekha and their grandson Yashvir and have debarred them from inheriting any moveable and immoveable property owned by my above said clients and have also severed all kinds of relation with them. Any person dealing with them will do so at their own risk.
Pardeep Kumar (Advocate)
Shop No.6, Plot No.7A, DDA Building,
Distt. Centre, Janakpuri, New Delhi-58
Enrol. No.D/4208/2016

PUBLIC NOTICE

PUBLIC AT LARGE IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT SHRI MUKESH KUMAR S/O LATE SHRI MADHO SINGH, R/O D-1/63, GALI NO.2 TAJPUR ROAD, GOEL FARM, BADARPUR EXTENSION, BADARPUR BORDER NEW DELHI 110044, HAS SEVERED ALL HIS RELATIONS WITH HIS SON NAMELY ARVIND SINGH AND HIS WIFE POONAM AND HAS DISINHERITED/DISOWNED THEM FROM ALL HIS MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES. ANYBODY DEALING WITH THEM SHALL BE DOING SO AT HIS/HER/ITS OWN COSTS, PERIL, RISK AND CONSEQUENCES AND WILL BE HELD SOLELY LIABLE FOR THE SAME.
Sd/-
YUDHVIR SINGH CHAUHAN
(ADVOCATE)
Ch. No. 276, Block-II,
Delhi High Court N. Delhi-03

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Harish Kumar S/o Late Shri Raghunath R/o BS-149-C Shalimar Bagh, Delhi-88 Allottee/Purchaser of Flat No. BS-149-C, Shalimar Bagh, Delhi-88 has applied for conversion of the aforesaid Flat from Lease hold to Freehold in DDA. The original documents Possession Slip of above said Flat has been Lost issued by DDA . An FIR on this effect has been lodged vide LR No.1216849/2019 dated 03/07/2019
Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact with the above named person at above Address/ Phone No. 9971216674 within 15 days from the date of Publication of this Notice or Write to Dy. Director (Janta) Housing or Director (Housing)-II , D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that myself,Ms Neenja Chawla resident of C4A/ 25 C Janakpuri, New Delhi 110058 is not in the employment of Mother's Pride / Presidium Schools since 10th October 2018 .I am in no way liable or responsible for any transactions of any sorts of investments of Mother's Pride/ Presidium Schools,I am in no way connected for any sorts of felony of public money or any liability whatsoever as any act of mine was just under the clauses of employment and employer employee relationship.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I MADHU KUMAR W/O AJAY KUMAR R/O HNO. 166A, POCKET-F, MAYUR VIHAR PHASE-2, CHILLA SARODA KHADAR, DELHI- 110091. Declare that name of mine written as Madhu Bala in my 10th certificate (Roll No. 059712) is my maiden name. The actual name of mine is Madhu Kumar. This may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

It is to inform the public at large that my clients Mr. Kedar Nath S/o Sh. Jangi Ram and his wife Smt. Savitri Devi both permanent R/o Vill. Raura Chawar, PS Rasra, Distt. Balia (U.P.), presently residing at H No. 93, Gali No. 01, Tis Foota Road, Vinay Nagar, Faridabad, Haryana, do hereby debar and disown their son namely Chandan Kumar aged about 33 years and daughter-in-law namely Ms. Sanju Devi W/o Mr. Chandan Kumar D/o Mr. Ramayan from all their moveable & immoveable properties / assets due to their ill-behaviour, conduct & attitude which is prejudicial & detrimental to the reputation of the family of my clients. Anybody dealing with them shall do so at his own risk, cost & consequences & my clients will not be responsible for any kind of dealing by any person with their above said son and daughter-in-law in future, in any manner whatsoever.
M.Ishteyaque Ahmad (Advocate)
Ch. No. 175, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My client Shri Rupender Pratap Singh S/o Late Sh. Rajendra Bahadur Singh, R/o House No.266-267, Rajendra Park Extn., Nangloi, West Delhi-110041, has severed/terminated all his relations from His Daughter, namely, Neha and her husband Sh. Rohit Yadav along with their future children, who are presently residing in their matrimonial home at House No.4/18, Kamrudeen Nagar Extn.-5, Nangloi, Nilothi, West Delhi-110041 and have disinherited and disowned her from his all movable and immovable properties due to her misbehavior, cruelty and non-compliance. In future, if any person dealing with above said debarred person, shall be at his/her own risks and costs any my client shall not be responsible for the same in any manner.
Prakhar Sharma (Advocate)
Basement Crescent square, Plot No.14, DC Chowk, Sec.-9, Rohini, New Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

Know all men by this Public Notice that the property No.S-1 & S-2, 2nd floor (along with roof rights) measuring 96 sqyds belongs to Danny Sharma. This property has been acquired by Danny Sharma by way of Gift deed executed by his father Late Ram Kishan Sharma in his favour. The said Gift deed has been duly registered vide Registration no.3279 dt 30.3.01 in the office of Sub-Registrar-II. Danny Sharma being legal owner, is in actual physical possession of the above said property. Through this public notice, the general public is being informed/warned not to enter into any transaction/transfer with anybody regarding above said property. Anybody going against this notice will be solely responsible for any loss caused to him/her &thus will be doing so at his/her own risk.
Ramesh Chander Anand (Advocate), Ch-68, Western Wing, Tis Hazari

PUBLIC NOTICE

My client Daljit Singh S/o L. Harbans Singh R/o JG-II, Janta Flat No. 515, First Floor, Vikaspuri, New Delhi-18 has disinherited/disowned his natural sons Gorkey Singh & Kabir Singh sons of Daljit Singh, Jasmeet Kaur W/o Gorkey Singh & Manpreet Kaur W/o Kabir Singh all R/o JG-II/515, First Floor, Vikaspuri, New Delhi-18 from both of his/her built up Janta Flat No. JG-II/515, First Floor, Vikaspuri, New Delhi-18. Moveable/ Immovable properties with immediate by him against my client & loyal to the family responsibilities. Anyone dealing with him in any manner whatsoever will be doing so at his/her own cost, risk & responsibilities thereto & my client shall be in no way responsible for any acts, deeds & things done by him/her.
Adv Mukesh B Khandyal
RZ-113A, Uttam Nagar, New Delhi-59

PUBLIC NOTICE

For & on behalf of my client Sh. Shyam Babu s/o Shri Gajodhar Prasad, R/o S-7, Vikas Nagar, New Delhi- 110059, I serve this Public Notice that my client servers his relations and Debar his son Mr. Yogesh and his wife Mrs. Vandana from his properties both movable & immovable for all intents and purposes. Anyone deals with him shall do at his own risks.
Sd/-
BINOD KUMAR JHA (Advocate)
B-5, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

This is to inform to Public at Large that I Dr. Virender Parnami son of Mr. K.L. Parnami R/O AN-47, Shalimar Bagh, Delhi-110088, am the owner of Flat No. AN-47, Shalimar Bagh, Delhi. The possession Letter dated 11.08.1981 issued by DDA of the above said Flat has been lost on February 2019 by me. If anybody has any claim/objection against the said Possession Letter of the said flat, then he/she/they can file their claim/objections within 7 days from date of Publication of this Public Notice before concerned office/ authority.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Express Classifieds

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
MUKHERJEE NAGAR
JUDICIAL FOUNDATION 8 AUGUST WEEKEND 21 JULY 880066-0301/2130
CLAT / DU.LLB. 20 JULY 880066-0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD
JUDICIAL 9 AUGUST | IAS (LAW) 21 JULY | CLAT 21 JULY
UPSC LAW (OPTIONAL)
TEST SERIES : 21 JULY, 11 AM
880066-2140 / 011-49841810
B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

UTTAR PRADESH RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD
Notice Inviting E- Procurement
NIT NO: 01/PM(E)/MKRSS EU/RNN/PROCUREMENT / Suchana Vibhag / 19, Dated -15.07.2019
The Unit Incharge, MKRSS Electrical Unit invites for and on behalf of Managing Director U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. online item rate bids in two bid system for the following work:
Name of work : SITC OF FIRE FIGHTING & SPRNKLER SYSTEM WORK AT "Pt. DEENDYAL UPDHAYAY SUCHANA BHAWAN "LUCKNOW"
Estimated Bid Value : Rs. 95.64 Lakh, Earnest Money : Rs. 1.91 Lacs, Period of Completion : 6 months from agreement, Last time and date of submission of bid : 06/08/2019 on Dt._ 03:30 PM
The bid forms and other details can be obtained / downloaded from the website: http://etender.up.nic.in The NIT is also available on http://www.uprnn.co.in

मालवाहक गाड़ी ने पिता पुत्र को कुचला, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

- गर्भवती बेटी को देखने उत्तर-प्रदेश से दिल्ली आया था परिवार

शनिवार तड़के गर्भवती बेटी को देखने उत्तर-प्रदेश से दिल्ली आए एक परिवार की खुशियां तब मातम में बदल गई जब एक तेज रफ्तार मालवाहक गाड़ी ने पिता-पुत्र को सड़क पार करने के दौरान रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान 40 साल के राजपाल और उसके पांच साल के बेटे शिवा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक शंभू कुमार (38) को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक राजपाल का परिवार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहता है। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी बबली की शादी हो चुकी है जो फिलहाल गर्भवती है। परिवार बेटी का हाल-चाल जानने ही पहुंचा था। बेटी के घर जाने के लिए परिवार सड़क पार करके दूसरा ऑटो ले रहा था तभी तेज रफ्तार मालवाहक गाड़ी ने पिता-पुत्र को रौंद दिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। वाहन चालक भागने में सफल रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

दिल्ली होम्योपैथी बोर्ड का गठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने होम्योपैथी बोर्ड का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा डॉ. केवल कृष्ण जुनेजा को अध्यक्ष और डॉ. एके अरुण को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा डॉ. आदित्य नारायण कौशिक, डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल, डॉ. संदीप कालड़ा, डॉ. रोहित भंडारी, डॉ. आशा चौधरी, और विधायक शिव चरण गोयल भी बोर्ड में शमिल किए गए हैं। बोर्ड के आदेश के मुताबिक इन सभी का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा। सदस्यों के नामों की मंजूरी स्वास्थ्य मंत्री ने दी। बोर्ड के नए सदस्यों का मनोनयन कुछ महीने पहले ही हो गया था। मगर दिल्ली सरकार में अधिकारों को लेकर चले विवाद के कारण अधिसूचना देरी से जारी हुई। बोर्ड में होम्योपैथ से जुड़े कई मामले रखे जाएंगे।

मोबाइल झपटमार गिरोह का पर्दाफाश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

- राहगीरों से लूटे गए 30 फोन भी जब्त किए गए हैं

राजधानी में राहगीरों से मोबाइल फोन झपटकर देश के कई हिस्सों में खपाने वाले गिरोह के दो बदमाशों को नारकोटिक्स स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राहगीरों से लूटे 30 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान तुगलकाबाद निवासी मोहम्मद फैजान (30) और ओखला फेस-1 निवासी दीपू कुमार (22) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूटे गए फोन को आमीर नामक व्यक्ति को देते थे जो बाद में इन फोनों को बाजार में खपाता था। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार के मुताबिक जिला नारकोटिक्स स्क्वाड को सूचना मिली थी कि मेवाती गिरोह का आमीर दिल्ली में झपटे गए फोन की खेप लेन आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बत्रा अस्पताल के पास आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने मोहम्मद फैजान और दीपू को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

छंटनी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

छटनी के खिलाफ होम शॉप 18 के कर्मचारियों ने जंतर मंतर पर धरना दिया और कॉरपोरेट मामले की मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर धोखाधड़ी करने और खुद को दिवालिया घोषित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेश कुमार सचदेवा ने ज्ञापन में दावा किया है कि उनकी कंपनी को स्काई ब्लू बिल्ड वेल नाम की कंपनी को बेचा जा रहा है। सचदेवा ने कहा- होम शोप में काम कर रहे लोगों हटा दिया गया है। कई हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में गिरीश गुप्ता, पंकज गोयल,सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

वन अधिकार कार्यकर्ता 24 को जुटेंगे

नई दिल्ली। वन अधिकार कार्यकर्ता सरकार को यह बताने के लिए कि 24 जुलाई में जंतर मंतर पर जुट रहे हैं कि 'वन क्षेत्र' का मतलब केवल पेड़ पौधे व जानवर-पक्षी ही नहीं होता बल्कि उसमें रहने वाला मानव भी उसी का अंग होता है। चाहे वह आदिवासी हो या साधारण वनवासी। वन क्षेत्र में रह रहे मानव को बेदखली से बचाने के लिए संगठन के लोग यहां के अलाव इस दिन हर प्रांत में अपनी बात रखेंगे। (जसं)

लूटपाट की कोशिश में पलटा ऑटो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

विवेक विहार इलाके में बेटे को स्कूल से लेकर घर लौट रही ऑटो सवार एक महिला से स्कूटी सवार बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। लूटपाट में विफल होने पर बदमाशों ने ऑटो चालक को लात मारी जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक और महिला बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद आरोपी महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने देर रात दोनों आरोपी जावेद और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। महिला का पर्स भी बरामद कर लिया गया है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

अनुराधा प्रकाशन : पुस्तक का लोकार्पण और काव्य गोष्ठी , हिंदी भवन, आइटीओ, सुबह 10 बजे।

Form No.:5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007.
(Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)
Summons for filling Reply & Appearance by Publication
O.A. No. 25/2019 Date: 26.06.2019
Summons to defendants under Section 19(4) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)
Syndicate Bank.....Applicant, Sector-24, Noida, Distt Gautam Budh Nagar VERSUS Mr. Wilson Enward Jaya Kumar & Mrs. Mary Prabhudas Mallagary & ORS.....Defendants
To,
1- Mr. Wilson Enward Jaya Kumar S/o Mr. Hacholli Narasappa, R/o Plot L-111, Room 1 Gali No.3, Opposite Shiv Complex Mahipalpur Extension, Delhi-110037. **2nd Address:** B-88-2, Old Bus Stand Street, Behind CSI Church Compound, Kowthalam (Post), Kurnool, Distt. Andhra Pradesh-518344.
2- Mrs. Mary Prabhudas Mallagary W/o Mr. Wilson Enward Jaya Kumar, R/o Plot L-111, Room 1 Gali No.3, Opposite Shiv Complex Mahipalpur Extension, Delhi-110037. **2nd Address:** B-88-2, Old Bus Stand Street, Behind CSI Church Compound, Kowthalam (Post), Kurnool, Distt. Andhra Pradesh-518344.
3- M/s. Mascot Soho Homes Pvt. Ltd., Through it's Authorised Signatory Site Office: Plot No. GH-04B/1, Sector-16, Greater Noida West - District Gautam Budh Nagar (U.P.). **2nd Address:** H-106, Sector-63, Noida - 201301.
In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **09/09/2019** at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

इग्नू जन-जन का विश्वविद्यालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-100 068
ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY
जुलाई 2019 सत्र के लिए प्रवेश
स्नातक डिग्री कार्यक्रम
अभिमूल्यन/जागरूकता स्तर कार्यक्रम
स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम
सर्टिफिकेट कार्यक्रम
पीजी डिप्लोमा एवं डिप्लोमा कार्यक्रम
एमबीए (बैंकिंग एवं वित्त) विवरणिका डाउनलोड लिंक http://ignou.ac.in/userfiles/MBA(B&F).pdf
ऑनलाइन
विश्वविद्यालय का ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल
https://www.onlineadmission.ignou.ac.in
ऑफलाइन
ऑफलाइन कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.ignou.ac.in से संबंधित विवरणिका (ignou.ac.in/userfiles/Prospectus_July19eng.pdf) डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों तथा शुल्क के साथ भरे हुए आवेदन पत्र क्षेत्रीय केंद्र में जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
ssc@ignou.ac.in, 011-29572513, 29572514 | registrarsrd@ignou.ac.in, 011-29571301/1302/1528
अथवा विश्वविद्यालय के किसी भी क्षेत्रीय केंद्र/अध्ययन केन्द्र में
IGNOU-Facebook
Twitter Handle
ignou.ac.in
online_admission
अंतिम तारीख
प्रमाणपत्र कार्यक्रमों एवं अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए
31 जुलाई, 2019
कुलसचिव (एसआरडी)
IG/PIU/Admis/SRD/05/2019

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा
''हंस भवन'' बहादुरशाह जफर मार्ग,
तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002
फोन नं.: 23379468, 23370617, 23370534,
ई-मेल: BSZaffarMarg.NewDelhi@bankofindia.co.in

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.2.2019 जारी कर ऋणधारक मै. एस.एस. मैनर (प्रॉप्राईटर-श्रीमती सुसन एलेक्स) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 26,15,380/- (रुपए छब्बीस लाख पन्द्रह हजार तीन सौ अस्सी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,15,380/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये बैंक ऑफ इंडिया, बहादुरशाह जफर मार्ग शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः क) एच. नं. 25, अर्जुन पार्क, एनएस ब्लॉक, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110019 में स्थित स्टॉक (होम फर्नीशिंग उत्पादों एवं हैंड पैन्टिंग्स आदि), बुक डेब्ट्स एवं प्लान्ट एवं मशीनरी का हाइपोथेकेशन; ख) श्रीमती सुसन एलेक्स के नाम में प्लॉट नं. सी-14, माप 78 वर्ग यार्ड्स (65.22 वर्ग मीटर्स) ब्लॉक-सी, सुभाष पार्क (सूर्या मॉडल स्कूल एवं तार फैक्ट्री के निकट), उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में छत के अधिकारों के साथ दूसरे तल पर स्थित सम्पत्ति का इक्विटेबल मार्टगैज।

चौहद्दीः दस्तावेज के अनुसारः
उत्तर: प्लॉट नं. सी-12, दक्षिण: 30' चौड़ी सड़क
पूर्व: 30' चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्रवेश सीढ़ियाँ

तिथि: 17.7.2019 राजेश कुमार
स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
ट्रैफिक चालान का भुगतान ऑनलाइन करें
आपका सहयोग

- अब ट्रैफिक चालान और नोटिस का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://delhitrafficpolice.nic.in पर ऑनलाइन भुगतान करें।
- यह भुगतान डेबिट कार्ड और एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का पता लगाने और उल्लंघनकर्ताओ को दंडित करने के लिए स्वचालित लाल बत्ती और गति उल्लंघन का पता लगाने वाली प्रणाली अब शहर के कई स्थानों पर सक्रिय है।

यातायात नियमों का पालन करना आपके ही हित में है।

24 घंटे यातायात हेल्पलाइन: 1095, 25844444

DP/9125/19

हमसे जुड़ें: https://twitter.com/dtptraffic https://facebook.com/dtptraffic/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
हमेशा जल्दबाज़ी?
आपका सहयोग
कुछ पल बचाने की कोशिश में किसी की जान भी जा सकती है

- गलत दिशा में ड्राइविंग से बचें।
- लाल बत्ती का उल्लंघन करने से गंभीर सड़क दुर्घटना हो सकती है।
- ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग आपके एवं दूसरों के लिए खतरनाक है।

DP/9126/19

हमसे जुड़े : https://www.facebook.com/dtptraffic https://twitter.com/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.7 डि.से.	36.7 डि.से.	35.7 डि.से.	36.7 डि.से.
न्यूनतम	28.8 डि.से.	28.8 डि.से.	28.9 डि.से.	29.1 डि.से.

आधुनिक दिल्ली की शिल्पकार को नेताओं का नमन

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शीला दीक्षित का जाना अत्यंत दुखद है। यह दिल्ली के लिए भारी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

शीला दीक्षित का जाना हमारे सिर से अभिभावक का छिन जाना है। हम सबको अपने बच्चों की तरह प्यार किया। उन्होंने लड़ना और जीतना सिखाया था। उनकी राजनीति का लक्ष्य जनता के लिए काम करना था। वे दिल्लीवालों के दिल में रहेंगी। उनके जैसी कर्मठ नेता के साथ काम करने और सीखने का सौभाग्य मिला। आज जब उनके अनुभव की और सख्त जरूरत थी, वे हमसे दूर चली गईं। हम जैसे लोगों के लिए वे राजनीति की पाठशाला थीं। उनकी कमी किसी तरह से दूर नहीं हो सकती।
अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

शीला दीक्षित के निधन की जानकारी से दुखी हूं। उनके निधन से देश ने कांग्रेस के एक समर्पित नेता को खो दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके तीन बार के कार्यकाल में विकास को दिल्ली की जनता हमेशा याद रखेगी।
मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री

शीला दीक्षित की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। शीला दीक्षित के मृदुल स्वाभाव को कभी भूल नहीं पाएंगे।
मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

शीला दीक्षित के निधन के बारे में जानकर धक्का लगा है। जब मैं सांसद बनी थी वह संसदीय कार्य मंत्री थीं। मेरे साथ हमेशा उनके अच्छे संबंध रहे। हमें उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

दिल्ली की प्रगति और विकास में योगदान के लिए शीला दीक्षित लंबे समय तक याद की जाएंगी। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है।
नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री, ओड़ीशा

शीला दीक्षित जी के निधन से एक राजनीतिक युग खत्म हो गया। शीला दीक्षित के आकस्मिक निधन से अत्यधिक पीड़ा हुई। एक राजनीतिक युग उनके साथ गुजर गया।
कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री, पंजाब

'आसानी से नहीं मिलता अधिकार'

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

आधुनिक दिल्ली की शिल्पकार शीला दीक्षित ने 17 साल बाद दोबारा दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। अगर दोबारा कांग्रेस को दिल्ली की जनता मौका देगी तो उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दिल की सर्जरी हुई थी। यही बीमारी 81 साल की उम्र में उनके निधन का कारण बनी।

दिल्ली में पैदा हुईं शीला दीक्षित का राजनीतिक जीवन 1984 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर शुरू हुआ। वे राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय की राज्यमंत्री बनीं। ससुर पंडित उमाशंकर दीक्षित की राजनीतिक सीख ने परिपक्व बनाया। 1998 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब उन्हें चौधरी प्रेम सिंह की जगह दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस के मठाधीशों को लगा कि वे तो रेलयात्री की तरह कुछ दिनों में चली जाएंगी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे मुख्यमंत्री बनीं और धीरे-धीरे नौकरशाही के बीच काम करने के अपने पुराने अनुभव का लाभ उठा कर फैसले करना शुरू किया तो पार्टी नेताओं ने उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया लेकिन आलाकमान ने उनका साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली के सभी व्यावसायिक वाहनों को तय सीमा में सीएनजी पर लाने की चुनौती उन्होंने स्वीकारी। अदालत की अवमानना का खतरा लेकर उसे पूरा किया। पार्टी के परंपरागत दिग्गज या तो उनके साथ हो गए या घर बैठ गए।

2003 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने दिल्ली में दलित वोट बसपा के साथ न जाने देने के लिए चौधरी प्रेम सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वे अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान बैठे। चुनाव के बाद उन्होंने विधायकों की राय से मुख्यमंत्री चुनने का आग्रह आलाकमान से किया तो पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को पर्यवेक्षक बनाकर विधायकों की राय लेने भेजा। विधायकों ने दीक्षित के पक्ष में राय दी। दिल्ली के हर कोने में डॉक्टर अशोक वालिया, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ के सहयोग से हर विभाग में काम तेजी से होने लगा था। 2002 में उनका टकराव तब के उप राज्यपाल विजय कपूर से हुआ। उन्होंने गृह मंत्रालय से दो परिपत्र जारी करवाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करवा दी। इसके विरोध में पहली बार शीला दीक्षित ने सचिवालय से विधायकों के साथ पदयात्रा की और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पास किया। लेकिन बाद में वे उसी उपराज्यपाल से कई बड़े फैसले मंजूर करवा पाईं। केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार रहते हुए दिल्ली के अधिकारों में बढ़ोतरी न होने पर उन्होंने जनसत्ता से निजी बातचीत में कहा था कि कोई आसानी से अधिकार नहीं देता।

तीसरी बार 2008 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में दिल्ली सरकार पर जो घोटाले के आरोप लगे उसकी सफाई में उन्होंने विस्तार में अपनी बात पूर्व सीएजी वीके शुंगलू जांच आयोग को दी। मुख्यमंत्री बनते हुए उनकी प्राथमिकता दिल्ली में बिजली की दशा सुधारने की थी। वह उन्होंने बिजली का निजीकरण करके की। लेकिन बड़ी समस्या दिल्ली में बिजली उत्पादन का था। दिल्ली में बिजली की सीमित उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे राज्यों में दिल्ली के लिए बिजली के समझौते किए। आज करीब आठ हजार मेगावाट बिजली की मांग होने के बावजूद दिल्ली किसी राज्य का मोहताज नहीं है।

दिल्ली में अधिकारों के लिए लड़ने वाले 'आप' के नेताओं के लिए शीला दीक्षित के काम करने का तरीका बेहतर उदाहरण होगा। दुखद यह हुआ कि जब उनका निधन हुआ तब दिल्ली कांग्रेस उससे बदतर हाल में है जिस हाल में पहली बार उनके अध्यक्ष बनने के समय थी। दिल्ली उन्हें आसानी से नहीं भुला पाएगा। उन्होंने 21वीं सदी की दिल्ली की बेहतर बुनियाद रखी।

सोनिया गांधी के साथ खुशी के पल

शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आए नेता व आम लोग।

कड़े और बड़े फैसलों की मिसाल

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

दिल्ली में दो कड़े व बड़े फैसलों के लिए शीला दीक्षित को हमेशा याद किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला था दिल्ली में डीजल-पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करना। इन गाड़ियों के बंद करने में अदालती आदेश भी जुड़े थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने मेट्रो व सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी लाकर इसे मजबूती दी। इसका असर दिल्ली के प्रदूषण स्तर पर साफ नजर आता है। इन गाड़ियों के हटने की वजह से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ कड़ा फैसला बिजली के निजीकरण से संबंधित था। इस फैसले को लेकर जमकर बवाल हुआ था। लेकिन उन दिनों दिल्ली वाले घंटों की बिजली कटौती से बेहाल थे। निजीकरण के बाद इस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। इसका श्रेय भी शीला दीक्षित के कड़े निर्णय को जाता है।

नौकरशाह भी कायल

शीला दीक्षित के खुशमिजाज व्यवहार के कायल विपक्ष के नेता ही बल्कि देश के नौकरशाह भी थे। वे वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को बेटा कहकर बुलाती थीं और अधिकारियों में उन्हें 'मैडम' के नाम से जाना जाता था। उनके इस अंदाज की वजह से दिल्ली में 15 सालों में एक के बाद एक बड़ी योजनाएं लागू हो सकी और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ सचिव स्तर के अधिकारी भी उनके दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए रास्ता निकालते नजर आते थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं में भी शीला दीक्षित के कामकाज को काफी सहारा जाता है।

विवादों में नहीं फंसे काम

केंद्र शासित राज्य होने की वजह से अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कम नहीं थी। पूर्व उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना-विजय कपूर से कई मसलों पर शीला दीक्षित का सीधा टकराव कई बार सामने आया था। लेकिन इस टकराव का असर दिल्ली के कामकाज पर नजर नहीं आया। यही वजह थी कि ऐसी परियोजनाएं जिन्हें केंद्र सरकार की मदद से ही पूरा किया जा सकता था, उन कामों को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शीला दीक्षित ने बखूबी पूरा किया।

किताब, शाहरुख और बच्चे

शीला दीक्षित किताबें पढ़ने की शौकीन थीं। इसके लिए दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष तौर पर एक अलमारी थी, जो नई किताबों से जुड़ी होती थी। अकसर सचिवालय में अपने कार्यालय के बाहर किताब के साथ वे नजर आती थीं। उनके करीबी बताते हैं कि वे रात में भी किताब पढ़ना पसंद करती थीं। दिल्ली के सिनेमाघरों में लगने वाली नई फिल्मों को देखना उन्हें पसंद था। जब भी उनके पास वक्त होता तो वे फिल्म शो जाती थी। बताया जाता है कि उन्हें शाहरुख खान की फिल्में अधिक पसंद थी। इसी तरह बच्चों से भी उनका खास लगाव था। दिल्ली सरकार के स्कूलों के कार्यक्रम में बच्चों की ये करीबियां बार-बार सामने आती रही हैं। बच्चों से खुलकर बातें करना उन्हें पसंद था। इसी तरह बच्चों से संबंधित जो भी सरकारी कार्यक्रम होते थे उनमें शामिल होती थी।

'मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं'

प्रियरंजन
नई दिल्ली 20 जुलाई।

शनिवार की शाम शीला दीक्षित के निधन की खबर ने दिल्ली को झकझोर दिया। तीन बजकर 55 मिनट पर शीला दीक्षित की धड़कन थमी थी और चंद मिनटों में इस सूचना को सोशल मीडिया ने जन-जन को पाट दिया। पूरी दिल्ली शोक में डूब गई। बसों-मेट्रो से लेकर सड़कों पर लोगों की स्मृति में केवल शीला दीक्षित थीं। लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे।

दिल्ली के रिंग रोड को सिग्नल मुक्त करने के अभियान में फ्लाईओवरों की श्रृंखला खड़ी करने से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन तक की चर्चा आम हो गई। 'मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं' और 'भागीदारी' जैसे शीला दीक्षित के कार्यकाल के अभियान लोग उंगलियों पर गिनाने लगे।

आम लोगों में कोई असली 'सीएम' का तमगा देता तो कोई उन्हें जादुई व्यक्तित्व वाला अद्भुत नेता बताता। निधन की खबर मिलते ही शनिवार शाम गणमान्य लोगों व पार्टी के नेताओं का हुजूम ओखला स्थित एस्कार्ट हर्ट सेंटर पर उमड़ पड़ा। शाम 6 बजे से उनकी पार्थिव देह निजामुद्दीन स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखी गई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों लोगों ने अंतिम दर्शन किए। उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर ढाई बजे होगा।

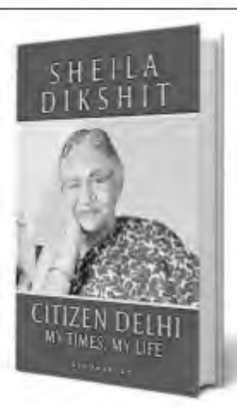

लिख दी थी आत्मकथा

पिछले साल आई शीला दीक्षित की किताब ने पाठकों को उनके जीवन की कई घटनाओं से भी रू-ब-रू कराया। शीला दीक्षित की आत्मकथा पिछले साल 'सिटीजन दिल्ली : माई टाइम्स, माई लाइफ' शीर्षक से आई थी। जिसमें उन्होंने अपने परिवार और राजनीति में आने के जिम्मेदार वाकयों का उल्लेख किया है। शीला के दस जनपथ से निकटता की चर्चा पर मुहर लगाती यह किताब बताती है कि कपूरथला में जन्मी और दिल्ली के स्कूल व कॉलेजों में पढ़ी-बढ़ी लड़की कैसे प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंच कर 15 साल तक टिकी रहती है।

पूर्ण राज्य नहीं पारदर्शिता

पूर्ण राज्य के जिस मुद्दे का आम आदमी पार्टी ने सबसे आक्रामक प्रचार-प्रसार किया, उसे शीला दीक्षित ने हाशिए पर रखा। वे दिल्ली के पूर्ण राज्य की पक्षधर नहीं बल्कि राज्य और केंद्र (उपराज्यपाल) के अधिकारों में पारदर्शिता की पक्षधर थीं। लोकसभा चुनाव में शीला ने कूटनीति दिखाई और अरविंद केजरिवाल की ओर से उठाए गए पूर्ण राज्य के मुद्दे को ही खत्म कर दिया। उनके फैसले से कांग्रेस दिल्ली में दूसरे नंबर पर काबिज होने पर सफल रही। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई।

आलाकमान के कहने पर संभाली कमान

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

अस्सी साल की उम्र में दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गईं शीला दीक्षित ने हाशिए पर पहुंच चुकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की पूरी कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से किसी चुनावी गठबंधन की पुरजोर मुखालफत करने वाली दीक्षित जब दिल्ली की सातों सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में शिरकत करने पहुंचीं तब तक उनका खुद चुनाव मैदान में उतरने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आलाकमान का आदेश मानकर यह चुनौती भी स्वीकारी।

1998 में दिल्ली कांग्रेस की अगुआई करते हुए शीला दीक्षित ने भाजपा के हाथों से दिल्ली की सत्ता छीनकर यहां कांग्रेस की हुकूमत कायम की और 15 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाती रहीं। कांग्रेस उनकी ही अगुआई में 2013 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हारी। ऐसा भी मौका आया जब 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटों का आंकड़ा शून्य तक पहुंच गया और उसे महज आठ-नौ फीसद के आसपास वोट मिले। उसके बाद अजय माकन की अगुआई में कांग्रेस ने वापसी शुरू की और उसका वोट फीसद करीब 22-24 फीसद तक पहुंचा लेकिन 2017 में हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी वह तीसरे नंबर की पार्टी ही बनी रही। दीक्षित की अगुआई में लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरी कांग्रेस ने सात में से पांच सीटों पर दूसरे स्थान पर जगह बनाकर 23 फीसद वोट हासिल किए। दीक्षित की अगुआई में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में एकजुट नजर आई। चाहे खुद दीक्षित हों या पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन, महाबल मिश्रा सभी नेताओं ने दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि कांग्रेस वापसी की तैयारी में है।

शीला दीक्षित के आवास के बाहर जमा हुई समर्थकों की भीड़।

घर से बाहर निकली महिलाओं के लिए 'हमसफर'

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

राजधानी में कामकाजी महिलाओं को घर से दफ्तर और शाम को दफ्तर से घर लौटते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके मद्देनजर 27 सितंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने महिला विशेष बस सेवा की शुरुआत की थी। इसके साथ ही 11 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कामकाजी महिलाओं के अलावा इस सेवा की शुरुआत होने से छात्राओं को भी सुविधा होने लगी थी। दिल्ली में महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधा की मांग लंबे समय से हो रही थी।

अच्छे नतीजों के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में 26 रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों का संचालन शुरू किया था। हालांकि धीरे-धीरे यह सेवा उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह से बंद हो गई। फिलहाल दिल्ली में किसी भी रूट पर महिला स्पेशल बस का संचालन डीटीसी द्वारा नहीं किया जा रहा है।

डीटीसी द्वारा महिला स्पेशल बसों का संचालन उत्तम नगर से नेहरु प्लेस, दिल्ली सचिवालय से इंद्रपुरी, रोहिणी सेक्टर-22 से शिवाजी स्टेडियम, शाहदरा से आरके पुरम, मधु विहार से सीजीओ कॉम्पलेक्स, मोरी गेट से कापसहेड़ा बॉर्डर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से महरौली, हर्ष विहार से कर्मपुरा, कमरुद्दीन नगर से शिवाजी स्टेडियम, जहांगीरपुरी से उत्तम नगर टर्मिनल के अलावा अन्य रूटों पर किया जाता था। ये बसें सुबह साढ़े आठे बजे अपने निर्धारित टर्मिनल से चलती थीं और अपने गंत्वय तक पहुंचती थीं। शाम के समय निर्धारित रूट से होते हुए बस उसी टर्मिनल तक जाती थीं, जहां से सुबह शुरू होती थी। उत्तम नगर से चलने वाली बस भीकाजी कामा प्लेस, एम्स, साउथ एक्स, लेडी श्रीराम कॉलेज होते हुए नेहरू प्लेस पहुंची थी।

फाइल फोटो

साल 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने शुरू की थी सेवा

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी यह पहल

घाटे के बाद भी सेवा रही चालू

महिला स्पेशल बस सेवा शुरुआत से ही घाटे में रही। इससे डीटीसी को नुकसान भी हुआ। पर शीला दीक्षित ने यह सेवा बंद नहीं की। बल्कि एक-एक कर साल 2012 तक 26 रूटों पर इस सेवा का विस्तार किया। हालांकि बाद में बंद कर दिया गया। सेवा शुरू होते समय डीटीसी के बेड़े में एक भी महिला चालक या फिर परिचालक (कंडक्टर) नहीं थी। आज जब डीटीसी में महिला चालक और परिचालक हैं तो यह सेवा बंद है।

छात्राओं को भी सुविधा

स्पेशल बस कई कॉलेज के आसपास से गुजरती थी, जिसका फायदा छात्राओं को भी होता था। आइटीओ से चलने वाली बसों में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और जाकीर हुसैन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं सफर करती थीं। हर्ष विहार से कर्मपुरा के बीच चलने वाली बस दिल्ली विश्वविद्यालय से होते हुए गुजरती थी।

दिल्ली का जीता दिल

सड़क, पुल, बस और मेट्रो

शीला दीक्षित ने लुंज-पुंज कांग्रेस को 1998 में संभाला। दिल्ली में जीतना सिखाया और दिल्ली की बहुशासन प्रणाली में सीमित अधिकारों के बूते दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। 15 सालों में करीब सौ फ्लाईओवर-अंडरपास बने। दिल्ली के हर इलाके में मेट्रो पहुंची, आधुनिक लो फ्लोर बसें चलने लगी। अपने पैसे से बिजली घर बना कर दिल्ली को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। पानी की उपलब्धता बढ़ाई। जिस सिग्नेचर ब्रिज को दिल्ली की मौजूदा सरकार ने अपनी उपलब्धि बनाकर प्रचारित किया, उसके लिए कई अधिकारियों को सेवा विस्तार दिलाया और अपनी पार्टी के ही अनेक नेताओं की नाराजगी झेलकर उसे पूरा करवाया।

विरोधियों को दिया आशीर्वाद

जो अधिकारी उनकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ तैनात हुआ वह कुछ समय में उनका मुरीद हो जाता था। अपने राजनीतिक विरोधियों को वे अति सम्मान देती थीं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे मांगेराम गर्ग बताते हैं कि वे कुछ काम से उनके सरकारी आवास पर गए तो उन्होंने उन्हें अंदर ले जाकर अपनी बहु को आशीर्वाद दिलवाया। आखिरी चुनाव में उनके खिलाफ लड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को आशीर्वाद देते उनका फोटो खूब चर्चित हुआ।

केंद्र तमिलनाडु में हिंदी नहीं थोप रहा : सीतारमण

चेन्नई, 20 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में हिंदी थोपने का कोई प्रयास नहीं कर रही और तमिल को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रही है। राज्य के सियासी दलों द्वारा हाल में डाक विभाग की परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में कराए जाने को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में संवाददाताओं के सवालों पर यहां सीतारमण ने यह प्रतिक्रिया दी।

विभिन्न दलों ने आरोप लगाया था कि यह एक तरह से तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश है। द्रमुक के नेतृत्व में राज्य में 1960 के दशक में हिंदी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई सवाल कर सकता है कि क्या यह जानबूझ कर किया गया या नहीं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह भाषा को थोपे जाने जैसा है।

उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार हिंदी नहीं थोपती।' सीतारमण ने कहा, 'अगर कहीं, प्रशासनिक स्तर पर कुछ होता है तो इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि यह थोपा जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ थोपा नहीं जा रहा है। हम भी तमिल के विकास से जुड़े हैं।' मंत्री ने जोर देकर कहा, 'हिंदी नहीं थोपी जा रही है।'

महिला मित्र की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाई

ठाणे, 20 जुलाई (भाषा)।

जिले के कल्याण इलाके के एक लॉज में एक शख्स अपनी महिला मित्र की कथित तौर पर हत्या करने के बाद खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि उनके शव कल्याण रेलवे स्टेशन के पास स्थित लॉज से बरामद किए गए।

महात्मा फूले थाने के इंस्पेक्टर पीआर लोंधे ने कहा, 'दोनों की उम्र 20 साल के आस-पास थी। अरुण गुप्ता ने युवती प्रतिभा प्रसाद की कथित तौर पर गला दबा कर हत्या कर दी और बाद में कमरे में लगे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली।'

धनलक्ष्मी बैंक लि.
नं. 10185ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

शुद्धिपत्र

12.07.2019 को प्रकाशित अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना में धनलक्ष्मी बैंक लि. को देय बकाया राशि गलती से रु. 3,58,47,408.82 (रुपये तीन करोड़ अन्ठावन लाख सैंतालिस हजार चार सौ आठ एवं पैसे बयासी मात्र) वर्णित हो गया है जिसे 30.06.2019 को रु. 11,88,99,174.40 (रुपये ग्यारह करोड़ अठासी लाख निन्यानवे हजार एक सौ चौहत्तर एवं पैसे चालिस मात्र) पढ़ें।

सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त का ध्यान रखें।

तिथि:20.07.2019 — धनलक्ष्मी बैंक लि.
स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एन : L14106UP1995PLC019017
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर -128, नोएडा-201304, उ.प्र
दुरभाष :+91(120) 2470800
दिल्ली कार्यालय : 'जेए' हाउस, 63,बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
दुरभाष : +91(11) 49828500 फैक्स :+91(11) 26145389
वेबसाइट : www.jalindia.com ई मेल : jal.investor@jalindia.co.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताऐं और प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 47 को विनियम 29 के साथ पढ़ते हुये, के संदर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **शनिवार, 27 जुलाई, 2019** को, अन्य विषयों सहित, 30 जून, 2019 को समाप्त हुए तीन महीने के अनअंकेक्षित एकल एवं संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकार करने हेतु होगी ।

अन्य जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानि www.jalindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट यानि www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड
JAYPEE
एम. एम. सिब्बल
संयुक्त अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव
सदस्यता क्रमांक एफसीएस-3538

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2019

JAYPEE GROUP — JAYPEE INFRATECH

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

CIN: L45203UP2007PLC033119
पंजीकृत कार्यालय : 128, नोएडा-201304, उ0प्र0
फोन : +91(120) 4609000, **फैक्स**: +91(120)4963122
वेबसाइट : www.jaypeeinfratech.com, **ई-मेल**: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियमों 29 एवं 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि **30 जून, 2019** को समाप्त तिमाही कि लिए कम्पनी के **अनअंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तिय परिणामों** पर **शनिवार, 27 जुलाई, 2019** को विचार एवं अनुमोदन किया जायेगा।

अन्य जानकारी कम्पनी की वेबसाईट *www.jaypeeinfratech.com* तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट: *www.nseindia.com* व *www.bseindia.com* पर देखी जा सकती है।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए
(कॉर्पोरेट इन्साल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के अर्न्तगत कम्पनी)
अनुज जैन
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
आई.पी. पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306

स्थान : नोएडा
तिथि : 20 जुलाई 2019

SOUTH INDIAN Bank
क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1/18-20, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 फोन : 011-23610400, Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

[देखें नियम 8 (1)]

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने दि साउथ इंडियन बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 10-04-2018 जारी की थी, जिसमें कर्जदार (1) मैसर्स रोयमेवरा हॉस्पिटल क्लब प्राइवेट लिमिटेड, 401 'डी' मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034, अन्य पता : 806-807, उद्योग विहार, फेज-5, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001 और गारंटर 1) श्री वैभव सिंघल, पुत्र श्री ज्ञान चंद सिंघल तथा 2) श्रीमती सीमा गुप्ता, पत्नी श्री ज्ञान चंद सिंघल दोनो निवासी 25/75, शक्ति नगर, दिल्ली-110007 से सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 13,33,33,229.92/- (रूपए तेरह करोड़ तेंतीस लाख तेंतीस हजार दो सौ उन्तीस तथा पैसे बानवे मात्र) का भुगतान आगे ब्याज और लागतों सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** 18 जुलाई, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार साउथ इंडियन बैंक लि. की दिनांक 15-07-2019 तक बकाया राशि रू. 14,03,35,517.36/- (रूपए चौदह करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार पांच सौ सत्रह तथा पैसे छत्तीस मात्र) और उस पर ब्याज तथा लागतों का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

श्रीमती सीमा गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत और कब्जाधीन ग्राम लक्ष्मीपुर कटटाई, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित खाता नंबर 48, खसरा नंबर 34-एम में गैर-कृषि भूमि परिमाप 0.4330 हेक्टेयर के सभी अंश एवं खंड, दिनांक 11-02-2016 की प्रभावी तिथि से गैर-कृषि भूमि/वाणिज्यिक सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित के अधीन आयुक्त तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सदर मुरादाबाद द्वारा धारा 80(1) के अधीन वाद सं. 20161354013884 के संबंध में पारित आदेश दिनांकित 17-08-2016 के अनुसार उसके ऊपर सभी अन्य सुधारों, भोगाधिकारों तथा सुविधाधिकारों सहित। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण सब रजिस्ट्रार, जोन-1, मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत सेल डीड नंबर 3241 दिनांकित 23-02-2016 में दिया गया है।

सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार है : उत्तर : आनंद किशोर एवं अन्य का खेत, दक्षिण : अमर सिंह एवं अन्य का खेत, पूरब - सर्वे नंबर 35 में शामिल भूमि, पश्चिम - बैंक रोड।

तिथि : 16.07.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : उत्तर प्रदेश — साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank (A Govt. of India undertaking)

सर्किल कार्यालय, अंसल टॉवर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन: 011-26419921, 26292604, ई-मेल: reccodel@canarabank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना 22-08-2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

नीचे वर्णित सम्पत्तियां जो कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में है, हमारे प्रतिभूत ऋणों प्लस ब्याज एवं लागत की वसूली के लिए सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से अधिभारों अर्थात सरकारी बकाया के साथ "जैसा है जहां है" और "जो है जैसा है" के आधार पर बेची जाएगी। वेबसाइट www.bankaucitonwizard.com के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स एन्ट्रेस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम/कर्जदार (रों)/ गारंटर (रों) का नाम एवं पता	सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	विनिर्देशित तिथि को कुल देनदारियां	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर जमा राशि (ईएमडी) (रु में) एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	खाता नम्बर आईएफएससी कोड का विवरण जहां धरोहर राशि जमा की जा सकती है
1.	केनरा बैंक लाजपत नगर नई दिल्ली - 110024 उधारकर्ता: मैसर्स फॉरेमोस्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 70 एवं प्लॉट नंबर 71, उद्योग विहार, फेज-I, गुरुग्राम हरियाणा 1. श्री वरुण मौदगिल (निर्देशक) 2. श्री अतुल मौदगिल (निदेशक) 3. श्री अनु मौदगिल (गारंटर और बन्धककर्ता)	प्लॉट नंबर 7/ एफ 7, फेज-I, डीएलएफ सिटी, गुड़गांव हरियाणा जोकि अनु मौदगिल के नाम पर है (578.33 वर्ग गज के भूखंड पर लगभग 483.56 वर्ग मीटर में एक अनफरनिशड सिंगल स्टोरेड आरएसएस छत संरचना) संपत्ति में एक हॉल, चार कमरे, दो बाथरूम और संरचना के चारों ओर खुला क्षेत्र है।	29.06.2019 को कुल देनदारियां रु. 24,27,93,389.41 (रुपये चौबीस करोड़ सत्ताईस लाख तिरानबे हजार तीन सौ नवासी एवं ईक्तालीस पैसे मात्र) जिसमें ब्याज शामिल है प्लस 01.06.2019 से आगे लागू दर पर ब्याज के साथ अन्य व्यय एवं स्थानीय सरकार द्वारा लागू प्रभार, प्लस (संपत्ति कर, पानी कर, बिजली बिल इत्यादि) का बकाया = बैंक को ज्ञात नही।	रु. 590.00 लाख (रुपये पांच करोड़ नब्बे लाख मात्र)	रु. 59, 00,000/- (रुपये उनसठ लाख मात्र) 20.08.2019 को सायं 5:00 बजे	A/c No 0341295000001 IFSC Code CNRB0000341 16.08.2019 एवं 17.08.2019 को दोपहर 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें: श्रीमती ज्योती शर्मा (वरिष्ठ प्रबंधक), केनरा बैंक, लाजपत नगर शाखा, नई दिल्ली 110024 (फोन नं. 011-24622596, 24615794, 9818550341) ई-मेल आईडी cb0341@canarabank.com						
2.	केनरा बैंक बाराखंभा रोड नई दिल्ली 110001 उधारकर्ता: 1. मैसर्स साहिम अली पता -13 पहली मंजिल 12/7 पॉकेट -7, सेक्टर -82, नोएडा	फ्लैट नं. डी-105, भूतल, प्लॉट नं. -5, गृहलक्ष्मी सहकारी आवास समिति, सेक्टर पीआई-2, ग्रेटर नोएडा के 1330 वर्ग फीट, श्री शाहिम अली के नाम पर है।	30.06.2019 को कुल देनदारियां रु. 30,59,497.51 (रुपये तीस लाख उनसठ हजार चार सौ सत्तानवे एवं ईक्यावन पैसे मात्र) जिसमें ब्याज शामिल है प्लस 01.07.2019 से आगे लागू दर पर ब्याज के साथ अन्य व्यय एवं स्थानीय सरकार द्वारा लागू प्रभार, प्लस (संपत्ति कर, पानी कर, बिजली बिल इत्यादि) का बकाया = बैंक को ज्ञात नही।	रु. 39.00 लाख (रुपये उन्तालीस लाख मात्र)	रु. 3, 90,000/- (रुपये तीन लाख नब्बे हजार मात्र) 20.08.2019 को सायं 5:00 बजे	A/c No 1994295000001 IFSC Code CNRB0001994 16.08.2019 एवं 17.08.2019 को दोपहर 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें: श्रीमती श्वेता पाण्डेय (प्रबंधक), केनरा बैंक, बाराखंभा रोड शाखा, नई दिल्ली 110001 (फोन नं. 011-23719952, 23314603, 9650031994) ई-मेल आईडी cb1994@canarabank.com						

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी:

1) संपत्ति "जैसा है जहां" है और जो है जैसा है" आधार पर अतिक्रमण, यदि कोई हो, के साथ बेची जाएगी। बैंक के संज्ञान में कोई ऋणभार नहीं है।
2) नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक विधरण के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट को देखें और ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही में भाग लें।
3) संपत्ति का निरीक्षण, ऊपर कॉलम 7 में वर्णित विवरण के अनुसार संबंधित शाखाओं के केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है।
4) संपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा और भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव में और सुधार कर सकते है।
5) आरक्षित मूल्य के 10% की ईएमडी राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी है या प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, ऊपर कॉलम नं. 7 में व्यक्त विवरण से संबंधित शाखाओं के रूप में केनरा बैंक के खाते में जमा करने के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाता एक वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और ई-मेल पता रखेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी के लिए कृपया सेवा प्रदाता मैसर्स एंटेर्स सिस्टम्स लिमिटेड, श्री पुष्पराज, मोबाइल नंबर 07503347659, ईमेल pushpraj@antaressystems.com; श्री कुशाल बोस, मोबाइल नंबर - 7686913157 ईमेल kushal.b@antaressystems.com; ई-नीलामी के लिए हेल्पडेस्क नंबर - 9073677150 Extn. - (151) - (152) वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com से संपर्क कर सकते है। ईएमडी राशि के भुगतान की तारीख पर तुरंत बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उक्त सेवा प्रदाता से सम्पर्क करेंगे (यदि मान्य डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है)।
7) ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों की एक प्रति 21.08.2019 को या उससे पहले केनरा बैंक को शाम 5:00 बजे तक, संबंधित शाखा को उपरोक्त (1) EMD राशि हेतु डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में जमा करनी चाहिए। यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो यूटीआर नंबर, (2) पैन कार्ड, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी के साथ पावती रसीद प्राप्त करें। हालांकि, सफल बोलीदाता को 25% बोली राशि की शेष राशि का भुगतान करने के समय बैंक में मूल रूप से इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। (3) बोलीदाताओं का नाम, संपर्क नंबर, पता, ई मेल आईडी। (4) बोलीदाता के ईएमडी के ऑनलाइन रिफंड के लिए खाते का विवरण।
8) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ सेवा प्रदाता मैसर्स एंटेर्स सिस्टम्स लिमिटेड, श्री पुष्पराज, मोबाइल नंबर 07503347659, ईमेल pushpraj@antaressystems.com; श्री कुशाल बोस, मोबाइल नंबर - 7686913157 ईमेल kushal.b@antaressystems.com; ई-नीलामी के लिए हेल्पडेस्क नंबर - 9073677150 Extn. - (151) - (152) वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com से उठा सकता है।
9) असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिक्री के अंतिम रूप देने के 2 दिनों के भीतर उन्हें वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
10) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। बिडर्स रुपये 10,000 के गुणकों में अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे। 'ऑनलाइन' नीलामी को बंद करने पर सबसे ऊंची बोली (रिजर्व प्राइस के नीचे नहीं) लगाने वाली बोली को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। बिक्री को सफल बोलीदाता के पक्ष में सुरक्षित लेनदार द्वारा उसी की पुष्टि के अधीन पुष्टि की जाएगी।
11) सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित करने पर तुरंत उसे बिक्री मूल्य (पहले से भुगतान किए गए ईएमडी के समावेशी) का 25% राशि जमा करना होगा और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करना होगा। यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताई गई अवधि के भीतर बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा किए गए जमा को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12) लागू होने पर सभी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क आदि, केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी कारण बताए ई-नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या अलग करने का अधिकार सुरक्षित है।
14) अगर ऐसे बोलीदाता है। जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, लेकिन ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक है, तो वे संबंधित सर्किल कार्यालय या केनरा बैंक लाजपत नगर नई दिल्ली/ केनरा बैंक बाराखंभा रोड नई दिल्ली शाखा से संपर्क कर सकते हैं जो एक सुविधा केंद्र के रूप में है वह आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
15) बोली लगाने वाले को संपत्ति, शीर्षक, सीमा, क्षेत्र बकाया आदि के संबंध में उचित परिश्रम और भौतिक सत्यापन करना होगा। बोली प्रस्तुत करने के बाद कोई दावा बैंक द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा।
16) रु. 50.00 लाख से अधिक की बिक्री के लिए टीडीएस बिक्री राशि के 1% की दर से देय होगा, जो कि सफल खरीदार द्वारा अलग से देय होगा।
17) विस्तृत विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, उपरोक्त शाखाओं के अनुसार संबंधित शाखाएं या सेवा प्रदाता मैसर्स एंटेर्स सिस्टम्स लिमिटेड, श्री पुष्पराज, मोबाइल नंबर 07503347659, ईमेल pushpraj@antaressystems.com; श्री कुशाल बोस, मोबाइल नंबर - 7686913157 ईमेल kushal.b@antaressystems.com; ई-नीलामी के लिए हेल्पडेस्क नंबर - 9073677150 Extn. - (151) - (152) वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com से संपर्क कर सकते है।

ई-नीलामी के माध्यम से गिरवी वाहनों की बिक्री की सूचना

केनरा बैंक द्वारा www.bankeauctionwizard.com पोर्टल पर "जैसा है आधार है और जैसा है वैसा है" के आधार पर सेवा प्रदाता मैसर्स एंटेर्स सिस्टम्स लिमिटेड, श्री पुष्पराज, मोबाइल नंबर 07503347659, ईमेल: pushpraj@antaressystems.com; श्री कुशाल बोस, मोबाइल नंबर - 7686913157 ईमेल: kushal.b@antaressystems.com; ई-नीलामी के लिए हेल्पडेस्क नंबर - 9073677150 Extn. - (151) - (152) के माध्यम से निम्नलिखित वाहनों की ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम/कर्जदार (रों)/ गारंटर (रों) का नाम एवं पता	गाड़ी का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर जमा राशि (ईएमडी) (रु. में) एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	खाता नम्बर आईएफएससी कोड का विवरण जहां धरोहर राशि जमा की जा सकती है	निरिक्षण की तिथि व समय
1.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: 1. हरीश चंद्र राम पुत्र श्री राम सूरत राम पता: ई-285 ई ब्लॉक वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली - 110052	स्विफ्ट डिजायर डीजल एलडीआई पंजीकरण नंबर - DL 1Z 4128 मॉडल - 2015 रंग - सफेद इंजन नंबर - D13A2636528 चेसिस नंबर - MA3FJEB1S00781549	रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)	रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
2.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: कंचन पुत्री श्री जवाहर लाल पता: एजी -6/168, ब्लॉक जी, पॉकेट-6, रोहिणी सेक्टर 16, दिल्ली-110089	स्विफ्ट एलडीआई बीएस IV पंजीकरण नंबर - DL 11CA5443 मॉडल - 2015 रंग - पीएमए सफेद इंजन नंबर - D13A0577770 चेसिस नंबर - MA3FHEB1S00896439	रु. 1,75,000/- (रुपये एक लाख पच्चहत्तर हजार मात्र)	रु. 17,500/- (रुपये सत्रह हजार पांच सौ मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
3.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: मोहन कुमार पुत्र श्री रंग लाल पता: 7ए/9 ए1, शुभ अपार्टमेंट, किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070	एर्टिगा वीडीआई बीएस 4 एम डीजल पंजीकरण नंबर - DL 12 CH4317 मॉडल - 2014 रंग - एस सिल्वर इंजन नंबर - D13A2419306 चेसिस नंबर - MA3FLEB1S00262629	रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र)	रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
4.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: नीलू दुआ पत्नी श्री नीरज दुआ पता: ए-436, नेहरू विहार, नई दिल्ली -110054	स्विफ्ट डिजायर डीजल पंजीकरण नंबर - DL1YE5606 मॉडल - 2015 रंग - सफेद इंजन नंबर - D13A2612386 चेसिस नंबर - MA3FJEB1S00756791	रु. 2,05,000/- (रुपये दो लाख पांच हजार मात्र)	रु. 20,500/- (रुपये बीस हजार पांच सौ मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
5.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: सतनाम सिंह पुत्र श्री पाल सिंह पता: केएफडी-45, कवि नगर, ब्लॉक - एफ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201002	हुंडई वेरना सीआरडीआई एसएक्स डीजल पंजीकरण नंबर - DL7CK9261 मॉडल - 07/2011 रंग - चिकना सिल्वर इंजन नंबर - D4FBBU953023 चेसिस नंबर - MALCU41UMBM013394	रु. 1,98,000/- (रुपये एक लाख अठानवे हजार मात्र)	रु. 19,800/- (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
6.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: मोहित कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पता: एफ-82, गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली -110096	महिंद्रा एक्सवाईएलओ डीजल पंजीकरण नंबर - DL1Z5068 मॉडल - 07/2015 रंग - सफेद इंजन नंबर - ML4G10220 चेसिस नंबर - MA1YA2MLXF2G43075	रु. 94,000/- (रुपये चौरानवे हजार मात्र)	रु. 9,400/- (रुपये नौ हजार चार सौ मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
7.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: संजय डोगरा पुत्र श्री राम चंदर डोगरा पता: एनयू-14बी, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली -110034	होंडा अमेज 1.2 वीएक्स एमटी पेट्रोल सीएनजी पंजीकरण नंबर - DL1ZA1964 मॉडल - 12/2015 रंग - ए सिल्वर इंजन नंबर - L12B31607483 चेसिस नंबर - MAKDF153FE4001185	रु. 1,49,000/- (रुपये एक लाख उन्चास हजार मात्र)	रु. 14,900/- (रुपये चौदह हजार नौ सौ मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच
8.	केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली उधारकर्ता: शोएब सैफी पुत्र श्री शोकन सैफी पता: सी -15/6, सी ब्लॉक, सुदामापुरी, गामरी एक्सटेंशन, दिल्ली -110053	महिंद्रा एक्सवाईएलओ डीजल पंजीकरण नंबर - DL1YE1855 मॉडल - 02/2014 रंग - सफेद इंजन नंबर - MLE4F20499 चेसिस नंबर - MA1YA2MLXE2G12245	रु. 1,41,000/- (रुपये एक लाख ईकतालीस हजार मात्र)	रु. 14,100/- (रुपये चौदह हजार सौ रुपये मात्र) 17.08.2019 सायं 5:00 बजे तक	खाता नं.- 0267295000003, आईएफएससी कोड- CNRB0000267.	16.08.2019 एवं 17.08.2019 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें: श्री सी एस तोमर, वरिष्ठ प्रबंधक (मोब. नं. 9971060267), श्री गौरव पिप्लानी, क्रेडिट अधिकारी (मोब. नं. 8076813616), फोन नं. 011-24693654 ई-मेल आईडी cb0267@canarabank.com

ई-नीलमी की तिथि और समय: 22.08.2019 को अपराह्न 12.30 बजे और अपराह्न 1.30 के बीच
(समापन से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार धारा (क्लॉज) के साथ)

दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि: 21.08.2019 सायं 05.00 बजे तक

गिरवी वाहनों की ई-नीलामी बिक्री निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी:

1. ईएमडी 17.08.2019 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "केनरा बैंक साउथ एक्स । शाखा, नई दिल्ली " या केनरा बैंक खाता संख्या - 0267295000003, IFSC कोड - CNRB0000267 में ऑनलाइन जमा करने के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल www.bankeauctionwizard.com पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ सेवा प्रदाता मैसर्स एंटेर्स सिस्टम्स लिमिटेड, श्री पुष्पराज, मोबाइल नंबर 07503347659, ईमेल pushpraj@antaressystems.com; श्री कुशाल बोस, मोबाइल नंबर - 7686913157 ईमेल kushal.b@antaressystems.com; ई-नीलामी के लिए हेल्पडेस्क नंबर - 9073677150 Extn. - (151) - (152) वेबसाइट www.bankeauctionwizard.com से उठा सकता है।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड की प्रतिलिपि के साथ बोली फॉर्म की एक प्रति और निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रतिलिपि मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, साउथ एक्स शाखा, दिल्ली - 110049 को भेज दी जाएगी।
4. वाहन को आरक्षित मूल्य से कम किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा और भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव में और सुधार कर सकते हैं, जिसके द्वारा बोली लगाने की राशि रु. 10,000/- के गुणकों में बढ़ाई जाएगी।
5. उच्चतम बोलीदाता बोली राशि का 25% तुरंत जमा करना होगा और बोली की राशि का 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री को रद्द करने के रूप में राशि जमा करने में विफलता के मामले में रद्द कर दिया जाएगा, और पहले से ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन को फिर से नीलामी में डाल दिया जाएगा। उपरोक्त पैरा 1 के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।
6. बिक्री की पुष्टि पूरी बोली राशि प्राप्त होने पर उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में की जाएगी।
7. बेची गई राशि के भुगतान/जमा के खिलाफ पुष्टि की जा रही बिक्री पर वाहन को सफल बोलीदाता को "जैसा है वैसा ही है" और "जैसा है वैसा ही है" दिया जाएगा।
8. असफल बोलीदाता को ई.एम.डी. जमा राशि उचित समय के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
9. वाहन में किसी भी दोष के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा और कोई वारंटी नहीं है।
10. कन्वेयन्स, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण के लिए सभी प्रकार के शुल्क, जैसा लागू हो और किसी भी स्थानीय प्राधिकरण आदि को कोई कर, राजस्व/बकाया आदि केवल सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
11. बोलीदाता, यदि वे चुनते हैं, तो 16.8.2019 और 17.08.2019 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच केनरा बैंक, एन -2, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट- 1, दिल्ली -110049 में सार्वजनिक नीलामी शुरू करने से पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते है।
12. बैंक सफल बोलीदाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र/बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा और सफल बोलीदाता के पक्ष में वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण में सहायता करेगा। हालांकि सफल बोलीदाता वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए कदम उठाएगा और कन्वेयन्स, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण के लिए सभी प्रकार के शुल्क इत्यादि को वहन करेगा।
13. बैंक को बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द करने या उच्चतम बोली स्वीकार न करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. वाहन का कब्जा बैंक के पास है। बैंक के ज्ञान के अनुसार, वाहन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है।

विशेष निर्देश/चेतावनी

अंतिम मिनट/सेकेंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने वालों से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोली लगाने वाले या विक्रेता की ओर से न तो केनरा बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति को दूर करने के लिए, बोली लगाने वालों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बैक-अप, बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो ताकि वे ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें और नीलामी में भाग लेने में सक्षम हों।

स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 19.07.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

खरबों डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर

राज्यसभा में बजट पर अपने विचार रखते हुए मैंने कहा कि 'अगर जीडीपी की सांकेतिक वृद्धि दर बारह फीसद रहती है तो हर छह साल में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना होता चला जाएगा। यदि सांकेतिक वृद्धि दर ग्यारह फीसद रहती है तो यह हर सात साल में दोगुनी हो जाएगी।' मैंने वित्त मंत्री से अपील की कि 2024-25 में पांच खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर ठहर नहीं जाएं, बल्कि यह भी बताया कि उसके बाद छह या सात साल में अर्थव्यवस्था का आकार दस खरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा और फिर अगले छह या सात साल में यह बीस खरब अमेरिकी डलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

मेरा इरादा पांच खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की खिल्ली उड़ाना नहीं था। यह एक *उचित* लक्ष्य है (और जब हम इसे हासिल कर चुके होंगे तब हम खुश होंगे), लेकिन यह *असाधारण* लक्ष्य नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं?

आसान-सा गणित

पिछले दस सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की सांकेतिक वृद्धि औसत रूप से बारह फीसद रही है। कृपया ध्यान दें कि यह *सांकेतिक वृद्धि* है। अगर आप अपना गणित लगाते हैं और हर साल के लिए एक सौ को ग्यारह या बारह प्रतिशत से गुणा करते हैं तो आपके समक्ष यह सारणी बनी हुई होगी-

	ग्यारह फीसद पर	बारह फीसद पर
आधार वर्ष	100	100
+वर्ष 1	111	112
+वर्ष 2	123.21	125.44
+वर्ष 3	136.76	140.49
+वर्ष 4	151.81	157.35
+वर्ष 5	168.51	176.23
+वर्ष 6	187.04	**197.36**
+वर्ष 7	**207.62**	

अमेरिकी डॉलर में गणना के लिए यह जरूरी है कि विनिमय दर तर्कसंगत रूप से स्थायी बनी रहे। यदि रुपए-डॉलर की विनिमय दर सत्तर-पचहत्तर रुपए प्रति डॉलर बनी रहती है तो अर्थव्यवस्था जो 2018-19 में 2.75 खरब अमेरिकी डॉलर की रही थी, 2024-25 में पांच खरब अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी। दरअसल, आर्थिक सर्वे में यह मान कर चला गया है कि जब 2024-25 तक जीडीपी का आकार पांच खरब अमेरिकी डॉलर तक होगा तब तक डॉलर के मुकाबले रुपए का पचहत्तर रुपए तक अवमूल्यन हो सकता है। लेकिन वहीं क्यों रुकें?

1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 325 अरब अमेरिकी डॉलर का था जो 2003-04 में इसकी दोगुनी हो गई, और 2008-09 में फिर दोगुनी हो गई और सितंबर 2017 में यह दो गुनी होकर 2.12 खरब अमेरिकी डॉलर की हो गई। भविष्य में भी जीडीपी हर छह या सात साल में दोगुनी हो जाएगी। हरेक उपलब्धि संतुष्टि का कारण होगी लेकिन यह कोई असाधारण उपलब्धि नहीं होगी।

अहम सवाल

ज्यादा महत्त्वपूर्ण सवाल तो ये हैं-

1- हम सांकेतिक वृद्धि को ग्यारह या बारह फीसद से चौदह फीसद तक कैसे ले जाएं (जब भारत दोहरे अंकों वाली दस फीसद की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करेगा)?

2-औसत भारतीय की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर क्या होगी?

3- क्या दस फीसद बेहद गरीबों और दस फीसद बेहद अमीरों के बीच असमानता बढ़ेगी या कम होगी?

हमें इन सवालों के जवाबों की जरूरत है और हमें उन नीतियों की जरूरत है जो धीमी सांकेतिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि और बढ़ती असमानता के कारणों का उपाय बताएं।

दुर्भाग्य से वित्त मंत्री ने वृहद-आर्थिकी की समीक्षा और अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत का आकलन करने से कन्नी काट ली।

इन सवालों के कुछ जवाब तो 2018-19 के आर्थिक सर्वे में मिल सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार, ऊंची वृद्धि के लिए ज्यादा निजी निवेश सबसे जरूरी है। कुछ दिन पहले उन्होंने दोहराया था कि निवेश के लिए सिर्फ घरेलू संसाधन ही पर्याप्त नहीं होंगे और इसलिए विदेशी निवेश महत्त्वपूर्ण है।

संसाधनों की तलाश

घरेलू संसाधनों की कमी के बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो वाजिव कारण बताए हैं, वे चिंता पैदा करने वाले हैं।

सरकारी / सार्वजनिक निवेश सिर्फ कर राजस्वों और सार्वजनिक क्षेत्र की अधिशेष से ही किया जा सकता है। इनमें से कर राजस्वों की स्थिति काफी खराब है। खासतौर से 2018-19 का साल तो बहुत ही निराशाजनक रहा है। फिर भी, सरकार 2019-20 के लिए कर राजस्वों का भारी-भरकम लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। स्पष्टरूप से, मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार की उम्मीदों से सहमत नहीं है।

नीचे दी गई सारणी मुख्य आर्थिक सलाहकार की चिंताओं की पुष्टि करती है-

	बजट अनुमान	2018-19 संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि दर साल दर साल	2019-20 बजट अनुमान	वृद्धि दर साल दर साल
आयकर	529,000	529,000	461,654	7.16	569,000	23.25
केंद्रीय उत्पाद 259,600	259,612	259,612	0.06	300,000	15.55	
सीमा शुल्क	112,500	130,038	117,930	-8.60	155,904	32.20
जीएसटी	743,900	643,900	457,535	3.38	663,33	44.98

(रुपए करोड़ में, वृद्धि दर प्रतिशत में)

यदि सरकार का कर राजस्व का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो सरकार का कुल राजस्व पूंजीगत खर्च की तरह ही भारी दबाव में आ जाएगा, जैसा कि 2018-19 में हुआ था जब सरकार को 1,67,455 करोड़ रुपए का कर राजस्व 'घाटा' उठाना पड़ा और पूंजीगत खर्च पर असर पड़ा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार सही हैं। व्यापक निवेश के अभाव में 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर करीब सात फीसद रहेगी। इसीलिए मुद्रास्फीति को समायोजित कर जो जीडीपी वृद्धि दर सात या आठ फीसद बताई गई है, उसे लेकर सरकारी दस्तावेजों में अस्पष्टता है!

सख्त कानून काफी नहीं

सौरभ जैन

केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बने इस कानून में संशोधन का उद्देश्य बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों पर नकेल कसना है। इसी मंशा से इस कानून में फांसी की सजा तथा अन्य अपराधों पर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून की करीब दस धाराओं में संशोधन किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी बाल अधिकारों की रक्षा के लिए 'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि' एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य करता है।

समाज को अपराध मुक्त बनाने का दायित्व पुलिस प्रशासन का माना जाता है। तर्क दिया जाता है कि कठोर दंड के भय से समाज में अपराधों में कमी आ सकती है, पर ध्यान रहे कि वर्तमान में जिस कानून में संशोधन किया जा रहा है, उसे 2012 में बनाया गया था। तब केवल बारह वर्ष तक के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों में फांसी की सजा निर्धारित थी। पॉक्सो कानून बनाते समय बच्चों के खिलाफ अपराधों को चिह्नित कर त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालत का भी प्रावधान था।

आंकड़ों के मुताबिक 2016 में पॉक्सो कानून के अंतर्गत बच्चियों के साथ बलात्कार के 64,138 मामले दर्ज हुए। इस दौरान देश भर में बच्चों के खिलाफ कुल अपराध के मामलों में 13.5 फीसद वृद्धि दर्ज की गई। वहीं बिहार में इसमें एक सौ पांच फीसद की वृद्धि हुई है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था 'वर्ल्ड विजन इंडिया' द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश का हर दूसरा बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार है। हर पांच में से एक बच्चा यौन उत्पीड़न के खौफ से खुद को असुरक्षित महसूस करता है। हर चार में से एक परिवार ने बच्चे के साथ हुए यौन शोषण की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई। पीड़ितों में लड़के-लड़कियों की संख्या लगभग बराबर बताई गई है। लगभग अट्ठानबे फीसद मामलों में बच्चों के परिचित या संबंधी ही यौन शोषण के आरोपी निकले।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में देश के 53.22 फीसद बच्चों के यौन शोषण का शिकार होने की बात स्वीकार की है। दिल्ली पुलिस के अपराध रिकॉर्ड के अनुसार हर हफ्ते करीब दो बच्चों के साथ यौन शोषण होने के मामले दर्ज होते हैं। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किए गए अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत की दस प्रतिशत लड़कियों को जहां दस से चौदह वर्ष से कम उम्र में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, वहीं तीस प्रतिशत ने पंद्रह से उन्नीस वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार का सामना किया।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने मंदसौर में स्कूली छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में फांसी का कानून बनाया था, लेकिन इस कानून के तहत किसी भी अपराधी को अब तक सजा नहीं हो पाई है। जबकि धारणा यह है कि सख्त कानून समाज को अपराध मुक्त बना सकता है। सख्त कानून की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, पर कानून बना देने मात्र से उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकेगी। कानून बनाने के साथ कानून का क्रियान्वयन भलीभांति हो सके, यह भी बेहद जरूरी है। कानून का क्रियान्वयन न्यायपालिका की जिम्मेदारी है।

देश में बलात्कार संबंधी मामलों के निपटारे के लिए 1023 त्वरित विशेष अदालतों की स्थापना आवश्यक है। इसके लिए कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने 767.25 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है। जब तक ये विशेष अदालतें आकार नहीं लेतीं तब तक न्याय की लंबी प्रक्रिया अपराध के दर्द को बढ़ाती रहेगी। देश में 2006 में यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा की दर 51.8 फीसद थी, तो 2007 में यह दर 49.9 फीसद रही। 2008 में 50.5 फीसद पर आ गई, 2009 में 49.2 फीसद पर जा पहुंची। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2016 के अदालतों के प्रकरण के विषय में बताते हुए यह जानकारी दी है कि वर्ष 2016 में देश की विभिन्न अदालतों में नए-पुराने सहित एक लाख बावन हजार एक सौ पैंसठ मामले चल रहे थे, पर मात्र पच्चीस मामलों का निपटारा हो सका। न्यायाधीशों के रिक्त पद भी एक बड़ी चिंता का विषय है। फरवरी माह में सदन में कानून राज्यमंत्री ने बताया था कि देश में वर्ष 2014 में प्रति दस लाख व्यक्तियों पर न्यायाधीशों की संख्या 17.48 थी, जो वर्ष 2019 आते-आते प्रति दस लाख व्यक्ति पर 19.78 न्यायाधीश तक जा पहुंची है। देश के कुल पच्चीस उच्च न्यायालयों में केवल 679 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चार सौ पद भरे जाने शेष हैं। न्यायपालिका के निचले क्रम में भी यही स्थिति देखी जा सकती है। इसका असर यह है कि अदालतों पर मामलों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सात लाख छब्बीस हजार लंबित मामलों के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय शीर्ष पर है, तथा चार लाख उनचास हजार लंबित मामलों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय दूसरे स्थान पर है। ऐसे में सिर्फ कानून के जरिए अपराध पर नियंत्रण संभव कैसे हो सकता है?

मुद्दा

> मनुष्य के पशुवत आचरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, पर कानून का पालन कराने वाली संस्थाओं की कमियों को दूर करते हुए न्यायिक प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इस दिशा में दूसरी सबसे बड़ी समस्या लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सुस्त पुलिस कार्यप्रणाली है। अपराध के ये तमाम आंकड़े इस भ्रम को दूर करते हैं कि कठोर सजा के भय से अपराधों में कमी आती है। वर्तमान में तो अपराधी अपराध करने के बाद कानून से बच निकलने के पैतरों की जानकारी के चलते निश्चिंत हो जाता है। अपराध करके उसे जरा भी अफसोस नहीं होता। अलवर में एक महिला के साथ कुछ समय पूर्व सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई, लेकिन पुलिस ने रपट दर्ज करने में चार दिन लगा दिए। ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें मामला मीडिया के समक्ष आने पर पुलिस कार्रवाई के लिए बाध्य होती है। भोपाल में एक कोचिंग छात्रा के दुष्कर्म मामले की जांच कर रही महिला अधिकारी पीड़िता के समक्ष जांच के दौरान हंसती हुई नजर आई। ऐसे में अगर कानून सख्त हो भी जाए, लेकिन उसका पालन करवाने वाले लोग अपने कर्तव्य पालन के प्रति ईमानदार न हों, तब किसे दोष दिया जाएगा?

लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सबसे बेहतर उदाहरण निर्भया कांड है। 16 दिसंबर, 2012 को हुए निर्भया कांड के बाद सारा देश सड़कों पर उतर आया था, पर उस मामले में भी निर्णय आने में पांच वर्ष लगे, फिर पुनर्विचार याचिका के कारण एक वर्ष और बीत गया। 5 मई, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी, पर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई। इस तरह इस मामले में फैसला आने में सात वर्ष गुजर गए! यह ऐसा मामला था, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, और न्यायपालिका पर इस मामले की त्वरित सुनवाई का दबाव भी था, फिर भी इतना समय जब इस मामले में फैसला आने में लगा, तो महिला अपराध के अन्य मामलों में स्थिति कितनी गंभीर होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बच्चों के साथ होने वाले अमानवीय अपराध संपूर्ण मानव समाज पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। मनुष्य के पशुवत आचरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, पर कानून का पालन कराने वाली संस्थाओं की कमियों को दूर करते हुए न्यायिक प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान की हकीकत

जिस दिन अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कूलभूषण जाधव मामले में फैसला सुनाया पिछले हफ्ते, मैंने सारा दिन टीवी की चर्चाएं देखने में गुजारा। एक चैनल से दूसरा चैनल बदलती रही और इत्तेफाक से 'आजतक' पर पहुंची, जब रोहित सरदाना एक पाकिस्तानी महिला से 26/11 के बारे में पूछ रहे थे। इस महिला पत्रकार ने कहा कि चाहे 'डीप स्टेट' ने यह करवाया हो या अजमल कसाब ने, बहुत बुरा किया। रोहित ने जब उनसे पूछा कि क्या वे कबूल करती हैं कि पाकिस्तान में 'डीप स्टेट' है, तो मुस्करा कर इस पत्रकार ने जवाब दिया, 'नहीं मैं इंडिया की 'डीप स्टेट' की बात कर रही थी।' यह सुन कर आश्चर्य मुझे इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल यही बात मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से सुनी है बहुत बार।

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

> पाकिस्तान एक अलग यथार्थ में रहता है, सो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला उसके हक में गया है। इमरान खान ने ट्वीट करके अदालत के निर्णय का स्वागत किया, इस आधार पर कि अदालत ने जाधव की रिहाई का आदेश नहीं दिया है और न ही उसको भारत में लाने का।

मेरे पाकिस्तानी दोस्त पढ़े-लिखे, अमनपरस्त लोग हैं, जो भारत आना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है कि इंडिया में 'डीप स्टेट' नाम की कोई चीज नहीं है। मजे की बात यह है कि भारत में सुरक्षा विशेषज्ञों को छोड़ कर बहुत कम लोग हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' है क्या। कई भारतीय पत्रकारों ने लंबे लेख लिखे हैं पिछले दिनों इमरान खान की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका यात्रा पर, जैसे कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बहुत अहमियत रखती हो। मुट्ठी भर हैं, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि असली बातें होंगी जनरल बाजवा से, क्योंकि इमरान खान सिर्फ मुखौटे हैं। इमरान खान इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि वे 'इलेक्टेड' नहीं 'सिलेक्टेड' प्रधानमंत्री हैं।

मैंने पिछले तीस वर्षों से पाकिस्तान को बहुत करीब से देखा है, लेकिन स्वीकार करती हूं कि जब बेनजीर भुट्टो का पहला चुनाव कवर करने गई थी 1988 में एनडीटीवी के लिए, तो मुझे खुद मालूम नहीं था इस 'डीप स्टेट' की ताकत का। जब बेनजीर को पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोगों में इतना उत्साह देखने के बाद, तब मैंने सवाल करने शुरू किए और मालूम पड़ा कि 'डीप स्टेट' ही असली सरकार है पाकिस्तान की। राजनेता चाहे कोई भी हो। इस 'डीप स्टेट' के तीन हिस्से हैं : सेना, मौलाना और सरकारी अधिकारी। यही चलाते हैं पाकिस्तान को, इन्हीं के हाथों में रहती है पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीतियां। इन्हीं की बदौलत पैदा हुई हैं लकर-ए-तैयबा जैसी जिहादी संस्थाएं और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी। दुनिया जानती है कि इनकी इजाजत के बिना अजमल कसाब और उसके साथी मुंबई नहीं आए थे।

समस्या यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अब एक-दूसरे से बात करने के लिए भाषा ही नहीं रही है, सो आज तक हम समझा नहीं पाए हैं पाकिस्तान को कि हम जानते हैं कि 26/11 की पूरी साजिश किसने रची थी और कहां। डेविड हेडली ने अमेरिकी जेल के अंदर से जो बयान दिया है, वही काफी होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मगर काफी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग यथार्थ में रहता है, सो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला उसके हक में गया है। इमरान खान ने ट्वीट करके अदालत के निर्णय का स्वागत किया, इस आधार पर कि अदालत ने जाधव की रिहाई का आदेश नहीं दिया है और न ही उसको भारत में लाने का। इस ट्वीट में इमरान खान यह भी कहते हैं कि कूलभूषण जाधव ने पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध किए हैं और उसको पाकिस्तान के कानून के तहत दंडित किया जाएगा।

सीमा के इस पार से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुशी जताई कि अदालत का फैसला भारत के पक्ष में था, क्योंकि जाधव की फांसी रोक दी गई है और उनसे मिलने का अधिकार अब हमारे रजनयिकों को मिल गया है। मोदी की ट्वीट इमरान खान की ट्वीट से ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है, क्योंकि मोदी असली प्रधानमंत्री हैं और इमरान सिर्फ पुतले हैं पाकिस्तान की 'डीप स्टेट' के हाथों में।

भारत की समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने आरएसएस को इतना बड़ा बनाया है कि मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त हैं, जो मानते हैं कि आरएसएस अब बन गया है भारत में 'डीप स्टेट'। इस तरह की बातें तबसे शुरू हुई हैं जबसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने प्रचार शुरू किया कि 26/11 के पीछे आरएसएस का हाथ था। भारत में हम जानते हैं कि आरएसएस चुनावों के समय भारतीय जानता पार्टी की मदद करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जीते हैं इस बार और पिछले बार भी अपने बल पर। मोदी न होते तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि संघ किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ से ज्यादा सीटें नहीं दिलवा सकती है, लोकसभा में।

संघ के बड़े नेता सरकार के कुछ महकमों में हस्तक्षेप जरूर करते फिरते हैं। यह भी माना कि कुछ नीतियों में भी संघ हस्तक्षेप करता है, लेकिन जब बात होती है विदेश या सुरक्षा नीति की तो इन क्षेत्रों में सवाल ही नहीं है संघ के हस्तक्षेप का। कहने का मतलब है कि भारत में जो लोग 'डीप स्टेट' ढूंढ़ रहे हैं, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब यह बात पाकिस्तान को कैसे समझाई जाए? कैसे समझाया जाए हमारे इस पुराने दुश्मन को कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मोदी ने प्रधानमंत्री बन जाने के फौरन बाद और उसके जवाब में मिले जिहादी हमले। नवाज शरीफ ने जब अमन की तरफ कदम उठाने की कोशिश की, उनको राजनीतिक बिसात से ही हटा दिया गया। ऐसा दूसरी बार हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी दोस्ती करने की कोशिश की, तो जवाब मिला 'डीप स्टेट' से करगिल में। हकीकत यह है कि फिलहाल शांति के सपने देखना बेकार है।

एक धर्मयुद्ध के आसपास

टिक टॉक' घृणा फैलाता है। वह ऐसा 'ऐप्प' है, जो चीन का है। उसमें एक से एक घृणामूलक बातें कही-सुनी जाती हैं। वह बदलेखोरी को उकसाता है। 'बैन' करो। बैन करो।

एक चैनल की मरी-मरी सी बहस में एक 'एंटी टिक टॉक' मैडम बोलती रहीं कि देश तेजी से विकास कर रहा है। उसमें ऐसे 'हेट' संदेश खतरनाक हैं, उनको बैन कर देना चाहिए।

एक अल्पख्यात अभिनेत्री ने प्रतिवाद किया कि यह क्या बात हुई जी? यह तो एक ऐप्प है। आप किस किस ऐप्प को बंद करेंगे? क्या आप फेसबुक बैन करेंगे? ट्विटर बैन करेंगे, जो 'हेट' कमेंटों का अखाड़ा है?

एक 'लिबरल' जी कहे कि ऐप्प सब देशों में नियंत्रित किए जाते हैं, चीन खुद करता है, तो यहां भी नियंत्रित करें। बैन न करें। बैन करना जनतंत्र का गला घोंटना होगा।

एंकर बोली कि भारत में बीस करोड़ 'टिक टॉकिए' हैं और दिन-रात बढ़ रहे हैं। नियंत्रित करना ठीक है।

इधर जल मंत्रालय की स्थापना क्या हुई कि सारी एनजीओ छाप जलरक्षक बिरादरी अपनी-अपनी बिसलहरी ले-ले कर बहसों में आ बिराजी कि इतनी बारिश बेकार जाती है। सरकार कह रही है कि कुछ करना है। हम भी कह रहे हैं कि कुछ करना है। जल संचयन करना है। अगला विश्वयुद्ध पानी पर होना है।...

चैनल बोले कि नीति जब बनेगी तब बनेगी। फिलहाल देखिए पानी पानी पानी पानी।... सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको पानी। हमारा पानी देखिए। हमारे रिपोर्टर गंदे पानी में डूब कर भी आपको पानी दिखाते हैं। अरे चंपक! जरा डुबकी मार के बता कि पानी कितना गहरा है? हाय! मैं चंपक! मेरे गले तक पानी है ये देखिए।

इसी चक्कर में बिहार के उप-मुख्यमंत्री को 'सुपर थर्टी' नामक पिक्चर देखते मीडिया ने देख लिए और कूट दिए गए कि इधर लोग डूब रहे हैं उधर सुशील मोदी पिक्चर का मजा ले रहे हैं।...

पूरे सप्ताह बारिशें ही बारिशें थीं। असम, बिहार, यूपी, राजस्थान में पानी ही पानी था। अस्पताल में पानी, सिनेमा में पानी, दफ्तर में पानी, सड़कों पर पानी।... ये देखिए, मुंबई में वो सौ साला इमारत गिरी, जो पहले से ही 'गिराऊ' थी।

और ये रही चेन्नई। पीने के पानी के लिए तरसती चेन्नई!

फिर भी एक तमिल नेताजी पानी के लिए लड़ने की जगह हिंदी से ही 'फाइट' करने लगते है कि हिंदी ने संसदीय बहसों का स्तर गिरा दिया है कि अंग्रेजी की बहसें बड़े ऊंचे स्तर की होती हैं, लेकिन हमने जब इन हिंदी-द्वेषी जी की 'तंग्रेजी' सुनी, तो धन्य हो गए। विचार का ऐसा महान स्तर था कि चेन्नई के लोग पानी के लिए आपस में लड़ रहे थे और उनके नेताजी हिंदी से लड़ रहे थे।

सिर्फ कर्नाटक ने एक करामाती राजनीतिक कॉमेडी पेश की। न 'फ्लोर टेस्ट' हुआ न मालूम हुआ कि बहुमत किसका है? एक सरकार गिरने से पहले बहस के लंबे नाटक में फंसी रही।

कोई चैनलों से पूछे कि यूपी की उस लड़की की प्रेम कहानी का क्या हुआ?

खबर चैनलों ने बताया था कि यूपी की उस लड़की ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसकी जान को खतरा है, उसे सुरक्षा दी जाए।... लेकिन तभी खबर आई कि इलाहाबाद की अदालत के गेट के बाहर एक युगल को एक गाड़ी में कुछ लोग अगवा कर ले गए हैं।... इस कहानी का क्या हुआ पता नहीं चला। चैनल अचानक चुप लगा गए! क्यों?

इसके आगे कलजुगी खबरों के बीच झारखंड की एक अदालत ने अचानक खबरों में 'धर्मयुद्ध' की वापसी कर दी।

एक हिंदू लड़की द्वारा एक 'हेट-पोस्ट' को फारवर्ड करने के 'अपराध' का संज्ञान लेते हुए झारखंड की एक अदालत ने सजा के रूप में उस लड़की को कहा कि वह लोगों को पांच कुरान बांटे।

इस आदेश के बाद कई हिंदुत्ववादी संगठन मैदान में कूद पड़े। एंकर भी अदालत से पूछने लगे कि क्या यह सेक्युलर निर्णय है? बहसों में कई पैनलिस्ट बोले कि इसमें सांप्रदायिकता की बू आती है। देखते-देखते, खबर चैनलों की बहसें धार्मिक घमासान से भर उठीं।

ऐसे हर अवसर पर खबर चैनल एक ओर दो हिंदू विशेषज्ञ बिठा लेते हैं। दूसरी ओर दो मुसलिम विशेषज्ञ। फिर एक या आधा घंटे लंबा विचारों का एक 'धर्मयुद्ध' छिड़वा दिया जाता है।

कुरान बांटने को लेकर हिंदू विशेषज्ञ कहते कि कुरान बांटने को क्यों कहा अदालत ने? एक वक्ता बोला कि आज कुरान बांटने की कही तो कल क्या मुसलमान बनने को कहेंगे? इसके जवाब में मुसलमान बोलते कि यह तो अच्छी बात है कि कुरान बांटे। सब धर्म बराबर हैं। लेकिन झारखंड के वकीलों ने इस आदेश का विरोध किया और अगले रोज अदालत ने इस आदेश को वापस ले लिया।

लेकिन इस 'धर्मयुद्ध' का पलट-रिकार्ड कोलकाता में बजा। तीन तलाक के खिलाफ 'फाइट' करने वाली, भाजपा की सदस्या इशरत जहां ने बहुत-सी औरतों के साथ एक सड़क पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर के मुसलिम विशेषज्ञों के बीच खलबली पैदा कर दी और 'धर्मयुद्ध' छिड़ गया।

एक ओर दो हिंदू विशेषज्ञ नजर आते, दूसरी ओर दो मुसलिम विशेषज्ञ दिखते। जो मुसलिम विशेषज्ञ कुछ पहले कहते थे कि कुरान बांटना अच्छा है, वही कहते दिखते कि इशरत ने हिजाब पहन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर इस्लाम के अनुसार आचरण नहीं किया। एक सच्चे मुसलमान के लिए दूसरे धर्म के देवता की पूजा करना 'शिर्क' है, 'हराम' है। उधर कुछ पहले जो हिंदुत्ववादी लोग एक हिंदू लड़की को कुरान बांटने के आदेश को लेकर अदालत से नाराज थे, अब कह रहे थे कि इशरत ने अपनी मर्जी से हनुमान चालीसा का पाठ किया है!

खबर चैनलों के प्राइम टाइम में ऐसे 'धर्मयुद्ध' आम बात है।

बारखबर

■ सुधीश पचौरी

> ऐसे हर अवसर पर खबर चैनल एक ओर दो हिंदू विशेषज्ञ बिठा लेते हैं। दूसरी ओर दो मुसलिम विशेषज्ञ। फिर एक या आधा घंटे लंबा विचारों का एक 'धर्मयुद्ध' छिड़वा दिया जाता है।

नई दिल्ली

हम बेच नहीं, बचा रहे हैं

झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर दावा करते हैं कि हम चीजों को बेच नहीं, बल्कि बचा रहे हैं। खनिजों और अन्य संसाधनों से भरपूर झारखंड के विकास में पिछड़ने की वजह वहां लंबे समय तक मजबूत और स्थिर सरकार का न होना बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ मिल कर पैंसठ से ऊपर सीटें लाएंगे। बातचीत कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में निशिकांत दुबे

सभी फोटो : आरुष चोपड़ा

मनोज मिश्र : कुछ दिनों में झारखंड में चुनाव होना है। पिछली बार भी केंद्र में सरकार होने के बावजूद भाजपा को वहां बहुमत नहीं मिल पाया था। इस बार क्या स्थिति लग रही है? बहुमत आएगा या नहीं?

निशिकांत दुबे : बहुमत तो पिछली बार भी आया था। पिछली बार आजसू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, करीब पैंतालीस सीटें आई थीं। पर खुद हम सैंतीस सीटों पर रह गए थे। इस बार हमारा लक्ष्य पैंसठ से ऊपर सीटों का है। लोकसभा के जो नतीजे इस बार आए हैं, अगर उसके आधार पर देखें, तो इस बार अपने दम पर और अपने साथियों के साथ पैंसठ से ऊपर सीटें लाएंगे और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।

पंकज रोहिला : झारखंड में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या केंद्र का सहयोग ठीक से नहीं मिल पाया है या राज्य सरकार खुद नाकाम रही है?

● कुछ विशेष क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से देखें तो पिछले पांच साल में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार एक योजना चलाती थी-इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। इसमें पहले हमारे सत्रह जिले आते थे, अब वे घट कर बारह रह गए हैं। पांच जिले अब मुक्त हो गए हैं। इस दौरान कोई बड़ा नक्सली हमला नहीं हुआ है। जिस नक्सल क्षेत्र विशेष की बात हो रही है, वहां नक्सलवादी अब

अपनी वैचारिक लड़ाई से बाहर हो गए हैं। मेरा मानना है कि यह अब एक लेवी वसूलने का साधन बन गया है। उसमें एक समूह दूसरे को, दूसरा समूह तीसरे को मार रहा है। इसमें विकास एक बड़ा मुद्दा है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग नक्सली समूह से जुड़ जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे शौचालय बनना था, तो गांव-गांव शौचालय बन गए, सभी घरों में बिजली पहुंच गई, हर गांव तक सड़क पहुंच गई। सस्ता चावल हर किसी तक पहुंच रहा है। इस कारण से वहां नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है। मैं कहूंगा कि केंद्र की ज्यादा आक्रामक नीति के कारण केवल झारखंड में नहीं, इसके समीपवर्ती दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह चलता रहा, तो जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, वे भी नहीं रह जाएंगी।

मृणाल वल्लरी : झारखंड में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं?

● कोई भी सभ्य समाज मॉब लिंचिंग को उचित नहीं ठहरा सकता। उसकी निंदा ही की जा सकती है। किसी आदमी को मारना भारतीय संस्कृति का परिचायक नहीं है। जो भी ऐसा करता है, वह गलत है। अगर आप अलग-अलग घटनाओं को अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो कई बार वोट बैंक की राजनीति भी इन चीजों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करती है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को वहां जाकर देखने की जरूरत है कि हकीकत क्या है। देखने की जरूरत है कि जिन्हें दोषी माना जाता है, वे वास्तव में मॉब लिंचर हैं या नहीं, या पुलिस उन्हें बेवजह फंसा रही है। अगर इसे हम देख पाएंगे, तो ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है।

मृणाल वल्लरी : लेकिन माना जा रहा है कि मौके पर इंसाफ करने की जो प्रवृत्ति है, यह पिछले चार-पांच सालों में ज्यादा बढ़ी है। ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप हैं।

● अगर ऐसी घटनाओं के इतिहास में जाएं, तो अनेक उदाहरण मिलेंगे, जो मामूली उत्तेजना के चलते हुई थीं। नोआखली की घटना भी तो एक मामूली उत्तेजना के कारण ही हुई थी न! भारत का एक इतिहास रहा है। इसमें तीन-चार सालों को नहीं देख सकते। भागलपुर का दंगा मेरे सामने हुआ था। उसमें हुआ बस यह था कि शुक्रवार का दिन था और मस्जिद के आगे से ईंटा ले जाया जा रहा था, पर वे उसे ले नहीं जाने दे रहे थे। उसी पर गोली चल गई। दंगा हो गया। तो, यह जो संघर्ष 1914-15 के बाद बहुत बढ़ा है। उसके बाद से सैंतालीस तक के इतिहास को देखेंगे, तो आज की भारत की स्थिति भी वही दिखाई देती है। मुसलिम लीग की स्थापना के बाद कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बनाने का प्रयास किया और देश दंगों की तरफ चल पड़ा, जो विभाजन का कारण भी बना। तो, आज भी अगर हम इसे वोट बैंक की राजनीति से अलग हट कर नहीं देखेंगे, तो नतीजा वही रहने वाला है। इसलिए सभी दलों को मिल कर सोचना है कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

सूर्यनाथ सिंह : मगर ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या इसे न रोका जा पाना सरकारों की विफलता नहीं मानी जानी चाहिए?

● प्रशासन बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। सारे राज्य पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। अगर दूसरे देशों की तुलना में इस देश में अपराध कम हैं, तो इसलिए कि आज भी यह देश पाप और पुण्य से चलता है। आप किसी भी पुलिस बल की बात कर लीजिए, हर जगह संसाधनों की कमी है। हर किसी व्यक्ति को सुरक्षा दे पाना पुलिस के वश की बात नहीं। जैसे मैं झारखंड का उदाहरण दूं, तो वहां आर्थिक संकट इतना है कि हम सोच नहीं पाते कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जब तक एक सामाजिक क्रांति नहीं होती, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। जब तक हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, जब तक सार्वभौम कानून की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।

आर्येंद्र उपाध्याय : राज्य घोर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, पर केंद्रीय वित्तमंत्री कहती हैं कि हम पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। यह विरोधाभासी नहीं है?

● विरोधाभासी नहीं है। आप यह समझें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक लक्ष्य दिया। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 1.8 खरब डॉलर था, जो अब तीन खरब डॉलर का होने जा रहा है। अब पांच खरब तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम निवेश लाने की बात कर रहे हैं। इसमें बैंक बहुत वित्त पोषण में सक्षम नहीं होते। बॉण्ड मददगार होते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी के जरिए मजबूत हुई है। हमारे यहां पचास-साठ सालों में किसी ने बॉण्ड का बाजार विकसित करने के बारे में नहीं सोचा। यह पहला बजट है, जिसमें इसे विकसित करने की बात हुई है। अगर यह बॉण्ड बाजार विकसित होगा, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में भारी खर्च करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी से हम पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच पाएंगे। हम राज्यों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे लोगों को मुफ्त की योजनाएं न दें, उन्हें काम में लगाएं।

मनोज मिश्र : झारखंड अलग राज्य बना, तो कहा जा रहा था कि दुनिया का सबसे अधिक संसाधन वहां है, वह सबसे अमीर राज्य बनेगा। मगर ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा क्यों?

● इसमें एक कारण तो यह कि जबसे वह राज्य बना है, वहां कोई भी स्थिर सरकार नहीं बनी। गठबंधन सरकारें ही ज्यादा बनीं। इसलिए विकास को लेकर जो सोच होनी चाहिए थी, वह विकसित नहीं हो पाई। उदाहरण के लिए बताऊं, तो रेल की जो कमाई है, उसका चालीस फीसद अकेले झारखंड से आता है, मगर उसका कोई भी मुख्यालय झारखंड में नहीं है। इसी तरह कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि देश की सबसे अधिक कोयला खदानें वहां हैं। उद्योगपतियों की बड़ी कमाई झारखंड से होती है, पर उनके मुख्यालय वहां नहीं हैं। झारखंड की कमाई दूसरे राज्यों में जा रही है। इसी तरह झारखंड का बहुत सारा पानी दूसरे राज्यों को चला जाता है। इसकी वजह से हमारे उद्योगों और खेती-किसानी के लिए पानी नहीं मिल पाता। इसके ऊपर राज्य सरकार को जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से वहां पर्याप्त विकास नहीं हो पाया।

मुकेश भारद्वाज : सड़कों का विकास अच्छी बात है, पर उसके लिए जो कर लगाए जाते हैं, उससे कमजोर तबका भी प्रभावित होता है। कार वालों पर तो टोल लगाते हैं, पर बस वालों पर भी वह लागू होता है तो बस का किराया बढ़ जाता है। यह कहां तक ठीक है?

● गडकरी जी कह चुके हैं कि उन्होंने बसों पर टोल खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। केवल यात्री बसें नहीं, बच्चों को लाने-ले जाने वाली बसों को भी उसके दायरे से अलग रखा जाएगा।

दीपक रस्तोगी : एक दौर में राष्ट्रीयकरण की नीति लागू की गई थी। अब निजीकरण की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। इस तरह राज्य का कल्याणकारी पक्ष कैसे मजबूत होगा?

● कांग्रेस ने जो कुछ किया, वह नारे से ज्यादा कुछ नहीं किया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस वक्त संसद में श्रीमती गांधी ने जो भाषण दिया था, उसे पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में बहुत अंतर है। यह तीस से पैंतीस फीसद है। इस तरह अलग-अलग क्षेत्रों में धन का बंटवारा करने में मुश्किल होती है। अब इतने सालों बाद पता कर लीजिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वही तीस से पैंतीस फीसद है। तो, जो मुख्य कारण दिया था उन्होंने वह तो विफल हो गया। 2007 तक सभी बैंकों ने मिल कर करीब तेरह लाख करोड़ कर्ज दिया था। 2014 आते-आते यह कर्ज बढ़ कर बावन लाख करोड़ हो गया। इसके कारण आज यह स्थिति हो गई है कि बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियां बढ़ती गईं।

उद्योगपतियों की बड़ी कमाई झारखंड से होती है, पर उनके मुख्यालय वहां नहीं हैं। झारखंड की कमाई दूसरे राज्यों में जा रही है। इसी तरह झारखंड का बहुत सारा पानी दूसरे राज्यों को चला जाता है। इसकी वजह से हमारे उद्योगों और खेती-किसानी के लिए पानी नहीं मिल पाता।

मगर हम उन नीतियों को ढो रहे हैं। इसी तरह तमाम क्षेत्रों में हो रहा है। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल तथा एअर इंडिया वगैरह का विनिवेश उसी वक्त हो गया होता, तो इनकी दशा ऐसी न रहती। सरकार का काम बेहतर माहौल बनाना है। सरकार यह भी नहीं कह रही है कि पूर्णतः विनिवेश करेंगे। वह इक्यावन फीसद तक करना चाहती है, ताकि उस पर सरकार का नियंत्रण रहे। हम बेच नहीं रहे, बचा रहे हैं।

मृणाल वल्लरी : प्रचंड बहुमत वाले नेता मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत से लेकर सोनभद्र तक के मामलों में जनता से दूर क्यों दिखते हैं?

● एकाध घटनाओं से आप मूल्यांकन नहीं कर सकतीं। मुजफ्फरपुर की घटना से निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती। पर वैधानिकता की जो समस्या है, वह बहुत बाधा पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने भाषण में ही कहा था कि जहां-जहां अच्छे अस्पताल नहीं हैं, वहां एक-एक एम्स दे दें। जहां तक सोनभद्र की घटना का प्रश्न है, कोई भी सभ्य समाज ऐसी घटना को उचित नहीं कह सकता। जमीन का विवाद देश में इतनी जगह है कि सरकार सबको संभाल नहीं सकती। मगर फिर भी वहां की सरकार ने उस मामले में कड़े कदम उठाए हैं। मैं फिर कहूंगा कि जब तक समाज जागरुक नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं पर काबू पाना चुनौती बनी रहेगी।

प्रस्तुति : सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

जनसत्ता बारादरी

निशिकांत दुबे

लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर झारखंड के गोड्डा से सांसद बने निशिकांत दुबे का जन्म 28 जनवरी, 1969 को बिहार के भागलपुर में हुआ। इनकी गिनती लोकसभा के उन सांसदों में होती है, जो पूरी तैयारी से जनहित के मुद्दे उठाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रबंधन की पढ़ाई की और उसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और काफी समय उसके विस्तारक रहे। भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहने के बाद स्वदेशी जागरण मंच में सक्रिय हुए। पंजाब और हरियाणा के प्रभारी रहने के दौरान ही स्वदेशी मेले की शुरुआत करवाई। गाय काटने वाले बूचड़खानों पर रोक लगवाने के लिए साढ़े सात सौ किलोमीटर की पदयात्रा की। अपनी लोकसभा सीट को आदर्श लोकसभा सीट बनाने का दावा करते हैं।

किताबें मिलीं

जन्म से ही जीवित है पृथ्वी

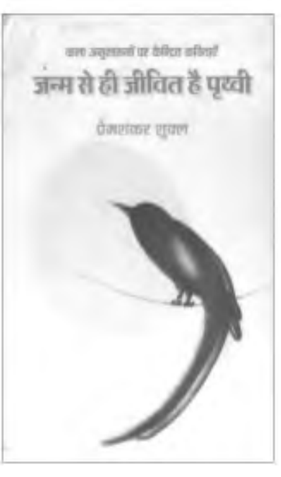

इस संग्रह का कवि कलाओं की समानधर्मिता का नहीं, कलाओं के पारस्परिक रूपांतरण का कवि है। यही नहीं, वह कलाओं के पारस्परिक रूपांतरण को कविता का विषय बनाते हुए कलाओं के आंतरिक जगत तक जा पहुंचता है।

कलाओं का यह पारस्परिक रूपांतरण कवि की कल्पना भर नहीं है। दरअसल यह कलाओं के संसार की निजी वास्तविकता है। इसी में कलाओं का अध्यात्म भी खुलता है। प्रेमशंकर शुक्ल कला के इस अध्यात्म के कवि हैं। कला के अध्यात्मजगत में वस्तुएं अपना अंतर खोलती हैं, जड़ चेतन हो उठता है, चेतन जड़ बन जाता है। 'जन्म से ही जीवित है पृथ्वी' का कवि कहता है कि श्रवणकुमार को तीर लगता है, और मुर्च्छित होता है गायक का इकतारा; गायक इकतारे के तार को छेड़ रहा है, तार से होने की हिचकी उठती है। इन कविताओं में कवि कला की सृष्टि और उसके अस्वाद दोनों की रमणीय व्याख्या करते हैं।

आज के समय में जब कविता और सारी कलाएं लगातार हाशिये पर पटकी जा रही हों, कलाओं के संसार को कला के द्वारा ही फिर से पहचानने का यह उपक्रम उन्हें हमारे समय और समाज से सार्थक रूप में जोड़ने की एक पहल कहा जा सकता है। इन कविताओं को पढ़ कर हम अनुभव करते हैं कि कलाएं हमारे लिए क्या कर सकती हैं। वास्तव में यह कविता संग्रह कलाओं के विस्मयलोक का चकित कर देने वाला आख्यान है। वह हमें उस अनोखे संसार में ले जाता है जिसमें हम अपने खोये हुए मनुष्य को फिर से पा सकते हैं।

जन्म से ही जीवित है पृथ्वी : प्रेमशंकर शुक्ल; सूर्य प्रकाशन मंदिर, नेहरू मार्ग (दाऊजी रोड), बीकानेर; 500 रुपए।

हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे

ठाकुर प्रसाद सिंह की इस कृति में संग्रहित निबंधों की छटा-खुशबू अपनी अलग धज लिए है। हृदयग्राही हंसमुख भाषा, स्थानीय रंजकता, व्यंग्य की मार्मिकता, मिथक और इतिहास की गहरी समझ तथा सांस्कृतिक भाव-संपन्नता से ये लेख समृद्ध हैं। साहित्य-संस्कृति और राजनीति से जुड़े समसामयिक मुद्दों और घटनाओं पर लिखे गए ये आलेख लेखक की सामाजिक संलग्नता और बेचैनी को द्योतित करते हैं। सजावटी और निरर्थक लेखन से कोसों दूर रहने वाले तथा अपनी ईमानदारी एवं सांस्कृतिक सक्रियता के लिए ख्यात श्री सिंह अपने समय के बहुत जरूरी सवालों से यहां मुठभेड़ करते दिखते हैं। धर्म, वाद और पार्टी निरपेक्ष उनकी दृष्टि सत्यानुसंधान की अपनी कोशिश में तात्कालिकता को लांघती है, राजनीति से लेकर धार्मिक-साहित्यिक सामंतों-महंतों का मुलम्मा उतारने से हिचकती नहीं, अपने मनीषियों के दाय, शिक्षा, सांस्कृतिक परंपरा को भी भूलती नहीं।

इनमें पत्रकारीय पैनापन है सनसनी नहीं, साहित्यिक अंतर्दृष्टि है सतहीपन नहीं। बनारस-लखनऊ-इलाहाबाद का परिपार्श्व, उनकी छोटी-बड़ी साहित्यिक-राजनीतिक शख्सियतें और अकादमिक-सांस्कृतिक संस्थाएं- बहुत कुछ विवेचन के घेरे में है भारतेंदु-प्रेमचंद, कबीर-तुलसी और गांधी की अंतर्दृष्टि के साथ, गंगा और हिंदी की संवेदना के साथ।

हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे : ठाकुर प्रसाद सिंह; प्रतिश्रुति प्रकाशन, 7 ए, बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता; 180 रुपए।

अच्छा तो तुम यहां हो

राजेंद्र करीने के कथाकार हैं। वे कहानियों का 'कंटेंट' इर्द-गिर्द घट रही घटनाओं में तलाशते हैं। लोक के वृत्त में रहते हुए चीजों का संधान करने की कला उनके पास है और उनका यह हुनर उनकी कहानियों में बखूबी झलकता है। चाहे 'अच्छा तो तुम यहां हो' के स्त्री-पुरुष हों या 'जयहिंद' के कलेक्टर या कमांडर या 'पाइपर माउस' का नायक चूहा, हमें बेहद अपने लगते हैं, हमारे अपने बीच के परिचित और जाने-पहचाने।

राजेंद्र घटनाओं और संवादों की लटों से कहानी को बहुत जतन से गूंथते हैं। उनकी भाषा उनका साथ देती है। कहीं लड़खड़ाते नहीं और न ही हड़बड़ी में भागते दीखते हैं। सधी हुई चाल। तनाव और लगाव दोनों को बहुत सलीके से व्यक्त करते हैं। वे अपनी ओर से नहीं बोलते, बल्कि वाकये और किरदार बोलते हैं। उनके पात्र पाठक को अपने साथ देर और दूर तलक ले चलने की कुव्वत रखते हैं। वे श्ब्दों को विचारों की मद्धिम अंच में पकाते हैं। रिश्तों की सांद्रता को चीन्हते हैं और कलम से रिश्तों की देह में धंसी किरचों को बीनते हैं। उनकी कथायात्रा हताशा, नैराश्य, अवसाद अथवा पलायन के साथ समाप्त नहीं होती, वह साहसपूर्वक आगे की यात्रा की भूमिका रचती है। इन लंबी कहानियों में वे कहीं भी शिथिलता या स्फीति के शिकार नहीं होते। आज के समय की ये कहानियां समकालीन कथा जगत को समृद्ध करती हैं।

अच्छा तो तुम यहां हो : राजेंद्र चंद्रकांत राय; भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली; 220 रुपए।

साहित्य मीडिया संवाद

हर साहित्यकार में एक पत्रकार रहता है। इसलिए कई साहित्यकार और पत्रकार दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से सन्नद्ध होते हैं जब वह साहित्यकार होता है तो 'वस्तु सत्य' को उलांघ कर सर्जक हो जाता है। यों दोनों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यथार्थ एक ही होता है। दोनों की परिस्थितियां और परिदृश्य भी समान होते हैं, सरोकार भी लगभग एक से होते हैं। अंतर यहां आता है कि साहित्यकार भी लेखन-प्रक्रिया दोहरी होती है। पहले बाहर से भीतर को आए यथार्थ को अपने भीतर संजो कर उससे अलग होना, दूरी बनाकर भीतर से बाहर के सच पर आना। अर्थात दिए गए यथार्थ से साक्षात, उसका संमजन, फिर उस सृजनात्मक अनुभव का सृजन। लेकिन पत्रकार सिर्फ बाहर के यथार्थ में ही जूझता है। उसका 'वस्तु सत्य' ही प्रमुख होता है तो भी उसकी 'संवेदना' और 'सृजनात्मकता' उसकी पत्रकारिता को अधिक मार्मिक और संवेदी भी बना देती है।

साहित्यकार अपने यथार्थ को सामाजिक, राजनीतिकस सांस्कृतिक परिदृश्य में पात्रों, स्थितियों और किसी घटना या कथ्य में गढ़ता है। उनके नीचे होकर भी उनसे अलग। पत्रकार की यात्रा एकतरफा होती है। दिए गए यथार्थ से मुठभेड़। जो जैसा है, वही सत्य है। उसी का उद्घाटन उसका लक्ष्य है। इस पुस्तक में संकलित लेख, साहित्य और पत्रकारिता के बीच संचरण और संवाद है।

साहित्य मीडिया संवाद : कमल कुमार; यश पब्लिकेशंस, 1/10753 सुभाष पार्क, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली; 395 रुपए।

नई दिल्ली

तमिलनाडु में 16 ठिकानों पर एनआइए के छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन अल कायदा और आइएस की शह व मदद से देश भर में आतंकी हमलों की साजिश का राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने खुलासा किया है। एनआइए ने 'अंसारुल्ला' नामक आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े 16 ठिकानों पर छापे मारे। तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर शनिवार को छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान, दस्तावेज जब्त किए गए।

एनआइए ने मामले के संबंध में हाल में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस छापेमारी से एक दिन पहले एनआइए की विशेष अदालत ने जांच एजंसी को उन 16 लोगों को आठ दिन की हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए 14 लोग व दो स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े इन सभी को आठ दिनों के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया गया है। सभी तमिलनाडु के हैं।

एनआइए के मुताबिक, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पांच जगहों, थेनी में दो जगहों के साथ ही चेन्नई, मुदरै, तिरुनेलवेली, तंजौर, पेरंबालूर, नागापट्टिनम और थिरवरूर जिलों में एक-एक जगह पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान एक लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, तीन मेमोरी कार्ड, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, दो पेन ड्राइव, एक इंटरनेट डोंगल, नौ सीडी/डीवीडी और करीब 50 दस्तावेज जब्त किए गए। जब्त की गई सामग्री एनआइए की विशेष अदालत में पेश की जाएगी और डिजिटल उपकरणों को साइबर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।

एनआइए ने कहा कि मामला इस पुख्ता सूचना पर दर्ज किया गया था कि आरोपी आतंकी संगठन आइएस, अलकायदा और सिमी से भारत में और भारत के बाहर संबद्ध थे। उन्होंने आतंकी संगठन 'अंसारुल्ला' बनाकर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची और तैयारी की। एनआइए का कहना है कि आरोपी सदस्यों और उनके सहयोगियों ने देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए रकम जुटाई और तैयारियां कीं।'

एनआइए ने आरोप लगाया कि वे अंसारुल्ला नामक एक आतंकवादी समूह बनाने के लिए एक साथ आए थे। ये लोग भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने फंड इकट्ठा किया था और इससे आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी की थी। इस समूह के सदस्य चाकू, वाहन और जहर का उपयोग कर लोन-वुल्फ हमलों को अंजाम देने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। ये लोग नियमित रूप से वीडियो और अन्य जिहादी प्रचार सामग्री सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे थे, ताकि उनके समर्थकों को विस्फोटक, जहर, चाकू और वाहन के उपयोग से आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित कर सके।

यूएई से प्रत्यर्पित कर लाए गए इन लोगों की पहचान 58 साल के मोहम्मद इब्राहिम, मीरान घानी (33), गुलाम नबी असथ (37), रफी अहमद (55), मुंतशिर (39), उमर बरोक (48), फारूक (26), मोहम्मद शेख मैथेन (40), अहमद अजहरुद्दीन (27), तौफीक अहमद (27), मोहम्मद इब्राहिम (36), मोहम्मद अफजल (29), मोहिदीन सेनी शाहुल हमीद (59) और फैजल शरीफ (44) के रूप में की गई है। इनके अलावा नागापट्टिनम के दो व्यक्तियों - हसन अली और हरीश मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया है।

एनआइए के एक अधिकारी ने बताया कि अंसारुल्ला का इरादा भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों पर आतंकी हमला करके देश में शरिया कानून लागू करना है। यह संगठन यमन के इसी नाम वाले आतंकवादी संगठन से जुड़ा है। यमन के अंसारुल्ला को हूती विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। हूती विद्रोहियों पर सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोप है। अंसारुल्ला संगठन भारत में वहादत-ए-इस्लाम, जिहादिस्ट इस्लामिक यूनिट और जमात वहादत-ए-इस्लाम अल जिहादिया के नाम से भी सक्रिय है।

पीड़ितों से मिलकर छलक पड़ीं प्रियंका की आंखें

पेज 1 का बाकी

प्रियंका से मिलने में भी कठोरता दिखाई। प्रियंका ने इस पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वे (पीड़ित परिजन) बहुत कष्ट में यहां आए हैं, कम से कम उन्हें मिलने तो दिया जाए। प्रियंका ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मिलने आए पीड़ित परिवार के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इनको आने दिया है बाकी 15 लोग हैं, पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी उन्हें गेट पर रोका जा रहा है। इसलिए मैं वहां जा रही हूं... मुझे रोका जा रहा है। मैं कह रही हूं कि उन्हें आने दीजिए। इतने कष्ट में आए हैं। कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए।' प्रियंका से मिलने आए कुछ लोगों ने भी दावा किया कि उन्हें प्रियंका से मिलने से रोका गया।

बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय राय ने बताया कि पीड़ित परिवारों के 12 सदस्यों ने गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके साथ राय ने यह भी कहा, 'कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मिर्जापुर जिला प्रशासन के बीच गतिरोध समाप्त हो गया है।' पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, 'इन बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं, जिनके बच्चे और माता-पिता अस्पताल में भर्ती हैं। ये लोग पिछले डेढ़ महीने से अपनी दिक्कतों के बारे में प्रशासन को सूचित कर रहे थे।'

उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं के खिलाफ कई फर्जी मामले भी दर्ज किए गए हैं। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने पांच सूत्रीय मांगें रखी, जिसमें 25 लाख रुपए की सहायता राशि और जमीन पीड़ित परिवारों के नाम कराने की मांग शामिल है। प्रियंका ने आदिवासियों पर दर्ज गलत मुकदमा वापस लेने के साथ पीड़ितों के लिए सुरक्षा की भी मांग की। प्रियंका के यहां से जाने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली।

हम डरने वाले नहीं : राहुल

पेज 1 का बाकी

इन हथकंडों से डरकर दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेगी। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया, 'सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को तानाशाही प्रवृति वाली यूपी सरकार का चुनार गेस्ट हाउस में कैद करके बिना बिजली-पानी के रातभर रोके रखना लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस इन हथकंडों से डरकर दलितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेगी।'

कांग्रेस का आरोप है कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर शुक्रवार रात जिस चुनार गेस्ट हाउस में रखा गया था, वहां की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई थी।

गौरतलब है कि प्रियंका को शुक्रवार को सोनभद्र जाने से प्रशासन ने रोक दिया। वो बुधवार को हुए इस सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहीं थी। प्रियंका प्रशासन के इस कदम के विरोध में धरने पर बैठ गईं। बाद में उन्हें चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। शनिवार सुबह पीड़ित परिवारों के कुछ लोग खुद वहां पहुंचे और प्रियंका से मिले।पिछले दिनों सोनभद्र में जमीन विवाद में एक ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर कथित तौर पर गोलीबारी की जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे कर्नाटक के राज्यपाल : नारायणसामी

पुदुचेरी, 20 जुलाई (भाषा)।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला पर राज्य के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों में अपनी शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

नारायणसामी ने यहां संवादाताओं से कहा कि राज्यपाल बिना किसी औचित्य के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों में दखल दे रहे हैं।इसके अलावा नारायणसामी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राज्य में कथित तौर पर अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए पार्टी की आलोचना की।

डिजिटल पेमेंट से बढ़ी रेलयात्रियों की संख्या

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

ऑन लाइन टिकट आरक्षण से देश में रेल यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट का प्रयोग पश्चिम रेलवे में होता है। इस सेवा का विस्तार होने से इन केंद्रों पर टिकट व यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। त्योहारों व छुट्टियों में विशेष ट्रेनों की बुकिंग के लिए लोग ऑन लाइन के माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

देश में सबसे अधिक पश्चिमी रेलवे में ऑन लाइन टिकट बुकिंग होती है। 2018-19 में पश्चिम रेलवे में अप्रैल से जून माह में 8,76,444 टिकट की बुकिंग की गई थी और इन टिकट के माध्यम से 56,46,134 यात्रियों ने सफर किया था। जबकि 2019-20 में इसी दौरान यह बुकिंग 27,57,661 टिकट रही। इन पर 1,89,61,659 यात्रियों ने रेल से सफर किया है। इस दौरान में टिकट बुकिंग में 214.44 फीसद, यात्री संख्या में 235.83 फीसद और कमाई में 226.05 फीसद का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी आधार पर मंत्रालय डिजिटल पेमेंट के प्रयोग के बाद टिकट आरक्षण में बढ़ोतरी होने का दावा किया है।

मंत्रालय के मुताबिक यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल के माध्यम से टिकट बुकिंग, ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से टिकट खरीद (एटीएम), जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक जैसे प्रावधान किए हैं। इसकी मदद से यात्रियों को आसान व घर के नजदीक ही टिकट सेवा उपलब्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि जो यात्री चार्ट बनने से पहले खाली बर्थ की टिकट खरीदेगा, उसे 10 फीसद तक सस्ता टिकट मिलेगा। यह ऑफर हमसफर व फैक्सी फेयर ट्रेनों में और भी आर्कषक रहा है। इनमें चार दिन पहले तक टिकट बुकिंग पर 60 फीसद की छूट दी जा रही है।

देश को हाई स्पीड ट्रेन के लिए 2023 तक का इंतजार करना होगा। रेल मंत्रालय ने इन ट्रेन के लिए मुंबई व अमदाबाद कॉरिडोर का चयन किया है। इसमें जापान की तकनीक से निर्मित ट्रेन चलाने की योजना है। यह 1,08,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 81 फीसद की आर्थिक सहायता शामिल है।

महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक मामलों की समिति भंग की

श्रीनगर, 20 जुलाई (भाषा)।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) को भंग कर दिया।

पीडीपी के 28 जुलाई को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस के एक सप्ताह पहले यह घटनाक्रम हुआ है। पीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'महबूबा मुफ्ती ने पीएसी को भंग कर दिया है और निकट भविष्य में नई इकाई पुनर्गठित की जाएगी।' पीडीपी अध्यक्ष के इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

मोहम्मद खलील बंध, अल्ताफ बुखारी, हसीब द्राबू, इमरान अंसारी, आबिद अंसारी और अब्बास वानी (सभी पूर्व विधायकों) समेत कई नेता पीडीपी से अलग हो चुके हैं।

आनंदीबेन यूपी और धनखड़ बंगाल के राज्यपाल नियुक्त

पेज 1 का बाकी

को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है जबकि बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन उनका स्थान लेंगे। पटेल जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थीं। फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो लालजी टंडन का स्थान लेंगे।

विज्ञप्ति के मुताबिक, दिग्गज भाजपा नेता और बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन मध्य प्रदेश में पटेल की जगह लेंगे। उन्हें पिछले साल अगस्त में राज्यपाल नियुक्त किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया कि छत्तीसगढ़ से भाजपा के दिग्गज नेता रमेश बैंस को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह पदभार पिछले साल अगस्त से कप्तान सिंह सोलंकी के पास था। सोलंकी जुलाई 2014 से हरियाणा और फिर त्रिपुरा के राज्यपाल बने थे। उनका कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार, खुफिया ब्यूरो के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक और नगा वार्ता के पूर्व वार्ताकार एन रवि को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

1976 बैच के आइपीएस अधिकारी रवि ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम किया है और मुख्य रूप से उन्होंने सरकार के साथ समझौते के लिए प्रमुख नगा समूह एनएससीएन-आईएम के साथ संधि पर काम किया है।

आइएमए पोंजी मामला : मुख्य आरोपी 23 जुलाई तक ईडी की हिरासत में

बंगलुरु, 20 जुलाई (भाषा)।

धन शोधन रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने कई करोड़ों रुपए के पोंजी मामले में गिरफ्तार आईएमए ज्वैल्स के मालिक मोहम्मद मंसूर खान को शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया। खान पहले दुबई चला गया था और फिर बाद में भारत लौटने पर ईडी ने शुक्रवार को नई दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारी ने बताया कि खान को शनिवार को बंगलुरु लाया गया था और पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था। जहां ईडी ने उसे हिरासत में भेजने की मांग की थी।

अभिनेता एजाज खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा)।

सोशल मीडिया पर कथित सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले वीडियो अपलोड करने के मामले में यहां की एक अदालत ने अभिनेता एजाज खान को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ भादंसं की धारा 153ए (धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने) के तहत मामला दर्ज किया था। अभिनेता ने नौ जुलाई को एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर दो वीडियो अपलोड किए थे।

पहला वीडियो झारखंड में हुई कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डालने की घटना से संबंधित था। इसमें खान ने एक खास समुदाय के लोगों से कथित तौर पर एकजुट होने और बदला लेने को कहा था।

दूसरे वीडियो में खान एक कथित भड़काऊ वीडियो को लेकर पांच युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर पुलिस तंत्र का मजाक उड़ाते दिखे थे।

पुलिस ने खान को शुक्रवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया था जहां से उन्हें शनिवार तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। शनिवार को खान को पुनः मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभिनेता के वकील ने कहा कि वह अब मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत याचिका दायर करेंगे।

सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया अमरिंदर सिंह ने

पेज 1 का बाकी

ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित करते हुए राज्य मंत्रिमंडल से 10 जून को दिए अपने इस्तीफे को सार्वजनिक कर दिया था। सिद्धू ने 15 जुलाई को यहां अमरिंदर के आधिकारिक आवास पर अपना इस्तीफा पत्र भेजा था। उस समय अमरिंदर दिल्ली में थे।

इस सप्ताह दिल्ली आए सिंह ने मंगलवार को कहा कि वे चंडीगढ़ पहुंचकर पत्र के बिंदुओं पर गौर करने के बाद ही सिद्धू के इस्तीफे पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार शाम को चंडीगढ़ लौट आए। अमरिंदर ने दिल्ली में कहा था कि अगर सिद्धू अपना काम नहीं करना चाहते हैं तो वे कुछ नहीं कर सकते। सिद्धू की गैरमौजूदगी में धान की बुवाई के मौसम और राज्य में गर्मी के कारण बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर अमरिंदर ही बिजली विभाग के कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। विभागों में तब्दीली किए जाने के बाद से ही सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर ने मीडिया से दूरी बना रखी थी। सिंह और उनके मंत्री के बीच तनाव पिछले महीने तब जगजाहिर हो गया था जब मुख्यमंत्री ने सिद्धू पर स्थानीय सरकार विभाग को संभालने में अकुशलता का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि इसकी वजह से लोकसभा चुनावों में शहरी इलाकों में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया।

बहरहाल, सिद्धू ने कहा था कि उनके विभाग को सार्वजनिक तौर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। सिद्धू ने नौ जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और उन्हें 'स्थिति बताते हुए' एक पत्र सौंपा था। साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व भाजपा नेता सिद्धू का पिछले कुछ समय से अमरिंदर से टकराव चल रहा है।

लोकसभा चुनाव के दौरान अमरिंदर ने 17 मई को बठिंडा में प्रचार करते हुए सिद्धू के 'फ्रेंडली मैच' वाली टिप्पणी पर काफी गुस्सा जताया था। सिद्धू ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मुद्दे पर राज्य में कांग्रेस सरकार को कथित तौर पर घेरते हुए सवाल उठाया था कि बादल परिवार के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई। इस पर अमरिंदर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सिद्धू पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था, 'अगर वे सच्चे कांग्रेसी हैं तो उन्हें अपनी शिकायतें बताने के लिए पंजाब में मतदान से महज कुछ समय पहले के बजाय उपयुक्त समय चुनना चाहिए था।' अमरिंदर ने कहा था, 'वे ऐसे गैरजिम्मेदाराना कार्यों से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह उनका चुनाव नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस का चुनाव है। शायद वे महत्त्वाकांक्षी हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।' इससे पहले भी अमरिंदर और सिद्धू के बीच तनाव जनता के समक्ष आ चुका है।

पिछले साल सिद्धू ने हैदराबाद में कहा था, '(कांग्रेस प्रमुख) राहुल गांधी मेरे कैप्टन हैं।...राहुल गांधी कैप्टन (अमरिंदर) के भी कैप्टन हैं।' अमरिंदर ने भी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा के दौरान सिद्धू के पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाने पर नाराजगी जताई थी।

पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर मोर्टार दाग कर और छोटे हथियारों से गोलीबारी करके संघर्षविराम का उल्लंघन किया। इसमें एक ग्रामीण घायल हो गया। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, 'करीब नौ बजे पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर में बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी और मोर्टार से गोले दागे।' प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

उन्होंने बताया कि मनकोट क्षेत्र में बलोनी के नायब सरपंच जफर उल्लाह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर लिखे जाने तक सीमापार से गोलाबारी जारी थी। गोलाबारी से सीमावर्ती लोगों में दहशत फैल गई। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है।

सीमा पार से गोलाबारी ऐसे दिन हो रही है जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' के 20 साल पूरे होने पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे।

ट्रक से टकराई कार, नौ विद्यार्थियों की मौत

पेज 1 का बाकी

से गुजरी थी, उसके कर्मचारियों ने भी बताया कि कार तेज रफ्तार से जा रही थी। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बंडगार ने कहा कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति के शरीर में कुछ हरकत हो रही थी। उसे तत्काल समीप के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चालक दल के 23 लोग फंसे, इनमें 18 भारतीय शामिल

पेज 1 का बाकी

उसे अपने कब्जे में ले लिया। हरमूज जलडमरूमध्य की इस घटना पर ब्रिटेन समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। इस तेल टैंकर का नाम 'स्टेना इंपरो' है। चालक दल के सदस्यों में भारतीयों के अलावा रूसी, लातवियाई और फिलीपीन के नागरिक शामिल हैं। पोत की मालिक जहाजरानी कंपनी 'स्टेना बल्क' है। उसने एक बयान में कहा कि हारमूज जलडमरूमध्य पार करने के दौरान जब जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था तभी अज्ञात छोटी नावों और एक हेलिकॉप्टर से उससे संपर्क किया गया था। ईरान की सेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि जहाज को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन न करने के कारण जब्त किया गया।

ईरानी समाचार एजंसी इरना ने हारमूज प्रांत के पोत व समुद्री मामलों के महानिदेशक अल्लाहमोराद अफीफीपोर के बयान का हवाला देते हुए कहा, 'स्टेना इंपरो के चालक दल के सदस्यों में कप्तान सहित 18 लोग भारतीय हैं और इनके अलावा रूस, लातविया और फिलीपींस के पांच नागरिक शामिल हैं। टैंकर पर ब्रिटेन का झंडा लगा है।'

इस बीच, ईरान ने टैंकर जब्त करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। ईरान की ताकतवर गार्जियन काउंसिल ने शनिवार को कहा कि रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हरमूज जलडमरूमध्य में उसके देश द्वारा ब्रिटिश तेल टैंकर को जब्त किया जाना दो हफ्ते पहले ब्रिटेन द्वारा एक ईरानी सुपरटैंकर को जब्त किए जाने की प्रतिक्रिया थी। दूसरी ओर, ब्रिटेन ने ईरान द्वारा टैंकर को जब्त किए जाने पर चेतावनी दी। ईरान की गार्जियन काउंसिल के प्रवक्ता अब्बास अली कडखोदाई ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय कानून में जवाबी कार्रवाई का नियम सबको पता है और अवैध आर्थिक युद्ध का मुकाबला करना और तेल टैंकर को जब्त किया जाना इस नियम का एक उदाहरण है और यह अंतरराष्ट्रीय अधिकारों पर आधारित है।' यह परिषद सरकारी मामलों में कभी-कभार टिप्पणी करती है, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो इसे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमैनी के रुख के तौर पर देखा जाता है।

इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान के इस कदम को खतरनाक करार दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि नौवहन की स्वतंत्रता बरकरार रखी जानी चाहिए। यह घटना ईरान के तेल सुपरटैंकर 'ग्रेस1' के स्पेन के तट में पकड़े जाने के बाद हुई है।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन

पेज 1 का बाकी

खड़ा करने के मकसद से उन्हें कुछ महीने पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली सरकार ने उनके निधन पर दो दिन की शोक की घोषणा की है।

शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। वे पहली बार साल 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद चुनी गईं। 1998 में वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुईं। शीला के पुत्र संदीप दीक्षित भी राजनीति में हैं। वे पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2004 और 2009 में दो बार सांसद रहे हैं। शीला दीक्षित ने हाल में उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन वे जीत नहीं पाई थीं। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। 2013 में दिल्ली की अपनी परंपरागत नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारने के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया।

शीला के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ। उन्होंने ट्वीट किया, 'दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक शख्सियत श्रीमती शीला दीक्षित के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी में प्रभावी बदलाव हुआ जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा।' उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीक्षित के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, 'शीला दीक्षित जी के निधन से बेहद दुखी हूं। एक ऊर्जावान और मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'मैं शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं। वे कांग्रेस पार्टी की प्रिय बेटी थीं जिनके साथ मेरा नजदीकी रिश्ता रहा।' उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और दिल्ली के निवासियों के प्रति मेरी संवेदनाएं है। उन्होंने दिल्ली के निवासियों की तीन बार मुख्यमंत्री रहते हुए निःस्वार्थ भाव से सेवा की।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दीक्षित के निधन पर दुख जताते हुए शनिवार को कहा कि देश ने एक जननेता खो दिया है और उन्हें दिल्ली के विकास के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'शीला दीक्षित जी का निधन दिल्ली के लिए भारी क्षति है।... ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।'

हरियाणा की गायें अब जनेंगी केवल बछड़ियां

पेज 1 का बाकी

वर्ष 2019-20 में करीब 2.50 लाख गायों के कृत्रिम गर्भधारण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक विभाग द्वारा 69 हजार से अधिक सीमन खरीदकर प्रदेशभर के पशु अस्पतालों में पहुंचाए जा चुके हैं। यही नहीं, इनमें से 12 हजार गायों का कृत्रिम गर्भधारण भी कराया जा चुका है।

दुधारू पशुओं के सड़कों पर आवारा भटकने की वजहें : पशु चिकित्सक डॉ.भारत भूषण सुनेजा बताते हैं कि दुधारू पशु के आवारा और सड़क पर आने के केवल दो ही कारण होते हैं। पहला, जब पशुपालक के लिए नर पशु की उपयोगिता खत्म हो जाती है और वह उसे छोड़ देता है। दूसरा, जब दुधारू पशु दूध देना कम कर देता है। इसलिए पशुपालक उसे छोड़ देता है। तीसरा, इस श्रेणी में उन पशुओं की तादाद भी शामिल हैं, जिनके नीचे कम दूध रह जाता है और फिर दिनभर सड़क पर घूमने के बाद पशुपालक उसे शाम के समय घर ले जाता है और दूध उतारने के बाद दोबारा खुला छोड़ देता है।

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉ.वीरेंद्र सिंह के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा बछड़ों व बैलों की संख्या कम करने और दुधारू पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2.50 लाख सेक्स सीमन खरीदे गए हैं। इनमें 1.25 लाख अमेरिकन विदेशी (होलस्टन फ्रिजियन नस्ल) और बाकी 1.25 लाख सीहीवाल गाय, थार फाइकर व हरियाणा नस्ल के लिए खरीदे जाएंगे। एक सीमन की औसतन कीमत 900 रुपए है, जिसे सबसिडी के बाद पशुपालकों को 400 रुपए में दिया जा रहा है।

इन जिलों के पशु अस्पतालों में पहुंचे सीमन

अभी तक प्रदेशभर के पशु अस्पतालों से आने वाली मांग के बाद करीब 69 हजार 215 सीमन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इनमें अंबाला में 3350, भिवानी में 3450, फरीदाबाद में 3850, फतेहाबाद में 3858, हिसार में 3550, जींद में 2850, झज्जर में 2850, करनाल में 4569, कैथल में 3420, कुरुक्षेत्र में 3770, नूह में 1200, नारनौल में 2800, सिरसा में 4498, पंचकूला में 1150, रोहतक में 2920, रेवाड़ी में 2850, सोनीपत में 3400, चरखी दादरी में 1450, पानीपत में 2850सीमन पशु अस्पताल में दिए जा चुके हैं।

नई दिल्ली

मप्र सरकार पाठ्यक्रम से दीनदयाल व आदि शंकराचार्य के अध्याय हटा रही है : भाजपा

भोपाल, 20 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने शनिवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आदि शंकराचार्य के अध्याय, प्रदेश के स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से हटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने संबंधित मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए।

शून्य काल के दौरान इस मामले को सदन में उठाते हुए भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भाजपा के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सनातन धर्म के आदि शंकराचार्य के अध्याय, स्कूली पाठ्यक्रम से हटाने के निर्देश दिए हैं।

सारंग ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिवश इस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत दिया और अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान में लगा दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने देश भर में यात्रा कर देश की एकता के लिए काम किया।

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मामले में बहस कराने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम हमारे इतिहास, हमारी धरोहर और सनातन धर्म की समृद्ध संस्कृति के खिलाफ है।

वहीं दूसरी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार ने शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम से कई स्वतंत्रता सेनानियों के अध्याय हटा दिए हैं। इस बहस में व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि संबंधित मंत्री इस मामले में संज्ञान लें और कहा कि इन अध्यायों को पाठ्यक्रम से हटाया जाना उचित नहीं है।

अगले पांच साल में होंगे कई बदलाव : केंद्रीय मंत्री

हैदराबाद, 20 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने यहां शनिवार को कहा कि राजग सरकार देश को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है और अगले पांच साल में कई बदलाव होंगे। वह यहां केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, 'मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आगामी पांच साल में कई बदलाव होंगे। हम आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बनने की उम्मीद कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में, बिजली उत्पादन हो या 'मेक इन इंडिया', हम आगे बढ़ रहे हैं।' रेड्डी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक युवा आबादी है। यदि उन्हें शिक्षित किया जाए और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया जाए तो देश और अधिक शक्तिशाली बन कर उभरेगा।

स्वयं को एक विद्यार्थी करार देते हुए रेड्डी ने कहा कि वह संसद और गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं नॉर्थ ब्लॉक में नया छात्र हूं...मुझे पूरा विश्वास है।'

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र **ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड** द्वारा कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के लिए निदेशक मंडल की बैठक के विषय में जारी **जनसत्ता 20 जुलाई, 2019 अंक** में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि असावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक त्रुटि हुई है जिसके फलस्वरूप निदेशक मंडल की बैठक **"शनिवार, 27 जुलाई, 2019"** के स्थान पर "शनिवार, 27 जून, 2019" प्रकाशित हुआ है।

अतः कृपया निम्नलिखित शुद्धि नोट करें :

शुद्धि :

विज्ञापन में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक "शनिवार, 27 जून, 2019" के स्थान पर **"शनिवार, 27 जुलाई, 2019"** पढ़ें।

शेष सूचना यथावत रहेगी।

असुविधा के लिए खेद है।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली, 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली), 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 729/2018 के मामले में

भारतीय स्टेट बैंक — **आवेदक**

बनाम

श्री अश्वनी त्यागी एवं अन्य — **प्रतिवादीगण**

सेवा में,
डी-1. श्री अश्वनी त्यागी, पुत्र श्री योगेश कुमार
एच.नं. एमसीएफ-90, गली नं. 4, जाट भवन के निकट, नाहर सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
साथ हीं: जेसीबी इंडिया लि., प्लॉट नं. 23/7, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा
डी-2. मै. मंजू जे होम्स इंडिया लि., सी-294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली- 110095

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 13.08.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 1 **जुलाई** 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालयः 2-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस {नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु}

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा निम्नलिखित ऋणी व अन्य को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया था, जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया चुकता कर दें।

ऋणियों द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणियों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रभारी के अधीन होगा।

हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Rights of redemption" को दर्शाता है।

शाखा का नाम- गोरखपुर शाखा

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि / बकाया धनराशि कब्जा नोटिस की तिथि / बकाया धनराशि
उधारकर्ता:- श्रीमती अर्चना चन्द पत्नी श्री सौरभ चन्द सह-उधारकर्ता:- श्री सौरभ चन्द पुत्र श्री अशोक चन्द	भूमि व भवन के सभी भाग व हिस्से प्लॉट (अराजी) सं. 24, स्थित ग्राम झरवा, पो इचकी, तह- सदर, जिला व शहर गोरखपुर, उप्र 273001, क्षेत्रफल:- 876.28 वर्ग फीट, **चौहद्दी:-** उत्तर: सरिता सिंह की भूमि, **दक्षिण:** अन्य की भूमि, **पूर्व:** 15फी. चौड़ी रोड **पश्चिम:** विक्रेता की भूमि	25.04.2019 / रू. 31,09,388 / - 15.07.2019 रू. 31,69,505 / - दिनांक 15.07.2019 तक एवं ब्याज / उस पर लागत

दिनांकः 21.07.2019 स्थानः गोरखपुर प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67, दूरभाषः 011-41596676/568, CIN L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट : www.hdfc.com

नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बिडिंग के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानो के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (रों) और गारंटर (रों) और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित अचल सम्पत्ति (यों) जिनका हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुसार रचनात्मक / भौतिक कब्जा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार **"जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" एवं "जो भी वहां है"** आधार पर बेचा जाएगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत **कॉलम (क)** में वर्णित कर्जदार (रों) / बंधककर्ता (ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबंधित कर्जदार (रों) / बंधककर्ता (ओं) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, को एतदद्वारा सूचित किया जाता है।

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFC.Com पर दिये गये लिंक को देखें।

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
कर्जदार (रों) / बंधककर्ता (ओं) / गारंटर (रों) / कानूनी उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), संबधित कर्जदार (रों) / बंधककर्ता (ओं) / गारंटर (रों) (अब मृतक) के उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, का नाम।	वसूल की जाने वाली बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) (रु.)*	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण वर्ग फीट में	अधिग्रहण का प्रकार	निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि	अग्रिम जमा राशि (रु.)	बोली बढ़ोत्तरी दर (रु.)	नीलामी की तिथि एवं समय
1) श्री गौतम अरोड़ा और सुश्री शेली सहाय (ऋण खाता सं.: 604147923)	31 दिसम्बर 2018* को रु. 1,68,00,785 / - (केवल एक करोड़ अड़सठ लाख सात सौ पचासी रुपए)	हौज खास, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट नं. एच-1 / 14, हौज खास, नई दिल्ली में छत अधिकारों के साथ फ्री होल्ड, द्वितीय तल फ्लैट, प्लॉट का एरिया 1617.3 वर्ग फीट (लगभग), यूनिट का एरिया 539 वर्ग फीट (लगभग) छत अधिकारों के साथ (ड्राइंग, डाइनिंग एवं किचन के साथ 2 बेडरूम) सहित निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।	भौतिक अधिग्रहण	5-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 1,55,00,000 / - (केवल एक करोड़ पचपन लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 25,000/- (केवल पच्चीस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक
2) श्री परवेज अहमद डार और श्रीमती फरीदा (ऋण खाता सं.: 605304588)	31 दिसम्बर 2018* को रु. 49,09,879 / - (केवल उनचास लाख नौ हजार आठ सौ उन्यासी रुपए)	फ्लैट नं. 501, 5वाँ तल, डीडीए-3बीएचके एचआईजी, पॉकेट-2, ब्लॉक एफ2ए, गॉल्फ लिंक्स रेजिडेंसी, डीडीए, द्वारका, सेक्टर 18बी, नई दिल्ली और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण, परिमाप सुपर निर्मित एरिया 1,250 वर्ग फीट (लगभग)।	भौतिक अधिग्रहण	6-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 1,00,00,000 / - (केवल एक करोड़ रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक
3) श्री नदीम अख्तर और सुश्री निशात अख्तर (ऋण खाता सं.: 613100978)	30 नवम्बर 2018* को रु. 38,57,038 / - (केवल अड़तीस लाख सत्तावन हजार अड़तीस रुपए)	फ्लैट नं. 707, 7वाँ तल, टावर 10, सनवर्ल्ड अरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, परिमाप सुपर एरिया 614.71 वर्ग फीट (लगभग) 1 बेडरूम शामिल।	भौतिक अधिग्रहण	7-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 37,00,000 / - (केवल सैंतीस लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक
4) श्री नदीम अख्तर और सुश्री निशात अख्तर (ऋण खाता सं.: 613106060)	30 नवम्बर 2018* को रु. 38,54,968 / - (केवल अड़तीस लाख चौवन हजार नौ सौ अड़सठ रुपए)	फ्लैट नं. 704, 7वाँ तल, टावर 10, सनवर्ल्ड अरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, परिमाप सुपर एरिया 614.71 वर्ग फीट (लगभग) 1 बेडरूम शामिल।	भौतिक अधिग्रहण	7-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 37,00,000 / - (केवल सैंतीस लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 अप. 1 बजे से 1:30 बजे तक
5) श्री विपिन कपूरिया (ऋण खाता सं.: 613311439)	30 नवम्बर 2018* को रु. 38,21,545 / - (केवल अड़तीस लाख इक्कीस हजार पांच सौ पैंतालीस रुपए)	फ्लैट नं. 2407, 24वाँ तल, टावर 10, सनवर्ल्ड अरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सेक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, परिमाप सुपर एरिया 614.71 वर्ग फीट (लगभग) 1 बेडरूम शामिल।	भौतिक अधिग्रहण	7-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 37,00,000 / - (केवल सैंतीस लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 अप. 2 बजे से 2:30 बजे तक
6) श्री विजय ग्रोवर और सुश्री रीना ग्रोवर (ऋण खाता सं.: 615187777)	30 नवम्बर 2018* को रु. 53,18,331 / - (केवल तिरपन लाख अठारह हजार तीन सौ इकतीस रुपए)	फ्लैट नं. 1202, टावर बी1, 12वाँ तल, जेकेजी पाल्म कोर्ट, प्लॉट नं. जीएच-01-डी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा टॉवर बी2, जेकेजी पाल्म कोर्ट, प्लॉट नं. जीएच-01-डी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, एरिया परिमाप 1764.99 वर्ग फीट (लगभग) 3 बेडरूम शामिल।	भौतिक अधिग्रहण	8-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 39,00,000 / - (केवल उनतालीस लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 अप. 3 बजे से 3:30 बजे तक
7) श्री विजय ग्रोवर और सुश्री रीना ग्रोवर (ऋण खाता सं.: 614818669)	30 नवम्बर 2018* को रु. 50,24,274 / - (केवल पचास लाख चौबीस हजार दो सौ चौहत्तर रुपए)	फ्लैट नं. 1104, 11वाँ तल, टावर बी2, जेकेजी पाल्म कोर्ट, प्लॉट नं. जीएच-01-डी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा, एरिया परिमाप 1635 वर्ग फीट (लगभग) 3 बेडरूम शामिल।	भौतिक अधिग्रहण	8-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 32,00,000 / - (केवल बत्तीस लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 सायं 4 बजे से 4:30 बजे तक
8) श्री छत्तर पाल सिंह एवं श्रीमती सुगन्धा सिन्हा (मृतक कर्जदार श्री. राजीव कुमार के पिता एवं पत्नी एवं अन्य ज्ञात एवं अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी) (खाता सं.: 588070078)	31 मार्च 2017* को रु. 5,78,647 / - (केवल पांच लाख अठहत्तर हजार छह सौ सैंतालीस रुपए)	फ्लैट #जी-4, भू तल, सेक्टर 2ए, प्लॉट नं.-82, वैशाली, गाज़ियाबाद-201011, उत्तर प्रदेश एवं उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण शामिल, फ्लैट का एरिया 450 वर्ग फीट (लगभग)	भौतिक अधिग्रहण	9-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 14,00,000 / - (केवल चौदह लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	29-अगस्त-19 सायं 5 बजे से 5:30 बजे तक
9) श्री मोनोजीत गांगुली (ऋण खाता सं.: 610792332)	31 जुलाई 2018* को रु. 21,77,338 / - (केवल इक्कीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस रुपए)	फ्लैट परिमाप 964 वर्ग फीट सुपर एरिया (लगभग), 2 बेडरूम अपार्टमेंट यूनिट नं. 1501, 15वाँ तल, टावर ई, लक्जुरिया एस्टेट, आदित्य वर्ल्ड सिटी, सेक्टर-6, प्लॉट जीएच-01, एनएच-24, गाज़ियाबाद के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	12-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 24,60,000 / - (केवल चौबीस लाख साठ हजार रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक
10) श्री हरीश कुमार शर्मा (ऋण खाता सं.: 611230712)	30 सितम्बर 2017* को रु. 20,99,712 / - (केवल बीस लाख निन्यानवे हजार सात सौ बारह रुपए)	फ्लैट परिमाप 972.60 वर्ग फीट सुपर एरिया (लगभग), 2 बेडरूम अपार्टमेंट यूनिट नं. एलई-बी / 1107, 11वाँ तल, ब्लॉक बी, लक्जुरिया एस्टेट, आदित्य वर्ल्ड सिटी, प्लॉट जीएच-01, एनएच-24, गाजियाबाद के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	12-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 24,50,000 / - (केवल चौबीस लाख पचास हजार रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक
11) श्री विवेक रस्तोगी एवं सुश्री सुनीता रस्तोगी (ऋण खाता सं.: 615679234)	30 नवम्बर 2018* को रु. 9,27,349 / - (केवल नौ लाख सत्ताईस हजार तीन सौ उनचास रुपए)	फ्लैट परिमाप 584 वर्ग फीट सुपर एरिया (लगभग), 1 बेडरूम अपार्टमेंट यूनिट नं. सी / यूएच-624, 6वा तल, टावर सी, आदित्य अर्बन होम्स, प्लॉट 2243 एवं अन्य, क्र. सं. 2243, 2244, 2246, 2247, 2375, बमहेटा, एनएच-24, गाजियाबाद के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	12-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 14,90,000 / - (केवल चौदह लाख नब्बे हजार रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक
12) श्री दीपक (ऋण खाता सं.: 586734365)	31 मार्च 2017* को रु. 5,90,848 / - (केवल पांच लाख नब्बे हजार आठ सौ अड़तालीस रुपए)	फ्लैट नं. 129, तीसरा तल, डीडीए जनता फ्लैट, पॉकेट-1, सेक्टर ए5, नरेला, नई दिल्ली, परिमाप 242 वर्ग फीट (लगभग)।	भौतिक अधिग्रहण	9-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 3,50,000 / - (केवल तीन लाख पचास हजार रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 अप. 1:30 बजे से 2 बजे तक
13) श्री अमित कुमार जौहरी (ऋण खाता सं.: 608078287)	30 सितम्बर 2018* को रु. 18,87,426 / - (केवल अठारह लाख सत्तासी हजार चार सौ छब्बीस रुपए)	डीडीए जनता फ्लैट 453, परिमाप 226 वर्ग फीट (लगभग), दूसरा तल, श्रेणी ई, फेज-ए, ग्रुप-3, डीडीए, द्वारका, पॉकेट-बी, सेक्टर-16बी, द्वारका, नई दिल्ली एवं उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	13-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 13,45,000 / - (केवल तेरह लाख पैंतालीस हजार रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 अप. 2:30 बजे से 3 बजे तक
14) श्री कुलदीप सिंह (मृतक कर्जदार स्वर्गीय श्रीमती हरमिन्दर कौर के कानूनी प्रतिनिधि और मृतक कर्जदार स्वर्गीय श्रीमती हरमिन्दर कौर के कानूनी उत्तराधिकारी / प्रतिनिधि श्री. प्रजुल सिंह के अभिभावक) एवं श्री. अवतार सिंह भूल्लर (गारंटर) (ऋण खाता सं.: 603618469)	30 नवम्बर 2017* को रु. 20,02,639 / - (केवल बीस लाख दो हजार छह सौ उनतालीस रुपए)	फ्लैट नं. 62, भू तल, परिमाप 725 वर्ग फीट (लगभग) सुपर एरिया, टावर - वैलेन्सिया महागुन मासकॉट-, प्लॉट नं. 5, सेक्टर-11, क्रॉसिंग रिपब्लिक, डुंडाहेडा, गाज़ियाबाद-201011, उत्तर प्रदेश एवं उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	14-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 16,00,000 / - (केवल सोलह लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 अप. 3:30 बजे से सायं 4 बजे तक
15) श्री अनुराग सक्सेना (ऋण खाता सं.: 583338089)	30 अप्रैल 2018* को रु. 14,39,648 / - (केवल चौदह लाख उनतालीस हजार छह सौ अड़तालीस रुपए)	यू. पी. आवास विकास परिषद, सेक्टर - 4बी, वसुन्धरा, गाज़ियाबाद में स्थित फ्लैट नं. 3101, दूसरा तल, 1 बेडरूम फ्लैट, परिमाप 501 वर्ग फीट (लगभग) एवं उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।	भौतिक अधिग्रहण	16-अगस्त-19 सुबह 11 बजे से अप. 3 बजे तक	रु. 16,00,000 / - (केवल सोलह लाख रुपए)	27-अगस्त-19 सायं 5 बजे से पहले	बोली राशि का 10%	रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए)	30-अगस्त-19 सायं 4:30 बजे से 5 बजे तक

*साथ में आगे उसमें भुगतान और / या वसूली की तिथि तक जैसा भी लागू हो उसके अनुसार ब्याज / 18% प्रति वर्ष, प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ।

एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई अधिभार नहीं है:-

1. **क्र. सं. 2, 3, 4, 5 एवं 8 में सम्पत्तियों के संबंध में,** एचडीएफसी के अधीन नीचे वर्णित अपील / मुकदमे / शिकायतें लंबित हैं। मुकदमा / कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:

सम्पत्ति क्र.सं.	मुकदमे के विवरण	मुकदमे का शीर्षक
2	माननीय डीआरटी-I, दिल्ली के समक्ष एसए नं. 2017 का 264	परवेज अहमद दर एवं अन्य बनाम एचडीएफसी
3	माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली के समक्ष उपभोक्ता शिकायत सं. 2018 का 190	नदीम अख्तर एवं अन्य बनाम सनवर्ड डेवेलपर्स प्रा. लि. एवं एचडीएफसी लि.
4	माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली के समक्ष उपभोक्ता शिकायत सं. 2018 का 189	नदीम अख्तर एवं अन्य बनाम सनवर्ड डेवेलपर्स प्रा. लि. एवं एचडीएफसी लि.
5	माननीय सिविल जज (सेन्ट्रल), तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली के समक्ष सीएस एससीजे / 349 / 2019	विपिन कपूरिया बनाम एचडीएफसी लि. एवं मैसर्स सनवर्ल्ड रेज़िडेंसी प्रा. लि.
8	माननीय डीआरटी-1, दिल्ली के समक्ष एस. ए. न. 2018 का 172	सुगन्धा सिन्हा बनाम एचडीएफसी
8	माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नई दिल्ली (एनसीडीआरसी) के समक्ष संशोधित याचिका सं. 2018 का 1639	सुगन्धा सिन्हा बनाम एचडीएफसी

उपरोक्त अभियोगों / कार्यवाहियों पर समय-समय पर माननीय न्यायालय / कमिशन / डीआरटी द्वारा पारित अंतिम निर्णय और / या आदेशों, निर्देशों आदि के अधीन बिक्री की जाएगी। सफल बोलीदाता / खरीददारों को माननीय न्यायालय / कमिशन / डीआरटी के आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करते हुए उपरोक्त ऋणभारों सहित उपरोक्त अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों से जुड़े सभी ऋणभारों को चुकाना होगा।

एचडीएफसी ने उपरोक्त अभियोग में आवेदकों के दावे को शामिल नहीं किया है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित किए गए अनुसार प्रस्तावित बिक्री एचडीएफसी के पास उपलब्ध अधिकारों और उपायों से पूर्वाग्रह के बिना की जाएगी।

इस तिथि तक उपरोक्त अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण और / या निपटान से एचडीएफसी / एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी को रोकने और / या स्थगित करने का कोई आदेश नहीं है।

भावी खरीददार / निविदादाता और इच्छुक पार्टियाँ एचडीएफसी के पास उपलब्ध उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजों सहित उपरोक्त कार्यवाहियों / पारित आदेशों आदि में दाखिल सिफारिशों का स्वतंत्र रूप से जाँच कर सकते हैं और निविदाएँ जमा करने या प्रस्ताव देने से पूर्व इस बारे में स्वयं को सभी विषयों से संतुष्ट करा लें।

2. क्र. सं. 6 की सम्पत्ति के संबंध में, बिल्डर को बकाया राशि रु. 11,37,831 / - दिनांक 30 जून 2019 तक बकाया है जिसे सफल बोलीदाता / खरीददार द्वारा भुगतान किया जाना है।
3. क्र. सं. 7 की सम्पत्ति के संबंध में, बिल्डर की बकाया राशि रु. 6,89,557 / - दिनांक 30 जून 2019 तक बकाया है जिसे सफल बोलीदाता / खरीददार द्वारा भुगतान किया जाना है।

एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के ज्ञान एवं सूचना के अनुसार उपरोक्त अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के संबंध में इसके सिवाय जो ऊपर बताया गया है, कोई ऋणभार / दावा ग्रस्तता नहीं है।

मैसर्स श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लिमिटेड ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी आयोजन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा। सम्पत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता या किसी भी पूछताछ के लिए **श्री. शादाब अख्तर (मोबाइल नं. 9910453434), मैसर्स श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लिमिटेड या श्री. अजु अशोक, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी लि. (011-41596568 मोबाइल नं. 9971380421) या श्री. सचिन कपूर, प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी लि. (011-41596568 मोबाइल नं. 8968570037) या श्री. नीलम मिश्रा (8527464627) से सम्पर्क कर सकते हैं।**

प्रतिभूत परिसम्पत्ति "जैसा है जहां है" और "जो है जैसा है" आधार पर बेची जा रही है।

दिनांक : 19 जुलाई 2019
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रमन हाउस, एच. टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

एस्कोर्ट्स फाईनेंस लिमिटेड

MC2

(CIN : L65910CH1987PLC033652)

पंजी॰ कार्यालयः एस सी ओ 64-65, तृतीय तल, सेक्टर 17ए, चंडीगढ़ 160017

फोन नं.: 0129-2564116

ई-मेलः escortsfinance@escorts.co.in

वेबसाईटः www.escortsfinance.com

सूचना

{ सेबी (सूचीयन उत्तरदायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 29 और 47 के अधीन }

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक, शुक्रवार 26 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमे अन्य विषयों के साथ ही 30 जनू, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन) पर विचार तथा अनुमोदन करके रिकार्ड पर लिए जाएंगे।

अधिक जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.escortsfinance.com, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
एस्कोर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड के लिये
हस्ता॰
विक्की चौहान
(कम्पनी सचिव)

स्थानः फरीदाबाद
दिनांकः जुलाई 20, 2019

NOTICE TO GENERAL PUBLIC

That Smt. Rakhi Bansal W/o Sh. Parveen Bansal R/o Property No.76, Maulana Azad, Lotus Enclave, Pitampura, New Delhi-110034, in the capacity of borrower, has approached and applied for credit facility to the undersigned, against his property bearing No.76, land measuring 158.85 sq. yds., situated in the layout plan of the Maulana Azad Co-operative House Building Society Ltd., Pitampura Delhi-110034.

The owner has lost his previous title deeds i.e. (1) Agreement to Sell dated 20.05.2005 executed by Smt. Neena Bahl in favour of Smt. Rakhi Bansal, is duly registered with the Sub-Registrar, Delhi, vide Registration No.17910, Additional Book No.1, Volume No.6316, on page No.168 to 174 dated 20.05.2005 (2) General Power of Attorney dated 20.05.2005 executed by Smt. Neena Bahl in favour of Smt. Rakhi Bansal, is duly registered with the Sub-Registrar, Delhi, vide Registration No.20921, Book No.4, Volume No.6769, on page No.158 to 159 dated 20.05.2005 (3) Special Power of Attorney dated 20.05.2005 executed by Smt. Neena Bahl in favour of Smt. Rakhi Bansal, is duly registered with the Sub-Registrar, Delhi, vide Registration No.20922, Book No.4, Volume No.6769, on page No.160 to 161 dated 20.05.2005. Owner has lodged the report vide FIR No. 1277473/2019 & 1277670/2019 dated 17.07.2019 in the police Station Rohini, North Delhi regarding loss of aforesaid previous title deeds.

Now the general public/ banks/financial institution through this notice are informed to submit the written objection to the undersigned within 7 days from the date of publication, failing which it will be presumed that there is no objection from anybody and loan can be advanced/sanctioned to the borrower.

Manager, Bank of India Rai Branch Sonepat, Haryana.
Email: rai.chandigarh@bankofindia.co.in
Contact No.9999908973

unitech
UNITECH LIMITED

CIN: L74899DL1971PLC009720
Regd. Office: 6, Community Centre, Saket, New Delhi 110017
Tele / Fax: 011-26857338; E-mail: share.dept@unitechgroup.com Web: www.unitechgroup.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March, 2019

(₹ in Lacs except EPS)

Sl No.	Particulars	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	137104.05	196132.12
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(79,284.87)	(130,601.81)
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Extraordinary items)	(79,284.87)	(130,601.81)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(83,874.28)	(128,513.78)
5	Equity Share Capital	52326.02	52326.02
6	Earnings Per Share for continuing operations (before/ after extraordinary items) * (of Rs. 2/- each)		
	Basic and Diluted:	(3.06)	(4.86)
7	Earnings Per Share for discontinued operations (before/ after extraordinary items) * (of Rs. 2/- each)		
	Basic and Diluted:	0.04	0.03
8	Earnings Per Share for continuing & discontinued operations (before/ after extraordinary items)* (of Rs. 2/- each)		
	Basic and Diluted:	(3.02)	(4.83)

* Extra Ordinary Items - NIL

Notes:

I The above Financial Results (prepared on consolidated basis) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Unitech Limited at their respective meetings held on 19th July 2019.

II The auditors of the Company have informed the Company that the renewing of their "Peer Review Certificate" is under process.

III The report of statutory auditors on the consolidated financial statements of Unitech Limited for the financial year ended March 31, 2019, contains qualifications which are being summarized below:-

a) The holding Company has received a 'cancellation of lease deed' notice from Greater Noida Industrial Development Authority ("GNIDA") dated 18 November 2015. As per the Notice, GNIDA has cancelled the lease deed in respect of Residential Group Housing plots on account of non-implementation of the project and non-payment of various dues amounting to Rs.105483.26 lacs. As per the notice, and as per the relevant clause of the bye-laws/contractual arrangement with the holding Company, 25% of the total dues amounting to Rs.13893.42 lacs has been forfeited out of the total amount paid till date. The holding Company has incurred total expenditure of Rs.213925.39 lacs [comprising of (i) the amounts paid under the contract/bye-laws of Rs.34221.90 lacs; (ii) the balance portions of the total amounts payable, including contractual interest accrued till 31st March 2016, of Rs.99091.90 lacs; and (iii) other construction costs amounting to Rs.80611.59 lacs]. The holding Company is also carrying a corresponding liability of Rs. Rs.99091.90 lacs representing the total amounts payable to GNIDA including interest accrued and due of Rs.66692.05 lacs. The said land is also mortgaged and the holding Company has registered such mortgage to a third party on behalf of lender for the Non-Convertible Debenture (NCD) facility extended to the holding Company and, due to default in repayment of these NCDs, the debenture holders have served a notice to the holding Company under section 13(4) of the SARFAESI Act and have also taken notional possession of this land. Further, the holding Company has contractually entered into agreements to sell with 397 buyers and has also received advances from such buyers amounting to Rs.9158.39 lacs (net of repayment). No contract revenue has been recognized on this project. Management has written a letter to GNIDA dated 1st December 2015, wherein it has stated that the cancellation of the lease deed is wrong, unjust and arbitrary. Further, management has also described steps taken for implementation of the project, valid business reasons due to delays till date. Further, Management had also proposed that in view of the fact that third party interests have been created by the holding Company in the allotted land, by allotting plots to different allottees, in the interest of such allottees, GNIDA may allow the holding Company to retain an area of approximately 25 acres out of the total allotted land of approximately 100 acres and that the amount paid by the holding Company till date may be adjusted against the price of the land of 25 acres and remaining surplus amount may be adjusted towards dues of other projects of the Company under GNIDA. As informed and represented to us, the discussions/ negotiations and the legal recourse process is currently underway and no solution/direction is ascertainable until the date of this report. In view of the materiality of the transaction/circumstances and uncertainties that exist, we are unable to ascertain the overall impact of the eventual outcome of the aforementioned notice/circumstance. Consequently, we are unable to ascertain the impact if any, inter alia, on carrying value of the project under 'projects in progress' and on the consolidated financial results of the Company.
As per management, the holding Company, GNIDA and the buyers have reached a consensus that the cancellation of lease deed will be revoked; however the same is uncertain as on the date of this report.
GNIDA has, in the meanwhile, in terms of the Order of the Hon'ble Supreme Court dated 18.09.2018, deposited on behalf of the Company, an amount of Rs.7436.35 lacs (including interest accrued of the customers), out of the monies paid by the Company, with the registry of the Hon'ble Supreme Court. No details or information have been received from GNIDA with regard to the utilization or adjustment or treatment of the said sum vis-à-vis dues of the Company. Pending adjustment of the same, this amount is reflected in the consolidated financial statements under Other Current Liabilities.
The impact on the accounts viz. inventory, projects in progress, customer advances, amount payable to or receivable from GNIDA cannot be ascertained, due to non-availability of details/information from GNIDA with regard to the utilization or adjustment or treatment of the said sum of Rs.7436.35 lacs, mentioned hereinabove, vis-à-vis dues of the Company, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
Our opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 was qualified in respect of this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
The Management is reasonably sure that its stand shall be vindicated in the court of law and there shall be no adverse impact as such.

b) Confirmations/reconciliations are pending in respect of amounts deposited by the Company with the Hon'ble Supreme Court. As per books of account an amount of Rs.31596.72 lacs deposited with the Hon'ble Supreme Court Registry ("Registry") is outstanding as at 31st March 2019. Certain transactions have been made from the Registry viz. payments towards refunds given to some of the Company's customers, amounts paid to the Company for meeting construction expenses, and amounts paid to the amicus curiae towards reimbursement of expenses, and the aforesaid sum of Rs.31596.72 lacs is net of these transactions. Due to non-availability of any statement of account from the Registry, these transactions have been recorded by the Company in its books of account on the basis of limited information available. The management has stated that it is confident that, upon confirmation/reconciliation, there will not be any material impact on the loss or state of affairs of the Company as 31st March 2019. However, in the absence of detailed statement of transactions and confirmation of balance from the Registry, we are unable to comment on the completeness and correctness of amounts outstanding with the Registry and of the ultimate impact on the consolidated financial statements of the Company, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
It's a matter of reconciliation with the Registry of the Hon'ble Supreme Court and there shall be no adjustment required in the statement of Profit & Loss.

c) An amount of Rs.107631.33 lacs is outstanding as at 31st March 2019 (Previous year ended 31st March 2018 – Rs.111,918.56 lacs) which is composed of trade receivables pertaining to sale of land, properties, finished goods, commercial plots/properties of various kinds. Some of these balances amounting to Rs.18600.64 lacs as at 31st March 2019 (Previous year ended 31st March 2018 – Rs.18572.28 lacs) are outstanding for significantly long periods of time. The management has explained that such long overdue outstandings have arisen in the normal course of business from transactions with customers who have contravened the contractual terms. The management has undertaken a detailed exercise to evaluate the reasons of such long outstandings as well as possibility of recoveries. The management, based on internal assessments and evaluations, possible recoveries from securities (registered or unregistered) have represented that significant portion of such trade receivables outstandings are still recoverable/adjustable and that no accrual for diminution in value of trade receivables is therefore necessary as at 31st March 2019. However we are unable to ascertain whether all of the long overdue outstanding trade receivables are fully recoverable/adjustable, since the outstanding balances as at 31st March 2019 are outstanding/remained unadjusted for a long period of time. Based on our assessment and review procedures performed, in our opinion, trade receivables amounting to Rs.18600.64 lacs are doubtful of recovery and consequently, management ought to provide/accrue for the diminution for these balances. Moreover, the recovery of such trade receivables are dependent on the sale of land held by these debtors and their realize-ability, which, looking at the size of the land held by these debtors, their sale-ability, and uncertainty as to whether such land can be realized at their respective circle rates or more, it is indeterminate as to what extent of further losses can be expected, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
Our opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 was qualified in respect of this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
Management, based on internal assessments and evaluations, possible recoveries from securities (registered or unregistered) have represented that significant portion of such trade receivables balance outstanding are still recoverable/ adjustable and that no accrual for diminution in value of trade receivables is therefore necessary as at 31st March, 2019. They are confident of appropriately adjusting / recovering significant portions of the remaining outstanding balance of such amounts in the foreseeable future.

d) The holding Company has failed to repay deposits accepted by it including interest thereon in respect of the following deposits:

S. No.	Particulars	Principal outstanding as at 31st March, 2018 (Rs. lacs)	Principal paid during the current qtr (Rs lacs) Principal paid during the current year (Rs. lacs)	Unpaid matured deposits (Principal amount) as at 31st March 2019 (Rs lacs)
A)	Deposits that have matured on or before March 31, 2018	53,154.33	19.29 140.16	53014.17

The total unpaid interest as on 31st March 2019 (including interest not provided in the books) amounts to Rs.36034.14 lacs.
Further, the Company has not provided for interest payable on public deposits which works out to Rs.7096.83 lacs for the current year ended 31st March 2019 (Previous year ended 31st March 2018 – Rs.7132.03 lacs).
Pursuant to Section 74(2) of the Companies Act, 2013, the holding Company had made an application to the Hon'ble Company Law Board (CLB) (subsequently replaced by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi) seeking extension of time for repayment of the outstanding public deposits (including interest thereon) as is considered reasonable. The holding Company had also identified and earmarked 6 (six) unencumbered land parcels for sale and utilization of the sale proceeds thereof for repayment of the aforesaid outstanding deposits. However, during the financial year 2016-17, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi (NCLT) vide its order dated 04.07.2016 dismissed the said application. On appeal against the said order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi (NCLAT) vide its order dated 03.11.2016 extended the date of repayment of deposits upto 31.12.2016. Subsequently, the said appeal was also disposed off by the Hon'ble NCLAT vide its order dated 31.01.2017 without granting any further extension of time. As explained and represented by management, the Company is making best possible efforts for sale of the land parcels earmarked for repayment of the deposits but such sale process is taking time due to global economic recession and liquidity crisis, particularly in the real estate sector of India. However, regardless of these adverse circumstances and difficulties, the management has represented that they are committed to repay all the public deposits along with interest thereon. Considering that the management has not been able to comply with the directions given by the Hon'ble CLB, NCLT and NCLAT to repay the deposits within prescribed time-period, the Registrar of Companies, New Delhi has filed prosecution against the holding Company and its executive directors and key managerial personnel before the Ld. Special Court, Dwarka District Court, New Delhi. However, the Hon'ble High Court of Delhi stayed the said prosecution, and has subsequently vide its order dated 22.01.2019, allowed the petitions filed by the holding Company and its executive directors & key managerial personnel by setting aside & vacating the impugned Dwarka District court order dated 20.9.2016 with regard to summoning of the executive directors & key managerial personnel. Few depositors filed an intervention application before the Hon'ble Supreme Court in the pending bail matter of the Managing Directors of the holding Company. Considering their application, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 30.10.2017 directed an amicus curiae to create a portal where the depositors can provide their requisite information and, accordingly, in compliance with this direction, a portal had been created for the depositors of the Company. Accordingly, the matter relating to delay in repayment to the depositors is presently pending before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court, out of the proceeds collected into the designated account of its Registry out of sale of land and other properties of Unitech/it's group, has made allocations of amount to be refunded to the public-deposit holders.
Besides, the impact of non-provision of interest payable on public deposits of Rs.7096.83 lacs on the profit and loss, we are unable to evaluate the ultimate likelihood of penalties/ strictures or further liabilities, if any on the Company. Accordingly, impact, if any, of the indeterminate liabilities on these consolidated financial results is currently not ascertainable, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
Our opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 was qualified in respect of this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
The Term Deposits are due to be paid but due to liquidity situation could not be paid. The Company is trying its best to align resource/earmark dedicated properties so that the term deposit holders can be paid. The matter is also seized of the Hon'ble Supreme Court & Hon'ble Delhi High Court and the management expects no other cost other than the stated ones.

e) Advances amounting to Rs.57544.17 lacs (net of provision for doubtful advances) (previous year ended 31st March, 2018 - Rs.72544.17 lacs) are outstanding in respect of advances for purchase of land, projects pending commencement, joint ventures and collaborators which, as represented by the management, have been given in the normal course of business to land owning companies, collaborators, projects and for purchase of land. As per information made available to us and explanations given to us Rs. Nil had been recovered / Rs.15000.00 lacs has been provided for doubtful advances during the current year. The management, based on internal assessments and evaluations, has represented that the balance outstanding advances are still recoverable/adjustable and that no further accrual for diminution of advances is necessary as at 31st March 2019. The management has further represented that, as significant amounts have been recovered/adjusted during the previous financial years and since constructive and sincere efforts are being put in for recovery of the balance advances, it is confident of appropriately adjusting/recovering significant portions of the remaining outstanding balance of such amounts in the foreseeable future. However, we are unable to ascertain whether all the remaining outstanding advances, mentioned above, are fully recoverable/adjustable, since the said outstanding balances are outstanding/remained unadjusted for a long period of time; and further, in our opinion, neither the amounts recovered nor rate of recovery of such long outstanding amounts in the previous years & current year, give an indication that all of the remaining outstanding amounts may be fully recoverable; consequently, we are unable to ascertain whether all of the remaining balances as at 31st March 2019 are fully recoverable. Accordingly, we are unable to ascertain or comment upon the impact, if any, on the loss or on the reserves or on value of asset, that may arise in case any of these remaining advances are subsequently determined to be doubtful of recovery, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
Our opinion on the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2018 was qualified in respect of this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
Advances for the purchase of land, projects pending commencement and to joint ventures and collaborators have been given in the normal course of business to land owning companies, collaborators, projects and for purchase of land. The management of the company based on the internal assessment and evaluations considers that these advances, which are in the normal course of business are recoverable/adjustable and that no provision other than those already accounted for is necessary at this stage. The management is confident of recovering/ appropriately adjusting the balance in due course.

f) There have been delays in the payment of dues of non-convertible debentures, term loans & working capital loans (including principal, interest and/or other charges as the case may be) to the lenders of the holding Company and the total of such outstanding amount to Rs.185876.70 lacs. The lenders have initiated action under the SARFAESI Act to take over the respective properties provided as security to the lenders. The Company has challenged the action of the lenders before the various forums of Debt Recovery Tribunals (DRT). We are unable to determine the impact of the likely outcome of the said proceedings before the DRT on the properties given as security to the lenders, and the corresponding loans and also unable to evaluate the ultimate likelihood of penalties/ strictures or further liabilities; and hence we are unable to express an opinion on this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
The amount as stated has already been provided in the books of accounts and payment/recovery of dues by the lenders shall not affect the statement of Profit & Loss.

g) Claims against company not acknowledged as debt comprising of liquidated damages and other claims by clients/customers and compensation for delayed possession to customers have been estimated by the holding company to be Rs.90793.65 lacs which is included under contingent liabilities in the consolidated financial statements. Due to non-availability of substantive evidence in support such claims, we are unable to comment on the correctness or completeness of the amount estimated by the holding company, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
The amount has already been included in the contingent liability and final outcome, if any, can only be ascertained only on the completion of the project.

h) IL&FS Financial Services Limited (ILFS) had entered into binding understanding in March 2018 for acquisition of various plotted units of land at the group's Uniworld resort at Mohali, Punjab in settlement of outstanding dues of ILFS. The outstanding dues of ILFS of Rs.24951.22 lacs comprised of principal loan of Rs.24696.88 lacs and interest accrued of Rs.254.34 lacs as at 31st March 2018. In terms of the aforementioned binding understanding, the Company had, in the financial year ended 31st March 2018, adjusted a sum of Rs.23307.86 lacs against the outstanding dues by settlement against various plotted units and recognizing sales of Rs.23307.86 lacs, and consequently the liability of ILFS was reduced to Rs.1643.36 lacs as at 31st March 2018.
However, in the current financial year, the Company, upon obtaining balance confirmation statement from ILFS, which has been provided only as at 31st December 2018, observed that the statement of ILFS reflected an unascertained adjustment of dues of Rs.172.78 lacs, and moreover, ILFS has charged additional interest amounting to Rs.3630.75 lacs for the current period from 1st April 2018 to 31st December 2018. ILFS has not provided any confirmation as at 31st March 2019.
The Company, in the consolidated financial statements, has not reversed the sales (to the extent not recognized by ILFS), which it had adjusted by way of settlement against plotted units of lands in the financial year ended 31st March 2018, since, as informed by the management, it is pursuing ILFS for specific performance of the aforementioned binding understanding. The Company has also not provided for the interest of Rs.3630.75 lacs charged by ILFS for the current period from 1st April 2018 to 31st December 2018 (had the loan been re-instated in the books of account of the Company), nor has it provided for the uncharged interest for the period 1st January 2019 to 31st March 2019 which works out to approximately Rs.1087.70 lacs, together aggregating to approximately Rs.4718.45 lacs.
Due to non-availability of statement of account from ILFS upto 31st March 2019, and due to the fact that ILFS has not recorded the aforesaid settlement in it books of account, we are unable to comment on the correctness of out standings claimed by ILFS and of the inventory of adjusted plotted units, and hence we are unable to express an opinion on this matter.
The management, in response of the above qualification, states the following:-
The Company has entered into binding undertaking and thus the loan was adjusted in the FY 17-18. The Company shall ask IL&FS for specific performance and thus reversal of sale or booking of interest is not required.

IV The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results for quarter and year ended March 31, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com/www.nseindia.com) and Company's website www.unitechgroup.com.

V Key Standalone financials are as follows:

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
1	Income from Operations (Turnover)	30,436.58	53,456.38	127,235.07
2	Profit/(Loss) Before Tax	(41,742.42)	(71,839.74)	(25,063.56)
3	Profit/(Loss) After Tax	(36,571.43)	(66,731.59)	(21,846.74)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(41,354.06)	(71,522.73)	(24,009.64)

Place: Gurugram
Date: July 19, 2019

For Unitech Limited
Ramesh Chandra
Chairman

मनीला ने ईरान से उसके नागरिक को रिहा करने को कहा

मनीला, 20 जुलाई (एएफपी)।

फिलीपीन ने शनिवार को कहा कि वह ईरान से कहेगा कि ईरानी रिवोल्यूशरी गार्ड्स के जब्त किए गए ब्रिटिश झंडे वाले टैंकर के चालक दल के फिलीपीनी सदस्य को रिहा किया जाए।

स्वीडन निर्मित स्टेना इम्पेरियो को शुक्रवार को हरमुज की खाड़ी से मछुआरों की एक नौका से टकराने के बाद जब्त कर लिया गया था। ईरानी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
आधार श्री इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	आधार श्री इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	8 नवम्बर, 2013
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, भारत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायबिलिटी पहचान संख्या	U45400DL2013PTC260104
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	42-सी, फ्लैट आर, दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110095, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	11 जुलाई, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	6 जनवरी, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत है	नाम- प्रभात रंजन सिंह पंजी. सं.- IBBI/IPA-002/N00428/2017-2018/11239
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल का पता एवं ईमेल	पता: चैम्बर नं. 119, सी.के. दफ्तरी ब्लॉक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तिलक लेन, नई दिल्ली-110001 ई-मेल: prabhat.rs.advocate@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: रीसर्जेन्ट रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 905, नौवां तल, टावर सी, यूनीटेक बिजनेस जोन, निर्वाणा कन्ट्री, सेक्टर 50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ईमेल: cirp.aadhaarshriinfratech@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	3 अगस्त, 2019 (प्रकाशन की तिथि अर्थात 21 जुलाई, 2019 से 14 दिन) (आदेश की प्रति 19 जुलाई, 2019 को प्राप्त की गई)
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटरों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	(क) www.ibbi.gov.in (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 11 जुलाई, 2019 को आधार श्री इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा आधार श्री इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के पास 3 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडिटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए (लागू नहीं) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
प्रभात रंजन सिंह
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी
पंजी.सं. IBBI/IPA-002/IP-N00428/2017-2018/11239

तिथि: 21 जुलाई, 2019
स्थान: दिल्ली

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग हौज़ खास नई दिल्ली-110016
टेलीफोन: 011-26967294 ई-मेल: cwhqcwc@cewacor.nic.in वेबसाइट: www.cewacor.nic.in

सं.केभनि / नि.का.-इजी / प्रेस नोट / 2019-20 / 2204 दिनांक: 19.07.2019

ई-टेंडर आमंत्रण प्रेस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडरों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	निविदा ऑनलाइन भेजने एवं खोलने की अंतिम तिथि
1	सेन्ट्रल वेयरहाउस पीसलपुर एवं धदरौली-I (उ.प्र.) में एसी शीट रूफिंग को बदलना तथा आंतरिक सड़कों का नवीकरण	158.07	20.08.2019

अनुबंध की शर्ते और ई-टेंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र / परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

ऐक्सिस बैंक **आधिपत्य नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस: तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस: 'त्रिशूल', तृतीय तल, समरथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि० के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एतद् द्वारा वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा ऐक्सिस बैंक लि० के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, आनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह-ऋणी / बन्धककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सुरक्षित एसेट को छोड़ने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में एक्ट की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी / सह-ऋणी / जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	[illegible]	[illegible]	रु. 7,41,889.00 दिनांक 16.01.2019 + ब्याज व अन्य खर्चे; डिमांड नोटिस की तिथि 18.01.2019; कब्जा दिनांक 17.07.2019
2	श्री विवेक कुमार कुलश्रेष्ठ (ऋणी) ... [illegible]	[illegible]	रु. 30,05,110.00 दिनांक 13.02.2019 + ब्याज व अन्य खर्चे; डिमांड नोटिस की तिथि 16.02.2019; कब्जा दिनांक 17.07.2019
3	श्री वीरेन्द्र सिंह (ऋणी) ... [illegible]	[illegible]	रु. 29,69,322.00 दिनांक 12.04.2019 + ब्याज व अन्य खर्चे; डिमांड नोटिस की तिथि 12.04.2019; कब्जा दिनांक 17.07.2019

दिनांक: 21.07.2019, स्थान: लखनऊ (प्राधिकृत अधिकारी), ऐक्सिस बैंक लि०

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज.)
पता: सी.ए.डी. सर्किल, दशहरा ग्राउण्ड, कोटा ई-मेल: nnkota@gmail.com revenuemck@gmail.com

क्रमांक: नानिको/राजस्व/2019/912-924 दिनांक: 19.07.2019

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय मेला दशहरा 2019 में मेला अवधि (दिनांक 29.09.2019 से 24.10.2019 तक) के लिये ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा धरोहर राशि	अनुमानित ठेका राशि
1	मेला दशहरा प्रांगण में निम्नांकित स्थानों पर वाहन स्टैण्ड ठेका कार्य। 1. भारत का अखाड़ा के पास का स्थल 2. किशोरपुरा रोड पर नया निर्माण वाहन स्टैण्ड 3. ईदगाह के सामने 4. पुराना झूला बाजार (केवल टू-व्हीलर के लिए) 5. आशापाला कॉलोनी के पीछे का स्थल 6. पशु मेला स्थल फेज-02 पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास	27000/-	1347500/-

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र मिलने एवं ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	20.07.2019 से 09.08.2019 तक सायं 06.00 बजे तक
ऑफलाईन दस्तावेज जमा कराने की दिनांक	13.08.2019 सायं 03.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	14.08.2019 सायं 05.00 बजे
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत

इसके साथ उक्त कार्य के लिए निर्धारित धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क, रु. 1,500/- का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा के नाम तथा प्रोसेसिंग फीस रु. 500/-का डी.डी. "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर.आई.एस.एल. जयपुर के नाम दिनांक 13.08.2019 को सायं 03 बजे तक राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "सी", कमरा नं. 307 में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदायें नियत तिथि को ऑनलाइन खोली जावेंगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म / फर्में निविदा प्रपत्र एवं शर्तें नगर निगम की वेब साईट www.kotamc.org एवं http://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://eproc.rajasthan.gov.in से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।
नोट: ई-निविदा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नगर निगम कोटा के कमरा नं. 301 व 307 से जानकारी ली जा सकती है।

हस्ता./-
उपायुक्त एवं मेलाधिकारी
नगर निगम कोटा

धनशोधन मामले में नवाज शरीफ के खिलाफ एक और जांच शुरू

लाहौर, 20 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के खिलाफ एक और जांच शुरू की है। मीडिया में आई खबरों में शनिवार को यह जानकारी दी गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने एवनफिल्ड अपार्टमेंट मामले में फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के 45 वर्षीय उपाध्यक्ष के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अल-अजीजिया मामले में 69 वर्षीय शरीफ 24 दिसंबर, 2018 से लाहौर की कोट लखपत जेल में सात वर्ष जेल की सजा काट रहे हैं। 'डॉन' की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मरियम, उनके पिता नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम के चचेरे भाइयों हमजा शहबाज तथा युसूफ अब्बास और अन्य के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड का स्वामित्व रखने के लिए जांच शुरू की थी। एक सूत्र ने बताया, 'ब्यूरो उन्हें तलब करने के बजाय मरियम को एक प्रश्नावली भेज सकता है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि धनशोधन मामले में शहबाज और उनके पुत्रों हमजा तथा सलमान के खिलाफ जांच के दौरान चौधरी शुगर मिल्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन के सबूत सामने आए थे।

शहबाज ने विपक्ष के खिलाफ इमरान खान सरकार की 'फासीवादी रणनीतियों' के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएमएल-एन पंजाब सूचना सचिव अज्मा बुखारी ने कहा, 'हम 25 जुलाई को देशभर में काला दिवस आयोजित करने जा रहे हैं।' मरियम को एवनफिल्ड हाउस, लंदन में शरीफ परिवार के आलीशान अपार्टमेंट का स्वामित्व रखने से संबंधित मामले में जुलाई 2018 को सात वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी।

पश्चिमी एशिया समुद्री मार्गों की निगरानी बढ़ाएगा अमेरिका

वाशिंगटन, 20 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी केंद्रीय कमान पश्चिमी एशिया में अहम समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ मिल कर प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन सेंटीनल नामक यह प्रयास ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि उसने होरमुज जलडमरूमध्य में बिल्कुल करीब आने पर एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हालांकि ईरान ने इस बात से इनकार किया कि उसके किसी ड्रोन को मार गिराया गया है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने एक बयान में कहा कि अरब की खाड़ी क्षेत्र में हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नौवहन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए यह पश्चिम एशिया में अहम समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है।

उसने कहा कि इस ऑपरेशन सेंटीनल का लक्ष्य अरब की खाड़ी, होरमुज जलडमरूमध्य, बाब एल मांदेब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देना, सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय समुद्र में तनाव कम करना है। केंद्रीय कमान ने कहा कि इस समुद्री सुरक्षा ढांचे से देश अपने झंडे वाले जहाजों को सुरक्षा दे पाएंगे और उन्हें अन्य देशों का सहयोग मिलेगा।

उसने कहा कि अमेरिका इस पहल का सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है और इसकी सफलता के लिए क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साझेदारों का योगदान एवं नेतृत्व जरूरी होगा। इस बीच पेंटागन ने शुक्रवार को अमेरिकी कर्मियों और संसाधनों को सऊदी अरब भेजे जाने को मंजूरी दे दी।

पाक के पूर्वोत्तर कबाइली क्षेत्र में पहला प्रांतीय चुनाव

इस्लामाबाद, 20 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से सटे पूर्ववर्ती अर्ध-स्वायत्त कबाइली क्षेत्र में शनिवार को पहला प्रांतीय चुनाव शुरू हुआ। यह क्षेत्र कभी तालिबान और अलकायदा जैसे दिग्गिन्नि आतंकवादी संगठनों का गढ़ हुआ करता था। संवैधानिक संशोधन के बाद सात जिलों वाले संघ शासित कबाइली क्षेत्र (फाटा) का मई, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत (केपी) में विलय कर दिया गया था। फाटा के लिए केपी असेम्बली में निर्धारित की गई 24 सीटों पर प्रशासनिक कारणों से उस साल जुलाई में आम चुनाव के साथ चुनाव नहीं हो सका था।

पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार सात कबाइली जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। दो महिलाओं समेत 285 उम्मीदवार 16 सीटों के लिए चुनाव मैदान में हैं। अन्य चार सीट महिलाओं के लिए और एक सीट गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित है।

सईद की गिरफ्तारी : पाक की मंशा पर अमेरिका को संदेह

वाशिंगटन, 20 जुलाई (भाषा)।

ट्रंप प्रशासन ने 2008 के मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर संदेह जाहिर करते हुए कहा कि पूर्व में हुई इसी तरह की गिरफ्तारी से न तो सईद और न ही उसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों पर कोई फर्क पड़ा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अगले सप्ताह निर्धारित अमेरिका के दौरे से पहले एक शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, 'हमने यह पहले भी होते हुए देखा है। और हम निरंतर एवं ठोस कार्रवाई चाह रहे हैं, महज दिखावा नहीं।' संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित सईद को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। यह दिसंबर 2001 के बाद से उसकी सातवीं गिरफ्तारी है। पाकिस्तान ने आतंकवादी समूह के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और क्या अमेरिका को उनमें भरोसा है, यह पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, 'मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त करता हूं, पहले की बातों से यह पूरी तरह स्पष्ट है। इन समूहों को पाकिस्तानी सेना की खुफिया सेवाओं से किस तरह का समर्थन मिलता है, इसे लेकर हमें कोई भ्रम नहीं है। इसलिए हम ठोस कार्रवाई चाह रहे हैं।'

इमरान से आतंकवाद और शकील अफरीदी की रिहाई पर बात करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन, 20 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद समेत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान आतंकवादियों तथा आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता में मदद देने पर जोर देंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खान को वाइट हाउस आने का निमंत्रण देकर अमेरिका, पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ में अपनी 'नीतियों को बदलता' है तो संबंधों को सुधारने और स्थायी साझेदारी बनाने के वास्ते दरवाजा खुला है।

बोलबम के जयघोष से बाबा बैद्यनाथ की नगरी गुंजायमान

भागलपुर, 20 जुलाई (जनसत्ता)।

आधे-अधूरे इंतजाम के बीच कांवड़िए उमड़ पड़े हैं। वे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने भागलपुर के सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से कांधे पर गंगाजल ले रोजाना रवाना हो रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने और एसएसपी आशीष भारती ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। मगर सब 'बाबा एक सहारा' के जयकारे पर कांवड़ियों की यात्रा उनकी अटूट आस्था पर टिकी है।

बुधवार से शुरू हुआ यह सिलसिला सावन महीने के अंतिम तक चलेगा। बुधवार को कांवड़ में जल लेकर जाने वाले सावन की पहली सोमवारी को देवघर ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करेंगे। यानी बुधवार से सुल्तानगंज से देवघर का 105 किलोमीटर का रास्ता बोलबम के जयघोष से गूंज उठा है। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में शिवभक्तों का तांता लग चुका है और सुल्तानगंज से देवघर पैदल रास्ता केसरिया बाना पहने कांवड़ियों से पटा है। पहाड़ों, जंगलों और नदी-नालों से होकर गुजरने वाले इस दुर्गम यात्रा को छोटे-बड़े और महिलाएं नंगे पांव पैदल बोलबम के नारे के साथ तय करते हैं। यह सिलसिला 17 जुलाई से 15 अगस्त तक अनवरत चलेगा। हरेक साल सावन के शुरू होते ही अपनी मनोकामनाओं को लेकर कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करते हैं।

सावन के मेले में देश ही नहीं, नेपाल, भूटान, सूरीनाम जैसे विदेशों से भी तीर्थयात्री आते हैं। देवघर के उपायुक्त राहुल कुमार के मुताबिक बीते साल 50 लाख श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलार्पण किया था। अबकी दफा प्रशासन का अनुमान बीस फीसद बढ़ोतरी होने का है। भारतीय रेलवे ने मेला अवधि में आठ जोड़ी ट्रेनें चलाने का एलान किया है, जो सोमवार से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही सुल्तानगंज से गुजरने वाली हरेक एक्सप्रेस, सुपरफास्ट व मेल ट्रेनों के ठहराव का आदेश दिया गया है। यह ठहराव पूरे सावन महीने तक रहेगा। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को राज्य के किसी भी हिस्से से देवघर तक यात्रियों को ले जाने लाने का इंतजाम किया है।

सुल्तानगंज और देवघर मंदिर प्रांगण में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने, भीड़ पर कड़ी निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गंगाघाट, शिवगंगा, मंदिर अहाते और शहरी क्षेत्र में दूधिया रोशनी व सोडियम और हाईमास्क लाइट से रोशन किया गया है।

दुकानों को रौंदता हुआ घर से टकराया ट्रक : चार की मौत, पांच जख्मी

आजमगढ़ (उप्र), 20 जुलाई (भाषा)।

जिले के जहानागंज क्षेत्र में शनिवार शाम एक बेकाबू ट्रक कई दुकानों को ध्वस्त करते हुए एक मकान से जा टकराया, जिससे इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के इटौरा-चक्रपानपुर मार्ग पर स्थित टिल्लूगंज बाजार में एक अनियंत्रित ट्रक कई दुकानों को ध्वस्त करता हुआ मकान से जा टकराया। उन्होंने बताया कि हादसे में रीना, सोहनी, सुराती चौहान और बुलबुल की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में पांच अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से कई की हालत नाजुक है।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर
पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001
मो.: 9897912444, फोनः 05732-281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के नीचे वर्णित बकाये ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 8.8.2019 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) www.pnbindia.in, 2) www.//pnbindi.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई-नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
5.8.2019 (सोमवार) 10.00 बजे पूर्वा. से 16.00 बजे अप.	6.8.2019 (मंगलवार) 16.00 बजे अप. तक	8.8.2019 (गुरुवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर भुगतान (ईएमडी)	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह शाखाः औरंगाबाद, बुलन्दशहर	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र पाल सिंह	रु. 1636133.01 के साथ 1.10.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	''न्यू आबादी (अजीजाबाद), परगणा बारण, कसबा औरंगाबाद, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-202402 में स्थित एक आवासीय प्लॉट, माप 157.49 वर्ग मी.। चौहद्दीः पूर्वः 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः कब्रीस्तान, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः मनोज एवं राजू आदि का प्लॉट। यह सम्पत्ति क्रम सं. 3093 तिथि 6.5.2015 में पेज-75-116 पर बही नं. 1, जिल्द नं. 4212 में उप-रजिस्ट्रार, बुलन्दशहर के कार्यालय में पंजीकृत है।''	रु. 1500000/- (रुपए पन्द्रह लाख मात्र)	रु. 150000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र)	15.10.18	7.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. अनिल हार्डवेअर एंड मशीनरी स्टोर, प्रॉप.: अनिल कुमार, पुत्र चन्द्रपाल सिंह शाखाः सनुआथा, बुलन्दशहर	अनिल कुमार, पुत्र चन्द्रपाल सिंह	रु. 2340232/- के साथ 1.5.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	''क्रम सं. 32 में बुक 1ला वॉल्यूम 2871 में पेज 201/204 में एस.आर. कार्यालय बुलन्दशहर में 23.3.2007 को पंजीकृत ग्राम भामरा परगणा अगौता, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203205 में स्थित प्लॉट नं. 2/1, माप लगभग 648.35 वर्ग मी. का ईएम'' चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः रास्ता तथा रविन्दर पाल सिंह का प्लॉट, दक्षिणः सुन्दर सिंह का गार्डन, पूर्वः चरण सिंह यादव, सलीम का प्लॉट तथा 7.5 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः सुखबीर सिंह का कोल्ड स्टोर''	रु. 3000000/- (रुपए तीस लाख मात्र)	रु. 300000/- (रुपए तीन लाख मात्र)	4.10.18	16.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
3.	मै. यूटुक पैकेजिंग प्रॉपः श्रीमती प्रत्यूष प्रभा, पत्नी श्री संकोच चौहान शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	कुमा. प्रत्यूश प्रभा एवं कुमा. सीमा सोलंकी	रु. 50,92,342/- के साथ 1.7.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	''प्लॉट नं. 79 ए, 79 बी, 80, 81, ब्लॉक-सी, वसंत विहार कॉलोनी, खसरा नं. 49, अलापुर गडिया, खैरपुर बाईपास रोड, पी एंड टी कोईल, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001, क्षेत्रफलः माप 340.71 वर्ग मी.। चौहद्दीः उत्तरः संकोच चौहान की सम्पत्ति, दक्षिणः 14'0 चौड़ा रोड, पूर्वः सोसायटी सदस्य का प्लॉट, पश्चिमः 23'0'' चौड़ा रोड'' टिप्पणीः ईएम का निर्माण बिक्री प्रलेख की सत्यापित प्रतियों के आधार पर किया गया, मूल टाइटल डीड्स बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।	रु. 2085000/- (रुपये बीस लाख पचासी हजार मात्र)	रु. 208500/- (रुपये दो लाख आठ हजार पांच सौ मात्र)	14.9.18	10.01.19 (सांकेतिक कब्जा)
4.	श्री संजय कुमार पुत्र राजकुमार शाखाः औरंगाबाद	श्री संजय कुमार पुत्र राजकुमार	रु. 20,20,681.50 के साथ 1.7.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मकान सं. 21, वार्ड नं. 11, औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203401 में स्थित आवासीय सम्पत्ति, माप 64.64 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्वः शिव मंदिर, पश्चिमः रास्ता गली नं. 9, उत्तरः अनिल कुमार एवं सुनील कुमार का मकान, दक्षिणः विष्णु कटारिया का मकान।	रु. 11,00,000/- (रुपये ग्यारह लाख मात्र)	रु. 110000/- (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)	9.8.18	11.12.18 (सांकेतिक कब्जा)
5.	मै. ए एस ट्रेडिंग कं. प्रॉप.: अय्यूब, पुत्र जफरूद्दीन, शाखाः डिप्टी गंज, बुलंदशहर	श्री इरफान खान पुत्र श्री शमशाद खान एवं श्री इमरान खान पुत्र श्री शमशाद खान	रु. 1045332/- के साथ 1.10.18 से आगे का ब्याज	''हीरापुर सियाना रोड, टाउन बुलन्दशहर, परगणा बारण, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203001 में स्थित व्यावसायिक-सह-आवासीय भवन, दो मंजिला, जो भूमि माप 1686.66 वर्ग मीटर पर निर्मित है। चौहद्दी इस प्रकार हैः एनडब्ल्यूः सियाना के लिये मैन रोड, एन-ईः श्री पंकज / राजेश का मकान, एस-ईः प्राईमरी स्कूल, एस-डब्ल्यूः सेवा डेयरी, जो 3.3.1983 को क्रम सं. 1500 पर पेज 308/ 309 में उसके बुक नं. 1, वॉल नं. 1758 में एस.आर. बुलन्दशहर के कार्यालय में पंजीकृत है।	रु. 13500000/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)	रु. 1350000/- (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	22.10.18	7.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
6.	मै. मदीना क्रॉकरी हाउस, प्रॉप.: मोह. इमरान शाखाः खुर्जा, बुलंदशहर	श्री मंजूर अहमद पुत्र श्री मोह. जान	रु. 1272970.50 के साथ 1.10.18 से आगे का ब्याज	मोहल्ला गोविन्द देव (गली के भीतर) मुगलपुरा, खुर्जा, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203131 में स्थित प्लॉट एरिया 103.56 वर्ग मीटर पर आवासीय मकान सं. 105 का ईएम। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः भाना जैन का मकान, पश्चिमः 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः साहिबान का मकान।	रु. 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)	रु. 75000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)	17.7.18	17.11.18 (सांकेतिक कब्जा)
7.	मै. यादव पशुधन प्रॉपः श्री नीतू यादव शाखाः बारल, बुलन्दशहर	श्री नीतू यादव पुत्र श्री रामचन्द यादव	रु. 959897/- के साथ 1.4.16 से आगे का ब्याज एवं लागत	''ग्राम बारल, परगणा अगोता, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-245408 में स्थित आवासीय प्लॉट माप क्षेत्रफल 418.30 वर्ग मीटर। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः राजेन्द्र पाल का मकान, उत्तरः 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः काले सिंह का मकान। यह सम्पत्ति क्रम सं. 7031 तिथि 4.10.2014 में पेज 317-352 में बही नं. 1, जिल्द नं. 3994 में उप-रजिस्ट्रार, बुलन्दशहर के कार्यालय में पंजीकृत है।''	रु. 870000/- (रु. आठ लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 87000/- (रु. सतासी हजार मात्र)	16.11.18	16.2.19 (सांकेतिक कब्जा)
8.	श्री इमरान खान, पुत्र श्री नसीम अंसारी शाखाः खुर्जा, बुलन्दशहर	श्री नसीम अहमद अंसारी, पुत्र श्री हाजी नजी कौम	1075660.60/- के साथ 1.4.16 से आगे का ब्याज एवं लागत	''मकान सं. 63, सेक्टर 11, मोहल्ला सिमनखान (भूरी वाली गली), खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203131, माप 60.35 वर्ग मीटर में स्थित आवासीय सम्पत्ति।' चौहद्दीः पूर्वः हाफिज जी का मकान, पश्चिमः कलुवा का मकान एवं श्री अलीम भाई का मकान, उत्तरः गली/रास्ता, दक्षिणः बब्बू भाई का मकान'	रु. 970000/- (रु. नौ लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 97,000/- (रु. सत्तानवे हजार मात्र)	5.5.18	17.11.18 (सांकेतिक कब्जा)
9.	मै. गगन बुक डिपो- प्रॉप. श्री उमा शंकर, पुत्र श्री राम चन्द्र शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सुधा शर्मा, पत्नी श्री उमा शंकर शर्मा	रु. 13,71,706.33 के साथ 1.1.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	एच. नं. 19/196, गगन बुक डिपो, बापू नगर, खेत नं. 303, गंभीरपुरा, गली नं. 2, मनोई डिश के निकट, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला अलीगढ़, उ.प्र.-202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 62.70 वर्ग मीटर। चौहद्दीः पूर्व-प्रेमपाल का मकान, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा सड़क, उत्तरः संतोष कुमार का मकान तथा दक्षिणः राजेन्द्र का मकान	रु. 1577000/- (रु. पन्द्रह लाख सतहत्तर हजार मात्र)	रु. 157700/- (रु. एक लाख सत्तावन हजार सात सौ मात्र)	29.1.2018	27.8.2018 (सांकेतिक कब्जा)
10.	मै. तनिष्क स्टील शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 38,03,128/- के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. 202138 में स्थित औद्योगिक प्लॉट एन 29 से 32, माप 512.00 वर्ग मी.। चौहद्दीः पूर्वः इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 35, 36, 37 एवं 38, उत्तरः प्लॉट नं. 33, दक्षिणः प्लॉट नं. 38 मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र. 202138 में स्थित औद्योगिक प्लॉट नं. 34 से 36, माप 384.00 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 31, 32 एवं 33, पश्चिमः इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, उत्तरः इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 37	रु. 9,90,000/- (रु. नौ लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 99,000/- (रु. निन्यानवे हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
11.	मै. हरीश मोटर्स शाखाः पहासू बुलन्दशहर	श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री चन्द्रहास सिंह	रु. 4355455.36/- के साथ 1.4.17 से आगे का ब्याज एवं लागत	पहासू देहात, खुर्जा-पहासू-छतरी रोड, कसबा, पोस्ट एंव परगणा पहासू, तहसील सिकारपुर, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-202396, माप 127.22 वर्ग मी. में स्थित भूमि एवं भवन। चौहद्दीः पूर्व- खुर्जा-पहासू-छतरी रोड, पश्चिम-कच्चा रास्ता 5.5 मी. चौड़ा, उत्तरः विक्रेता श्री फहीमुद्दीन का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता श्री फहीमुद्दीन का प्लॉट	रु. 2700000/- (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)	रु.270000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र)	4.8.2017	20.06.2018 (सांकेतिक कब्जा)
12.	मै. हिमांशि आयरन स्टोर, बीओः खुर्जा रुरल, बुलन्दशहर	श्री रवि कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार	रु. 14,41,825/- के साथ 1.5.17 से आगे का ब्याज एवं लागत	श्री रवि कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार (प्रॉप.) मै. हिमांशि आयरन के नाम में दस्ता. के अनुसार माप 262.18 वर्ग मी. तथा साइट के अनुसार माप 262.49 वर्ग मी. में धाकड़ मोड़ के निकट, बहार चुंगी खुर्जा, परगणा एवं तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203131 में आवासीय सम्पत्ति गाता नं. 1525 का भाग	रु. 585000/- (रुपये पांच लाख पचासी हजार मात्र)	रु.58500/- (रुपये अन्ठावन हजार पांच सौ मात्र)	26.7.2017	20.06.2018 (सांकेतिक कब्जा)
13.	मै. तोमर बिल्डिंग मैटेरियल शाखाः बराल, बुलन्दशहर	श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री अंगपाल सिंह	रु. 1133931/- के साथ 1.5.15 से आगे का ब्याज एवं लागत	मोह. न्यू आबादी विकास कॉलोनी, कसबा गुलौठी, परगणा अगोता, तहसील एवं जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203408 में स्थित प्लॉट एरिया माप 72.51 मीटर पर निर्मित आवासीय मकान। चौहद्दीः पूर्वः कुंअर सेन का मकान, पश्चिमः 14'0'' रास्ता, उत्तरः श्री पवन यादव का मकान, दक्षिणः 14'0'' रास्ता।	रु.1170000/- (रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु.117000/- (रुपये एक लाख सत्तरह हजार मात्र)	29.8.2017	3.3.2018 (सांकेतिक कब्जा)
14.	मै. सिंघल एजेन्सी शाखाः खानपुर, बुलन्दशहर	श्री श्री गोपाल, पुत्र स्व. लाला प्रकाश चन्द्र	रु. 25,09,727.14/- के साथ 1.12.12 से आगे का ब्याज एवं लागत	वर्तमान मोह. वैशयान, कस्बा खानपुर, तहसील ईयाना, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-2455405 में खानपुर घंटू, परगणा अहार, तहसील अनपूशहर बुलन्दशहर में स्थित तीन व्यावसायिक शॉप्स। चौहद्दीः पूर्वः राजकुमार का शॉप, पश्चिम-रोड, उत्तर-रामअवतार का शॉप, दक्षिण रोड तथा वर्तमान मोह. वैशयान, कस्बा खानपुर, तहसील ईयाना, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-2455405 में खानपुर घंटू, परगणा अहार, तहसील अनपूशहर बुलन्दशहर में स्थित चार व्यावसायिक शॉप, चौहद्दीः पूर्वः रोडः पश्चिमः धर्मशाला वुधसेन, उत्तरः राम अवतार का शॉप, दक्षिणः अग्रवाल धर्मशाला एवं मंदिर, कुल क्षेत्रफल 181.84 वर्ग मीटर	रु.1170000/- (रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु.117000/- (रुपये एक लाख सत्तरह हजार मात्र)	27.5.2014	26.09.2016 (सांकेतिक कब्जा)
15.	मै. विजय ट्रेडिंग कं.- प्रॉप आदेश कुमार शाखाः औरंगाबाद	श्री आदेश कुमार, श्री अवधेश कुमार, श्री अर्जुण सिंह एवं श्रीमती रामवती	रु. 1316487.52 के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज एवं लागत	मोहल्ला पवसारा रोड, औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.-203901, माप 13.46 वर्ग मीटर में स्थित आवासीय भवन। चौहद्दीः पूर्वः हरि सिंह का प्लॉट, पश्चिमः पवसारा रोड, उत्तरः पवसारा रोड, दक्षिणः सगीर अहमद का प्लॉट। मोहल्ला सिफ्टेन गढ़ी, औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र., माप 99.49 वर्ग मीटर में स्थित आवासीय बिल्डिंग। चौहद्दीः पूर्वः खेत इलियाश, पश्चिमः आरजी सेलर, उत्तरः आरजी मजीदन, दक्षिणः रोड औरंगाबाद।	रु.700000/- (रुपये सात लाख मात्र) रु. 650000/- (रुपये छः लाख पचास हजार मात्र)	रु.70000/- (रुपये सत्तर हजार मात्र) रु. 65,000/- (रुपये पैंसठ हजार मात्र)	9.8.18	11.12.2018 (सांकेतिक कब्जा)

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत-विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
iv. नीलामी बिक्री पोर्टल http://pnbindia.biz पर ''ई-नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।
v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल http://pnbindia.biz देखें एवं/अथवा श्री राजबीर सिंह, मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8800305533) से सम्पर्क करें।
vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर खाता, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को-ऑपरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिये।
vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई-मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई-मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''खाता क्रम सं. आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को श्री राजबीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, (मोबाईल नं. 8800305533) सर्किल कार्यालय बुलन्दशहर, यमुनापुरम, बुलन्दशहर उ.प्र.-202001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा-स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र/बिक्री की रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजबीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8800305533) से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार-ज्ञात नहीं। ई-नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई-नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकस्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।

तिथिः 18.7.2019
स्थानः बुलन्दशहर

प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत क्रेडीटर पंजाब नेशनल बैंक
सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर

आइएलएंडएफएस जांच : अच्छी रेटिंग पाने के लिए एजंसी के अधिकारियों को दिए गए कई प्रलोभन

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

संकटग्रस्त आइएलएंडएफएस की फोरेंसिक ऑडिट रपट में समूह के पूर्व प्रबंधन की तमाम अनियमितताओं को उजागर किया गया जिनमें यह बात भी है कि कंपनियों की वित्तीय हालत खराब होने के बावजूद उनकी वित्तीय रेटिंग का अच्छा प्रमाणपत्र पाने के लिए रेटिंग एजंसियों के बड़े अधिकारियों को प्रलोभन दिए गए।

आइएलएंडएफएस समूह 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा है। समूह के खोखलेपन की बात सामने आने के बाद सरकार ने इसके नए निदेशक मंडल का गठन किया था। नए निदेशक मंडल ने समूह का फोरेंसिक ऑडिट करने की जिम्मेदारी ग्रांट थॉर्टन को सौंपी थी जिसकी अंतरिम रपट में यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि जांच में उच्च रेटिंग पाने के लिए आइएलएंडएफएस के पूर्व प्रबंधन अधिकारियों द्वारा रेटिंग एजंसियों के शीर्ष अधिकारियों और उनके परिवार वालों को महंगे उपहार दिए गए और रेटिंग की रपट बदलने के भी सुझाव दिए गए।

अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान ही दो रेटिंग एजंसियों के निदेशक मंडलों ने उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। आइएलएंडएफएस के तत्कालीन प्रबंधकों की ओर से रेटिंग कार्य को प्रभावित करने के बारे में नए सबूत सामने आए हैं। फोरेंसिक ऑडिट का मकसद कोष के दुरुपयोग, फर्जी लेन-देन, उनके तौरतरीके और वित्तीय नुकसान के दायरे का पता लगाना व इन सभी की जिम्मेदारी तय करना है। अंतिम रपट में ग्रांट थॉर्टन ने पाया कि रेटिंग एजंसियों ने जुलाई/अगस्त 2018 में तब तक कंपनी की अच्छी रेटिंग को बनाए रखा, जब तक आइटीएनएल के पुनर्भुगतान की किस्त की चूक सामने नहीं आई।

वैसे रेटिंग एजंसियों के अधिकारियों ने अपने काम में खामी या गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए इसका दोष आइएलएंडएफएस समूह के तत्कालीन प्रबंधकों पर मढ़ा है। कुछ रेटिंग एजंसियों ने कहा है कि अंतरिम फारेंसिक ऑडिट रपट ऐसे लगती है जैसे यह एकतरफा जानकारी पर तैयार की गई है और इसे तैयार करने वालों को वित्तीय रेटिंग निर्धारण प्रक्रिया की जानकारी कम है।

इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि उसकी मातृ कंपनी फिच के सिंगापुर कार्यालय ने इस मामले में वरिष्ठ निदेशक की भूमिका की जांच की है। जांच में पाया गया कि अधिकारी ने कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन किया और अब वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है। कंपनी ने रेटिंग में अपनाई गई प्रक्रिया को सही बताया और कहा कि उसने इस काम में कंपनी से प्राप्त सूचनाओं का कड़ाई और पारदर्शिता के साथ विश्लेषण किया था। इसमें कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण भी शामिल है। रेटिंग एजंसी ने फोरेंसिक जांच में आई खामियों का ठीकरा आइएलएंडएफएस समूह के पूर्व शीर्ष प्रबंधकों पर फोड़ने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि पूर्व प्रबंधकों ने कारोबार के बारे में गलत सूचनाएं दीं और वित्तीय स्थिति पर लीपापोती की थी।

रपट के अनुसार आइएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेस के पूर्व मुख्य कार्यकारी रमेश बावा ने फिच रेटिंग्स के दक्षिण व दक्षिण एशिया के संस्थान प्रमुख अंबरीश श्रीवास्तव की पत्नी को एक विला खरीदने में मदद की, साथ ही उन्हें भारी छूट दी। कंपनी के एक और मेल में पाया गया कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स के संस्थापक और निदेशक डी रविशंकर ने अरुणा साहा को धन्यवाद भेजा है। साहा उस समय आइएफआइएन के संयुक्त निदेशक थे। साहा ने रविशंकर को उनके बेटे के साथ स्पेन के मैड्रिड में रीयल मैड्रिड का फुटबाल मैच देखने के लिए टिकट उपलब्ध कराए थे। एक और ईमेल में साहा आइएलएंडएफएस के मुख्य जोखिम अधिकारी सुजॉय दास से केयर के प्रबंध निदेशक राजेश मोकाशी के लिए उनकी पसंद का फिटबिट बैंड खरीदने के लिए कह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में खामियां, सरकार को 24,806 करोड़ का नुकसान : कैग

लखनऊ, 20 जुलाई (भाषा)।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में 2008-2018 के दौरान कई खामियों का पता लगाया है, जिसके कारण सरकार को 24,805.96 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।

राज्य विधानसभा में शुक्रवार को कैग की रपट रखी गई। यह रपट राज्य में इस दौरान शराब के उत्पादन और बिक्री मूल्य निर्धारण से संबंधित है। इसमें 24,805.96 करोड़ रुपए के वित्तीय नुकसान का अनुमान जताया गया है। रपट में कहा गया कि 2009-10 की आबकारी नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से मदिरा तस्करी को रोकने के लिए मेरठ में विशिष्ट क्षेत्र का सृजन किया गया। हालांकि इसमें दो सीमावर्ती जिले अलीगढ़ और मथुरा शामिल नहीं किए गए जबकि सात ऐसे जिलों को रखा गया जिनकी सीमाएं किसी पड़ोसी राज्य की सीमाओं से सटी नहीं थीं। इसलिए विशिष्ट जोन का सृजन बिना किसी स्पष्ट नीति के किया गया। विशिष्ट जोन के सृजन का हालांकि वांछित असर नहीं था, फिर भी इसे अगले नौ साल तक जारी रखा गया।

इसमें कहा गया कि बिना किसी वर्षवार खुली निविदा के सभी चार जोनों में फुटकर दुकानों का लाइसेंस नौ साल (2009-18) तक लगातार नवीनीकृत किया गया। इससे शराब के उत्पादन व उचित दर पर बिक्री में खुली प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो गई। कैग ने कहा कि राज्य की आबकारी नीतियों (2008-18) ने डिस्टिलरी और ब्रुअरीज को आइएमएफएल (इंडियन मेड फारेन लिकर) और बीयर की डिस्टिलरी कीमत व ब्रुअरी कीमत निर्धारण में अनियंत्रित विवेकाधिकार की अनुमति दी। इससे उन्हें शराब (आइएमएफएल और बीयर) की समरूप व समान ब्रांडों की डिस्टिलरी कीमत व ब्रुअरी कीमत में पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक (46 और 135 फीसद) वृद्धि करने की अनुमति मिल गई। फलस्वरूप उन्हें 2008-18 के दौरान राज्य के राजकोष व उपभोक्ताओं की कीमत पर 5525.02 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ मिला। अधिक डिस्टिलरी कीमत के कारण थोक व फुटकर विक्रेताओं (आइएमएफएल के मामले में) को भी 1643.61 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ हुआ।

रपट में कहा गया कि 2008-18 के दौरान आइएमएफएल की 180 मिलीलीटर (एमएल) और 90 एमएल माप की बोतलों की डिस्टिलरी कीमत की गलत गणना क्रम से 187.50 एमएल व 93.75 एमएल पर की गई। आबकारी आयुक्त द्वारा हालांकि आबकारी शुल्क की गणना 180 एमएल और 90 एमएल की दर से की गई थी। आबकारी विभाग इस गलती को दस साल तक पकड़ नहीं पाया और 2008-18 की अवधि में 227.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबकारी शुल्क नहीं मिला। इसमें कहा गया कि देशी शराब की न्यूनतम गारंटी क्वालिटी (एमजीक्यू) का 2011-18 के दौरान कम निर्धारण किए जाने से 3674.80 करोड़ रुपए की संभावित राजस्व क्षति हुई। कैग ने कहा कि देशी शराब की ही तरह आबकारी विभाग द्वारा आइएमएफएल और बीयर के उठान के लिए एमजीक्यू निर्धारित नहीं किए जाने से 13,246.97 करोड़ रुपए की संभावित राजस्व क्षति हुई।

भारत के साथ व्यापार असंतुलन का हल निकालने को इच्छुक चीन

बेजिंग, 20 जुलाई (भाषा)।

चीन ने कहा है कि वह द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन से जुड़ी भारत की चिंताओं का सम्मान करता है और इस मुद्दे के समाधान के लिए नए दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना चाहता है।

अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का सामना कर रहे चीन ने एकतरफावाद और संरक्षणवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत से सहयोग का आग्रह किया है। भारत लंबे समय से चीन पर अपने दवा बाजार को भारतीय दवा निर्यातकों के लिए खोलने को लेकर दबाव बनाता रहा है ताकि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने में मदद मिले। दोनों देशों के बीच का व्यापार घाटा बढ़कर 57 अरब डॉलर हो गया।

भारत में चीन के नए राजदूत सुन वेईडांग ने कहा कि चीन व्यापार असंतुलन पर भारतीय चिंताओं का सम्मान करता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

औद्योगिक वित्त शाखा एम–11 मिडिल सर्किल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

अनुसूची 6 (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, एम–11 मिडिल सर्किल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, भारत, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के संघ की ओर से, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना संदर्भ सं. एसआरपीएल/132/001 दिनांकित 16–01–2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा गारंटरों नामतः श्री दिनेश गोयल, श्री संजीव गुप्ता, श्री सौरव गुप्ता, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, कन्सेप्ट ट्रेडेक्स प्रा. लि., ग्लोशाइन इन्फ्राटेक प्रा. लि., यूनिनोर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. से सूचना में वर्णित राशि रू. 40,43,46,950.01 (रू चालीस करोड़ तेतालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पचास तथा पैसा एक मात्र) + 01–01–2019 की प्रभावी तिथि से आगे संविदात्मक दर पर ब्याज और 2 प्रतिशत वार्षिक की दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सरफासी ऐक्ट, 2002 की धराा 13 की उप–धारा (2) के अधीन एक सूचना संदर्भ सं. बीआर/पार्लिया/एडीवी/2018–19/दिनांकित 01–10–2018 जारी की थी, जिसमें कर्जदार सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा गारंटरों नामतः श्री दिनेश गोयल, श्री संजीव गुप्ता, श्री सौरव गुप्ता, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, कन्सेप्ट ट्रेडेक्स प्रा. लि., ग्लोशाइन इन्फ्राटेक प्रा. लि., यूनिनोर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. से सूचना में वर्णित राशि रू. 38.55 करोड़ (रू अड़तीस करोड़ पचपन लाख मात्र) + 01–10–2018 की प्रभावी तिथि से आगे संविदात्मक दर पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार एवं गारंटर बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 16–07–2019 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/गारंटरों को तथा जन साधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि रू. 40,43,46,950.01 (रू चालीस करोड़ तेतालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पचास तथा पैसा एक मात्र) + उस पर 01–01–2019 से ब्याज /चार्जेस और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार रू. 38.55 करोड़ (रू अड़तीस करोड़ पचपन लाख मात्र) + उस पर 01–10–2018 से ब्याज /चार्जेस के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	कन्सेप्ट ट्रेडेक्स प्रा. लि. द्वारा स्वाधिकृत रिहायशी प्लॉट नंबर 93, ब्लॉक–जी, सेक्टर–44, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश चौहद्दी : उत्तर : मकान नंबर जी–92, दक्षिण : प्लॉट नंबर जी–94, पूरब : 18 एम चौड़ी रोड, पश्चिम : अन्य का प्लॉट
2.	यूनिनोर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. द्वारा स्वाधिकृत प्लॉट नंबर 93, ब्लॉक–ए, सेक्टर–4, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश चौहद्दी : उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर ए–77, पूरब : प्लॉट नंबर ए–92, पश्चिम : रोड

दिनांक : 16–07–2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

शाखा कार्यालयः कॉरपोरेट बैंकिंग शाखा
पी–18/90, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
फोन : 011 23746140, ई–मेल : ifb.delhi@psb.co.in

[नियम 8] (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदारों और गारंटरों (1) मैसर्स सिंघल स्ट्रिप्स लि. (2) श्री प्रेम चंद सिंघल पुत्र श्री बनवारी लाल, निदेशक/गारंटर (3) श्री शंकर लाल सिंघल पुत्र श्री प्रेम चंद सिंघल (4) श्रीमती अनीता सिंघल पत्नी श्री शंकर लाल सिंघल (5) श्री बिमला देवी पत्नी श्री प्रेम चंद सिंघल (6) अजय कुमार सिंघल प. श्री प्रेम चंद सिंघल को दिनांक 09.10.2018 को एक मांग सूचना जारी किया था, जिसमें उल्लेखित बकाया राशि रु 45,37,17,043.51 (रु. पैंतालीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार तैतालीस और पैसे इक्यावन मात्र) कैश क्रेडिट खाता नं. **00071600306010** में, रु. 5,48,189.00 (रु. पाँच लाख अड़तालीस हजार एक सौ उनासी मात्र) वाहन खाता नं. **00071200708614** में उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनाक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (शाखा: कॉरपारेट बैंकिंग शाखा) के प्रभार वास्ते** रु 45,37,17,043.51 कैश क्रेडिट खाता नं. **00071600306010** में, रु. 5,48,189.00 वाहन खाता नं. **00071200708614** में दिनांक 29.09.2018 तक साथ में भविष्य का ब्याज और आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पति का विवरण	कब्जा सूचना की तारीख
(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक – प्रथम प्रभारित साम्यिक बंधक व्यवसायिक भवन प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित, खसरा नं. 624 एमपीएल नं. 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, पंजीकरण नं. 300, अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 3013, पेज नं. 72–77 दिनांक 24.02.98 जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 663.00 वर्ग गज में से भूतल का क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती अनिता सिंघल पत्नी श्री शंकर सिंघल के नाम पर है. चौहद्दी - उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली नं. 6 (15फीट गली), पूरब में – 15फीट गली, दक्षिण में – मेन भोला नाथ रोड	15-07-2019
(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक – प्रथम प्रभारित साम्यिक बंधक व्यवसायिक भवन प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित, खसरा नं. 624 एमपीएल नं. 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, पंजीकरण नं. 309 अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 3013, पेज नं. 119–124 दिनांक 26.02.98 जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 663.00 वर्ग गज में से भूतल का क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती अनिता सिंघल पत्नी श्री शंकर सिंघल और श्री शंकर सिंघल पुत्र श्री पी. सी. सिंघल के नाम पर है. चौहद्दी - उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली नं. 6 (15फीट गली), पूरब में – 15फीट गली, दक्षिण में – मेन भोला नाथ रोड	15-07-2019
(3) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक – साम्यिक बंधक व्यवसायिक भवन प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित, छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मी., खसरा नं. 624 में से एमपीएल नं. 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, पंजीकरण नं. 19455 अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 6759, पेज नं. 121–130 दिनांक 20.09.12 जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, भूतल, चौहद्दी - उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली नं. 6 (15फीट गली), पूरब में – 15फीट गली, दक्षिण में – मेन भोला नाथ रोड	15-07-2019
(4) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक – प्रथम प्रभारित साम्यिक बंधक व्यवसायिक भवन प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित, खसरा नं. 624 एमपीएल नं. 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, पंजीकरण नं. 299 अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 3013, पेज नं. 65–71 दिनांक 24.02.98 जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 663.00 वर्ग गज में से भूतल का क्षेत्रफल 163.00 वर्ग गज यह सम्पत्ति श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री पी सी सिंघल के नाम पर है. चौहद्दी - उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली नं. 6 (15फीट गली), पूरब में – 15फीट गली, दक्षिण में – मेन भोला नाथ रोड	15-07-2019
(5) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक – प्रथम प्रभारित साम्यिक बंधक व्यवसायिक भवन प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित, खसरा नं. 624 एमपीएल नं. 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित, पंजीकरण नं. 310 अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 3013, पेज नं. 125–130 दिनांक 26.02.98 जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 663.00 वर्ग गज में से भूतल का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री अजय सिंघल पुत्र श्री पी सी. सिंघल के नाम पर है. चौहद्दी - उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – गली नं. 6 (15फीट गली), पूरब में – 15फीट गली, दक्षिण में – मेन भोला नाथ रोड	15-07-2019

दिनांक 15.07.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इलाहाबाद बैंक विश्वास की परम्परा ALLAHABAD BANK A tradition of trust

www.allahabadbank.in

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ–226001 फोन नं. 0522–2288988

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इलाहाबाद बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र विस्तृत रूप से नीचे दी गई राशि नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋण–ग्रहिताओं के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण–ग्रहिताओं/जमानतकर्ताओं और सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिपत्य खाते के सम्मुख अंकित तिथि को ग्रहण कर लिया गया है।

ऋण–ग्रहिताओं को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ सव्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय–विक्रय इलाहाबाद बैंक के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र सं	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) विवरणी	डिमाण्ड नोटिस की तिथि / कब्जा नोटिस की तिथि / बकाया धनराशि
1	**उधारकर्ता–मेसर्स रोहतास प्रोजेक्टस् लि.**, फ्लैट न0 2, प्रथम तल, एफ–50बी, मधु विहार एक्सटेंशन, पतपड़गंज, नई दिल्ली–110092 **द्वारा श्री पंकज रस्तोगी, कार्पोरेट कार्यालय** 27/18, राजाराम मोहन राय मार्ग, लखनऊ, **प्रबन्ध निदेशक एवं जमानतकर्ता : श्री पंकज रस्तोगी** पुत्र श्री जवाहर लाल रस्तोगी, **निदेशक एवं जमानतकर्ता –1. श्री पियूष रस्तोगी** पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द रस्तोगी, दोनों निवासी 14/1, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ–226001 **2 श्री परेश रस्तोगी पुत्र** श्री लक्ष्मी चन्द रस्तोगी, निवासी फ्लैट नं. 803, रोहतास कोर्ट, गोखले मार्ग, लखनऊ 226001 **जमानतकर्ता –1. श्री दीपक रस्तोगी** पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी, निवासी 14/1, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ–226001, **2.मेसर्स रोहतास प्रापर्टीज़**, 27/18बी, राजाराम मोहन राय मार्ग, लखनऊ, **पंजीकृत कार्या0** 67, हलवासिया मार्केट हजरतगंज, लखनऊ–226001, **3. श्रीमती नीति रस्तोगी** पत्नी श्री परेश रस्तोगी निवासी फ्लैट न. 803, रोहतास कोर्ट, गोखले मार्ग, लखनऊ 226001 **4. श्रीमती मीता रस्तोगी** पत्नी श्री पंकज रस्तोगी निवासी 14/1, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ – 226001	1.सम्पत्ति– भूमि तल पर कमरों से युक्त स्थित ब्लॉक बी. क्षे. 985 वर्ग फुट रोहतास अपार्टमेंट, खसरा मुखड 114 और 115, पर निर्मित एक साथ भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ क्षे. 28.16 वर्गमीटर कुल भूमि माप क्षेत्र 6386.11 वर्ग मीटर में से जोकि रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम से इस्लामबारी, लखनऊ में स्थित है। **चौहददी:** उत्तर गलियारा, दक्षिण रास्ता, पूरब पार्किंग, पश्चिम रास्ता 2–यूनिट नं. एलजीएफ–09 क्षे0 34.75 वर्गमी, भूतल भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ क्षे. 21.14 वर्गमीटर पर निर्मित सम्पत्ति स्थित 27/18, 2 फैजाबाद रोड, लखनऊ, लैण्डमार्क आरकेड जोकि श्रीमती मीता रस्तोगी पत्नी श्री पंकज रस्तोगी के नाम है। **चौहददी:** उत्तर गलियारा, दक्षिण मार्ग, पूरब गलियारा, पश्चिम दुकान न 11 3– यूनिट नं एलजीएफ –10 जिसमें 21.93 वर्ग मीटर जोकि 13.34 वर्ग मीटर की भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सेदारी के साथ भूतल पर। निर्मित सम्पत्ति स्थित 27/18, 2 फैजाबाद रोड, लखनऊ, लैण्डमार्क आरकेड जोकि श्रीमती नीती रस्तोगी पत्नी श्री परेश रस्तोगी के नाम है। **चौहददी:** उत्तर गलियारा, दक्षिण मिट्टी भराव, पूरब गलियारा, पश्चिम दुकान न0 09. 4–सम्पत्ति न. 10 पर निर्मित यूनिट नं. 410ए, द्वितीय तल क्षे. 29.27 वर्गमी सुपर एरिया निर्मित जोकि 7.32 वर्ग मीटर की भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ है स्थित राना प्रताप मार्ग "के" त्रिवेद, जो श्री परेश रस्तोगी पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र रस्तोगी के नाम है **चौहददी**–उत्तर–यूनिट न0 411/कॉरिडोर, दक्षिण– 410बी/ आसमान की ओर खुला, पूरब– यूनिट न0 411, पश्चिम यूनिट न0 410बी, 5–सम्पत्ति –फ्लैट न0 304 तृतीय तल, सुपर एरिया 1177 वर्ग फुट स्थित रोहतास विंटेज अपार्टमेंट, जापलिंग रोड, लखनऊ जोकि मेसर्स रोहतास प्रॉपर्टीज के नाम पर है, **चौहददी**–उत्तर श्रीमती विश्वास का मकान, दक्षिण श्री अरुण लाल का मकान,पूरब जॉपलिंग रोड, पश्चिम गोखले विहार मार्ग	08.05.2019 / 17.07.2019 / रु. 41,28,658/– दिनांक 07.05.2019 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे
2.	**उधारकर्ता–1–मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्रा0 लि0**, चतुर्थ तल नवचेतना केन्द्र 10 अशोक मार्ग लखनऊ–226001 **द्वारा प्रबन्ध निदेशक श्री सुकान्त जैन।** **2.प्रबन्ध निदेशक एवं जमानतकर्ता– श्री सुकान्त जैन** पुत्र श्री सुधीर जैन **3.पूर्णकालिक निदेशक/जमानतकर्ता– श्री निकांत जैन** पुत्र श्री सुधीर जैन **4.अतिरिक्त निदेशक/जमानतकर्ता– श्रीमती वैशाली जैन पत्नी** श्री सुकान्त जैन, सभी निवासी 1/72, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010	1. अचल सम्पत्ति खसरा नं 847 का भाग, क्षे 1850 वर्गमी स्थित ग्राम लालपुर, राजपुर, परगना सूर्यापुर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी जोकि मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्रा. लि., के नाम है। **चौहददी**–उत्तर–अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण– सुमन स्वरूप(विक्रेता) की सम्पत्ति एवं 20फीट कच्चा रास्ता, पूरब–मो. रईस एवं भैरव प्रसाद का प्लाट, पश्चिम–शिव स्वरूप एवं अन्य की सम्पत्ति। 2. खसरा नं. 496 एवं 498मि का भाग, क्षे. 2600 वर्गमी, स्थित ग्राम बजेहरा, परगना मोरिडा, परसदन, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव जोकि मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्रा. लि., के नाम है। **चौहददी**–उत्तर–रोड 9मी0 से कम, दक्षिण– सुरेन्द्र एवं अन्य की सम्पत्ति, पूरब–मो. नसीरूद्दीन की सम्पत्ति, पश्चिम–एसबीएम कॉर्पोरेशन(विक्रेता) की शेष सम्पत्ति। **पूर्व में हमारे द्वारा दी गई कब्जा सूचना दिनांक 08.01.2019 वापस ली जा चुकी है।**	02.05.2019 / 19.07.2019 / रु. 4,41,42,405/– दिनांक 02.05.2019 तक +ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांक 19.07.2019, स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

औद्योगिक वित्त शाखा एम–11 मिडिल सर्किल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

अनुसूची 6 (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, एम–11 मिडिल सर्किल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, भारत, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के संघ की ओर से, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना संदर्भ सं. एसआरपीएल/132/001 दिनांकित 16–01–2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा गारंटरों नामतः श्री दिनेश गोयल, श्री संजीव गुप्ता, श्री सौरव गुप्ता, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, कन्सेप्ट ट्रेडेक्स प्रा. लि., ग्लोशाइन इन्फ्राटेक प्रा. लि., यूनिनोर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. से सूचना में वर्णित राशि रू. 40,43,46,950.01 (रू चालीस करोड़ तेतालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पचास तथा पैसा एक मात्र) + 01–01–2019 की प्रभावी तिथि से आगे संविदात्मक दर पर ब्याज और 2 प्रतिशत वार्षिक की दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सरफासी ऐक्ट, 2002 की धराा 13 की उप–धारा (2) के अधीन एक सूचना संदर्भ सं. बीआर/पार्लिया/एडीवी/2018–19/दिनांकित 01–10–2018 जारी की थी, जिसमें कर्जदार सनवर्ल्ड रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा गारंटरों नामतः श्री दिनेश गोयल, श्री संजीव गुप्ता, श्री सौरव गुप्ता, श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, कन्सेप्ट ट्रेडेक्स प्रा. लि., ग्लोशाइन इन्फ्राटेक प्रा. लि., यूनिनोर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. से सूचना में वर्णित राशि रू. 38.55 करोड़ (रू अड़तीस करोड़ पचपन लाख मात्र) + 01–10–2018 की प्रभावी तिथि से आगे संविदात्मक दर पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार एवं गारंटर बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा 16–07–2019 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/गारंटरों को तथा जन साधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि रू. 40,43,46,950.01 (रू चालीस करोड़ तेतालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पचास तथा पैसा एक मात्र) + उस पर 01–01–2019 से ब्याज /चार्जेस और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार रू. 38.55 करोड़ (रू अड़तीस करोड़ पचपन लाख मात्र) + उस पर 01–10–2018 से ब्याज /चार्जेस के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री सौरव गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत रिहायशी प्लॉट नंबर 082, ब्लॉक–एफ, सेक्टर–44, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश चौहद्दी : उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण : रोड, पूरब : मकान नंबर एफ–81, पश्चिम : मकान नंबर एफ–83
2.	श्रीमती मीरा गुप्ता द्वारा स्वाधिकृत रिहायशी प्लॉट नंबर 001, ब्लॉक–जी, सेक्टर–44, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश चौहद्दी : उत्तर : रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर जी–02, पूरब : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : रोड

दिनांक : 16–07–2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.

गृहे पोष्यम् विराजते

प्रधान कार्यालयः नेशनल इन्स्युरैन्स बिल्डिंग, 6ठा तल, 14, जमशेद टाटा रोड, चर्चगेट, मुम्बई–400020
दिल्ली क्षेत्र कार्यालयः यूजीएफ–10ए–ई, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
टेलीफोन नं.–011–23737669, 23327548, 41522024, 41522025

विषयः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के उप-नियम (1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जैसा कि जीआईसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे दी गई संबंधित तिथियों को जारी की गई मांग सूचना के अनुसार आप (ऋणधारकों (नीचे नामित) को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया देयताओं के भुगतान का निर्देश दिया था। निर्धारित समय के भीतर आप सभी उक्त बकाया देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे, अतएव, सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियमावली के साथ पठित धारा 13 की उप धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीआईसीएचएफएल ने नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

क्रम सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/ऋण फाईल सं./शाखा का नाम	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का पता	13(2) मांग सूचना जारी करने की तिथि एवं राशि	13(2) मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
1	DL0111300106034 देविन्दर कुमार त्यागी	प्रथम तल का फ्लैट, प्लॉट नं. 806, सेक्टर 3 रा, एफ, वैशाली गाजियाबाद, उ.प्र.	12.11.2018	06.01.2019 रु. 9,66,880/–	18.07.2019
2	UP0110610004890 श्रीमती जया प्रदीप/श्री प्रदीप नैयर	फ्लैट नं.–एफ–3, प्रथम तल, बैक साइड, प्लॉट नं. –1/496, वार्ड नं. 29, सेक्टर–1, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 22,45,282/–	18.07.2019
3	UP0110610003085 श्री नसीर खान	फ्लैट नं.201, दूसरा तल, प्लॉट नं.–233, खसरा नं. 35, वृन्दावन गार्डन, ग्राम सहाबेरी, जी.बी.नगर, उ.प्र.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 16,88,734/–	18.07.2019
4	HR0110610002802 श्रीमती मिली सिंह	फ्लैट नं.302, दूसरा तल, प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 138, 142, 150 का भाग, शिव दुर्गा विहार, स्ट्रीट नाम–मैन दयाल बाग रोड, ग्राम–लक्करपुर, फरीदाबाद, एच.आर.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 21,95,057/–	17.07.2019
5	UP0110610003342 प्रदीप कुमार	फ्लैट नं.– एसएफ–4, दूसरा तल, प्लॉट नं. एच–2 तथा एच–3, खसरा नं.–1460, बालाजी एन्क्लेव, ग्राम, रईसपुर, डासना, गाजियाबाद, उ.प्र.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 11,46,262/–	18.07.2019
6	DL0111300105641 श्रीमती बबीता गुप्ता/श्री रमेश गुप्ता	एच. नं. जे–100, प्रताप विहार सेक्टर–12, विजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	16.04.2018	06.01.2019 रु. 11,26,022/–	18.07.2019
7	DL0111300103579 श्री सुबोध कुमार	एच. नं. 24, एरिया–65 वर्ग याईस ख. नं.– 1199, ग्राम नूर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.	01.11.2012	06.01.2019 रु. 2,40,474/–	18.07.2019
8	HR0110610002017, श्री रतन कुमार/ श्रीमती रिंकू देवी	भूतल का फ्लैट, फ्रान्ट साइड, प्लॉट नं. ए–2179, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरि.	17.04.2017	06.01.2019 रु. 20,08,453/–	17.07.2019
9	UP0110610004622, सुलक्ष्य गुप्ता	फ्लैट नं. 203, दूसरा तल, प्लॉट नं. 97 एवं 98, ख. नं.–41, सिद्धार्थ अपार्टमेन्ट–2, ईश्वर नगर, साहाबेरी, जी.बी. नगर, उ.प्र.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 16,25,026/–	18.07.2019
10	HR0110610002799, मनोज कुमार	फ्लैट नं. 303, दूसरा तल प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 138, 2–4 का भाग, शिव दुर्गा विहार, गली का नाम–मैन दयाल बाग रोड, ग्राम लक्करपुर, फरीदाबाद, हरि.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 23,26,180/–	17.07.2019
11	HR0110610002497, अपूर्वा कुमार शर्मा	फ्लैट नं. 104, ऊपरी भूतल प्लॉट नं.–6, खसरा नं. 138, 142, 150 एवं खेवट नं. 258/246 का भाग, शिव दुर्गा विहार, गली का नाम–मैन दयाल बाग रोड, ग्राम लक्करपुर, फरीदाबाद, हरि.	17.09.2018	06.01.2019 रु. 24,91,912/–	17.07.2019
12	UP0110610003217, मुकेश कुमार झा	फ्लैट नं. टीएफ–4, 3रा तल, प्लॉट नं. 62 एवं 63 ख.नं. 143, एपीएस आशियाना साई गार्डन–2, वृन्दावन हॉस्पीटल के निकट ग्राम साहबेरी, जी.बी. नगर (उ.प्र.)	17.09.2018	06.01.2019 रु. 14,98,434/–	18.07.2019
13	DL0111300106635, सुशील कुमार वर्मा/ श्रीमती शाक्षी वर्मा	एच. नं. ए–91, ऊपरी भू तल, अशोका एन्क्लेव, पार्ट–2, सेक्टर–37, फरीदाबाद, हरि.	12.01.2018	06.01.2019 रु. 40,89,540/–	17.07.2019
14	HR0110610001782, राजेश कुमार/ श्रीमती अमीता सिंह	दूसरे तल का फ्लैट, रीअर साइड, प्लॉट नं.–150, अशोका एन्क्लेव–1, फरीदाबाद, हरि.	12.09.2018	06.01.2019 रु. 20,07,577/–	17.07.2019

इस क्रम में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (6) के अनुपालन में ऊपर नामित ऋणधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि जीआईसीएचएफएल अब इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन दी गई किसी एक पद्धति को अपनाकर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों, ऊपर वर्णित की बिक्री के लिये कदम उठायेगा।

ऋणधारकों तथा **सर्व-साधारण** को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों अथवा उसके किसी भाग का व्यवसाय नहीं करें तथा उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के समक्ष यहां ऊपर वर्णित राशि जिसका भुगतान सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब्याज के साथ किया जायेगा, के लिये **जीआईसीएचएफएल** के चार्ज के अधीन होगा।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत प्रकाशित की जा रही है तथा साथ ही संबंधित सम्पत्तियों के किसी उपयुक्त स्थान पर चिपकाई भी गई है।

जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये
हस्ता./–
तिथिः 21.7.2019
स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी

CORAL NEWSPRINTS LTD.
CIN No : L22219DL1992PLC048398
Regd. Office : A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092
E-mail : cnpl_5000@rediffmail.com
Website : www.coralnewsprintslimited.com
Tel. : 22010998

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI Listing (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of **CORAL NEWSPRINTS LIMITED** will be held on Saturday, 27th July 2019, to consider and take on records the Un-audited Financial results of the Company for the Quarter ended 30.06.2019.

Information in this regard is also available on the website of the company i.e. www.coralnewsprintslimited.com and on the website of Stock exchange i.e www.bseindia.com

For Coral Newsprints Ltd.
(P.P.S. Chauhan)
Director (DIN : 01871760)
Dated : 19.07.2019
Place : Delhi

दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को गरमी से राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में शनिवार को हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम के मिजाज में सुबह से ही तल्खी थी। हालांकि, दोपहर तक छिटपुट बारिश और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट हुई और यह दो डिग्री की बढ़त के साथ 36.4 दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन तक हल्के बादलों व धूप की आवाजाही रहेगी। अभी छिटपुट बारिश के बाद 25, 26 जुलाई को तेज बारिश के आसार हैं।

असम, बिहार, बंगाल सहित देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य भारत के कई हिस्सों में भी बारिश होने के कारण गर्मी से राहत है। दक्षिण पश्चिम मानसून हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के कुछ इलाकों के ऊपर से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते इन इलाकों में आने वाले दिनों में ठीकठाक बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली में शनिवार को कुल 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राजधानी दिल्ली में हुई बारिश व रिमझिम फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत मिली। न्यूनतम तापमान शनिवार सुबह मौसम के औसत से दो डिग्री कमी के साथ 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान दो डिग्री की बढ़त के साथ 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विज्ञानी ने बताया कि शहर के पालम में 14.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

विभाग के सफदरजंग वेधशाला में पिछले 24 घंटे में दर्ज बारिश की मात्रा 9.2 मिली मीटर रही। आयानगर वेधशाला ने महज बूंदाबांदी दर्ज की। इसके उलट लोधी रोड में 22.2 मिलीमीटर बारिश हुई। रिज में एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा फरीदाबाद जाफरपुर व एनसीआर के अन्य इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। वहीं हवा में नमी का स्तर सुबह साढ़े आठ बजे तक 93 फीसद दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को भी शहर में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा रविवार को तापमान 36 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

मानसून के दोबारा जोर पकड़ने पर केरल में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कासरगोड जिले के कुदुले में शनिवार तक 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण अब तक दो लोगों की डूबने से मौत होने की सूचना है। इसके अलावा तमिलनाडु के तीन मछुआरों सहित चार लोग लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि वे भी बारिश व बाढ़ का शिकार हुए हैं।

असम, बिहार, बंगाल सहित देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य भारत के कई हिस्सों में भी बारिश होने के कारण गर्मी से राहत है।

राजस्थान में कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। विभाग ने बताया कि राज्य में अभी तक सामान्य वर्षा हुई है। राज्य के कुल 33 में से 16 जिलों में अब तक कम सामान्य बारिश दर्ज की गई है। राज्य के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य के पांच जिलों में अब तक सामान्य से अधिक जबकि 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक जून से 19 जुलाई तक की अवधि में राज्य में 193.66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राजस्थान की औसत बारिश 165.30 मिलीमीटर रहती है।

असम में बाढ़ प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में एक ऐतिहासिक इमारत बारिश के कारण गिर गई है। शनिवार को पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई वाले इलाकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि देश के उत्तरी हिस्से में मानसून की झमाझम बारिश 23 जुलाई के बाद से होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के ऊपर से एक मौसमी गर्त पश्चिमोत्तर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। जबकि हरियाणा के ऊपर हवाओं का एक चक्रवात बना हुआ है।

उत्तराखंड में अभी तक सामान्य से कम हुई बारिश

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 19 जुलाई।

जुलाई का आधा महीना निकलने के बाद भी उत्तराखंड में मानसून परवान नहीं चढ़ पाया है। सूबे के कई जिलों में सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हुई है। उधमसिंहनगर जिले को छोड़ कर अन्य जिलों में बारिश के हालात बहुत ठीक नहीं है। इसको लेकर मौसम विभाग चिंतित है।

दो जिलों उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल में तो सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बरसात के इस मौसम में अब तक इन दोनों जिलों में सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हुई है। बाकी जिलों के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र के मुताबिक गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल में मानसून सीजन में अब तक सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हुई है। अब तक उत्तरकाशी जिले में 43 फीसद और पौड़ी गढ़वाल जिले में 46 फीसद ही बारिश हुई है। जो बहुत कम है।

कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान तक बना रहेगा अनुच्छेद 370 : फारुक

श्रीनगर, 20 जुलाई (भाषा)।

नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना संविधान से छेड़छाड़ के समान होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान होने तक अनुच्छेद 370 जरूरी है और तब तक इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, '(जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय के समय की) विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में डाला गया था। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान होने तक ऐसे ही बना रहेगा।' जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा, 'जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता धरती पर कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को छू नहीं सकती।' उन्होंने अनुच्छेद 35ए का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 का परिणाम है और इससे छेड़छाड़ से 1954 के राष्ट्रपति आदेश में सभी संशोधन पलट जाएंगे।

उन्होंने कहा, 'यदि अनुच्छेद 35ए को निरस्त किया गया तो राष्ट्रपति के सभी उत्तरोत्तर आदेश स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। तत्कालीन महाराजा ने 1927 में राज्य के लोगों

जापानी बुखार से चार और लोगों की मौत, मृतक संख्या 101 हुई

गुवाहाटी, 20 जुलाई (भाषा)।

असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) से चार और लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 101 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने बुलेटिन में यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि उदलगुड़ी, बकसा, गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग जिलों में एक-एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। पीड़ितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बुलेटिन में बताया गया है कि 13 और नए मामलों के सामने आने के साथ ही जापानी बुखार से संक्रमित मामलों की संख्या 439 हो गई है। एनएचएम की बुलेटिन में बताया गया है कि जनवरी से राज्य में इश बीमारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा 222 है, जबकि इस समयावधि के दौरान जेई/एईएस पीड़ित मामलों की संख्या 1,569 है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (उत्तर) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006, टेलीफोन: 011-23832226

27.08.2019 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री

आम जनता और विशेषतः कर्जदारों/गारंटीकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा लिया गया है, को बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो भी वहां है" आधार पर 27.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बोली जमा करने की तिथि 26.08.2019 को सायं 5:00 बजे तक, ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 27.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ)। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in या www.bankeauctions.com देखें।

चल / अचल संपत्तियों का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि तथा बकाया राशि (रू. लाखों में)	कब्जा की तिथि एवं प्रकार	रू. लाखों में: आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि
1.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री विजय [illegible]	क्लासिक [illegible]	फ्लैट नं. बी-2, सम्पत्ति सं. 3477/3, [illegible]177, सम्पूर्ण प्रथम तल (बिना छत [illegible]धिकार), निकोलसन रोड, मोरीगेट, [illegible]ल्ली, एरिया-522 वर्ग फीट [illegible]ालिक-नजीम खान)	17.12.2018 रू.105.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	01.07.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 22.19 लाख / ₹ 2.30 लाख / ₹ 0.30 लाख
2.	दरियागंज नई दिल्ली	[illegible]	[illegible]	[illegible]ली नवाब वाली, तिलक बाजार, [illegible]ल्ली में स्थित सम्पूर्ण तीसरा तल [illegible]त अधिकार के साथ, सम्पत्ति सं. [illegible]367, वार्ड नं. 3, एरिया-65.03 वर्ग [illegible]टर (मालिक-हिमायु खान)	17.12.2018 रू.105.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	31.05.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 32.13 लाख / ₹ 3.30 लाख / ₹ 0.40 लाख
3.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री विजय सिंह मोबाइल: 8800013511/ 8005566802	क्लासिक ऑप्टिकल्स	3rd floor in a 4 storey building, property no. 757/1, ward no-VII, Farash Khana, Delhi, Area-1135 Sq. Feet (Owner- Himayu Khan)	17.12.2018 रू.105.90 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	04.07.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 45.00 लाख / ₹ 4.50 लाख / ₹ 0.50 लाख
4.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री विजय सिंह मोबाइल: 8800013511/ 8005566802	मैसर्स स्टॉर मैन्युफैक्चरिंग क.	गांव खुरेजी खास का एरिया, रमेश पार्क की आबादी, जे पी वेस्ट, लक्ष्मी नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित खाली आवासीय प्लॉट/भूमि सं. एफ-153-ए/1 (एफ-153-ए/1सी के रूप में ज्ञात), खसरा नं. 57/1 का भाग, एरिया-100 वर्ग यार्ड (मालिक-सलामत अली)	12.09.2018 रू.184.16 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	17.05.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 72.00 लाख / ₹ 7.20 लाख / ₹ 0.80 लाख
5.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री विजय सिंह मोबाइल: 8800013511/ 8005566802	मैसर्स महक सारी हाउस	गांव-चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, गली नं. 14, ईस्ट राम नगर, मंडोली रोड, इलाका-शाहदरा, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. 1/2244-ए, खसरा नं. 885/136 का भाग, एरिया-100 वर्ग यार्ड (मालिक-शशांक शर्मा)	30.10.2018 रू.134.13 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	01.07.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 68.00 लाख / ₹ 6.80 लाख / ₹ 0.70 लाख
6.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री विजय सिंह मोबाइल: 8800013511/ 8005566802	पैसिफिक ऑप्टिकल्स	उत्तरी तरफ का भाग, दूसरा तल आवासीय फ्लैट (बिना छत अधिकार), निगम सम्पत्ति सं. 508 (पुराना) एवं 1163 (नया), जी+4 मंजिला भवन में निर्मित, एरिया-450.00 वर्ग फीट (मालिक-नजीम खान)	12.09.2018 रू.221.04 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	25.06.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 13.50 लाख / ₹ 1.35 लाख / ₹ 0.20 लाख
7.	प्रेस एरिया नई दिल्ली	श्री अनिल कुमार मोबाइल: 8800013511/ 9999917108	एस.के.एम मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	प्लॉट नं. 93 पर बेसमेंट+भूतल+एक और आधा मंजिल आवासीय सम्पत्ति, ब्लॉक-ए, सैक्टर-92, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी, एरिया-भूमि 300 वर्ग मीटर (मालिक-वीना)	11.12.2018 रू.387.71 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	03.03.2019 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 248.42 लाख / ₹ 25.00 लाख / ₹ 2.50 लाख
8.	प्रेस एरिया नई दिल्ली	श्री अनिल कुमार मोबाइल: 8800013511/ 9999917108	डी एस हैण्डिक्राफ्ट्स प्रा. लि.	सैक्टर-63, फेज-3, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 34, ब्लॉक-बी, एरिया-800 वर्ग मीटर (मालिक-रविन्दर कौर)	11.12.2018 रू.432.44 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	03.03.2019 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 455.09 लाख / ₹ 50.00 लाख / ₹ 5.00 लाख
9.	राम तीरथ नगर, नई दिल्ली	श्री पी. सी. बंसल मोबाइल: 9711163590/ 9315371232	रमेश कुमार सिंह एवं सुनीता सिंह	दूसरा तल (बिना छत अधिकार), सम्पत्ति सं. 66, खसरा नं. 17/20 का भाग, गांव मटियाला कॉलोनी जिसे किरण गार्डन के रूप में जाना जाता है, मटियाला एक्स, ब्लॉक-बी, उत्तम नगर, दिल्ली, एरिया-50.17 वर्ग मीटर (मालिक-श्री रमेश कुमार सिंह एवं श्रीमती सुनीता सिंह)	31.08.2018 रू.17.89 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	09.11.2018 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 17.00 लाख / ₹ 1.70 लाख / ₹ 0.20 लाख
10.	सविता विहार नई दिल्ली	श्री नवीन कुमार मोबाइल: 9999917133/ 9950757772	मैसर्स भास्कर एण्टरप्राईजेज	गांव घोण्डा गुजरन खादर, सी-ब्लॉक, गली नं. 16, भजनपुरा, इलाका-शाहदरा, दिल्ली में स्थित आवासीय प्लॉट नं. सी-363/ बी-1, अंतिम मंजिल तक निर्माण के साथ, खसरा नं. 358 का भाग, एरिया-75.24 वर्ग मीटर (मालिक-दर्शना रानी)	28.12.2018 रू.102.65 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	07.03.2019 (प्रतीकात्मक कब्जा)	₹ 93.00 लाख / ₹ 9.30 लाख / ₹ 1.00 लाख
11.	विकास मिनार नई दिल्ली	श्री नवीन कुमार मोबाइल: 9999917133/ 9711044170	त्रिलोक चन्द शर्मा एवं श्री श्याम सेल्स कार्पोरेशन	गांव चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, भोलानाथ नगर की आबादी, गली नं. 7, इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित सम्पूर्ण द्वितीय तल (छत अधिकार के साथ/तीसरा तल जोड़ा गया), सम्पत्ति सं. 360/5ई/2ए पर निर्मित, खसरा नं. 1590/624 मिनि का भाग, एरिया-70 वर्ग यार्ड (मालिक-त्रिलोक चंद शर्मा)	30.09.2018 रू.76.06 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	10.06.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 42.00 लाख / ₹ 4.20 लाख / ₹ 0.50 लाख
12.	नरेला नई दिल्ली	वी के बंसल मोबाइल 9811539397/ 9549126777	देविन्दर सिंह	औद्योगिक तीन मंजिला सम्पत्ति सं. डी-61, रेवाड़ी लाइन इंडस्ट्रियल एरिया-2, मायापुरी, नई दिल्ली, एरिया-100.00 वर्ग यार्ड (मालिक-देविन्दर सिंह)	05.01.2019 रू.67.84 लाख + अन्य शुल्क, लागू होने वाले डिडक्शन्स/ पुनर्भुगतान	24.06.2019 (भौतिक कब्जा)	₹ 153.99 लाख / ₹ 16.00 लाख / ₹ 1.50 लाख

नियम व शर्तें:

1. ईएमडी राशि **26.08.2019 को सायं 5:00 बजे** से पूर्व निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), **चांदनी चौक, नई दिल्ली-110006**, खाता सं. 3498860922) (आईएफएससी कोड सीबीआईएन0280288)।
2. सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद कुमार-9813887931 (स्पोर्ट ई-मेल आईडी **support@bankeauctions.com**) और सम्पत्ति संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए संबंधित शाखाओं/प्राधिकृत अधिकारी के नाम के आगे वर्णित टेलीफोन नम्बरों पर या **श्री अनिल दूबे मोबाइल नं. 8800013473, 8800013563** से सम्पर्क कर सकते हैं।
3. नियम व शर्तों के पूर्ण ब्यौरे के लिए कृपया: **www.centralbankofindia.co.in** या **https://www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन का बिक्री सूचना

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 21.07.2019 स्थान: दिल्ली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. (उत्तर) चांदनी चौक, दिल्ली

डी राजा हो सकते हैं भाकपा के महासचिव

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्यसभा सदस्य डी राजा पार्टी के नए महासचिव बनने की उम्मीद है। वे निवर्तमान महासचिव एस सुधारकर रेड्डी का स्थान लेंगे।

भाकपा सूत्रों ने शनिवार को बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजा को महासचिव बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले की औपचारिक घोषणा बाद में कर दी जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजा को महासचिव बनाए जाने के प्रस्ताव पर शुक्रवार को भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सहमति जताते हुए इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय परिषद के समक्ष पेश करने का रास्ता साफ कर दिया था।

हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भाकपा की करारी हार के बाद रेड्डी ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को अपने इस्तीफे की वजह बताई थी। भाकपा के एक नेता ने बताया कि 18 से 20 जुलाई तक आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की राज्यवार समीक्षा और नए महासचिव का चुनाव मुख्य एजंडे में शामिल थे। उन्होंने पार्टी की कार्यकारिणी द्वारा रेड्डी का इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें पार्टी के दायित्वों से सेवानिवृत्ति दी गई है।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
देवी रेस्टॉरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	देवी रेस्टॉरैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	20.10.2016
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U55209DL2016PTC307351
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता (यदि कोई हो)	44, एफ/9, तीसरा तल किशनगढ़, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	19.7.2019 (माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश तिथि 16.7.2019, दिनांक 19.7.2019 को प्राप्त की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	14.01.2020
8.	प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	राजीव मलिक पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-19/12115
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	राजीव मलिक बी-7/18, मियाँवाली नगर, दिल्ली-110087 ईमेलः iprmalik2009@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	राजीव मलिक बी-7/18, मियाँवाली नगर, दिल्ली-110087 ईमेलः deviramcirp@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	01.08.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग का नामः एन.ए.
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) 1, 2, 3.	1. एन.ए. 2. एन.ए. 3. एन.ए.
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads एन.ए.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 16.07.2019 (आदेश 19.07.2019 को प्राप्त की गई) को देवीराम रेस्टॉरैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा देवीराम रेस्टॉरैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 1.8.2019 जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल की नियुक्ति से 180 दिन होता है को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये (होम बायर) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का दर्शाएं

प्रपत्र बीः कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे
प्रपत्र सीः वित्तीय क्रेडीटर्स द्वारा दावे
प्रपत्र सीएः किसी वर्ग में वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे
प्रपत्र डीः कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे
प्रपत्र ईः कर्मियों अथवा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किए गये दावे
प्रपत्र एफः क्रेडीटरों द्वारा दावे (वित्तीय क्रेडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों के अतिरिक्त)
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-
तिथिः 20.7.2019 राजीव मलिक अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल
स्थानः नई दिल्ली पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115

आदित्य बिड़ला आइडिया भुगतान बैंक होगा बंद

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (एबीआईपीबीएल) ने शनिवार को अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की। बैंक को परिचालन में आए महज 17 महीने ही हुए थे। शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बताया कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण भुगतान बैंक का कारोबार प्रभावित हुआ है, जिसने इसके आर्थिक मॉडल को अव्यावहारिक बना दिया है।

कंपनी ने कहा, 'हमारी सहयोगी कंपनी एबीआइपीबीएल के निदेशक मंडल ने स्वैच्छिक तौर पर कंपनी का कारोबार बंद करने का निर्णय किया है। इस संबंध में उसे नियामकीय अनुमति की जरूरत है।' एबीआईपीबीएल ने फरवरी 2018 में अपना परिचालन शुरू किया था।

कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ रवाना

जम्मू, 20 जुलाई (भाषा)।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था शनिवार को यहां भगवती नगर आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर स्थित पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस जत्थे में 955 महिलाओं और 144 साधु समेत 4,094 श्रद्धालु शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एक जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 2.43 लाख तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि 175 वाहनों में श्रद्धालुओं का यह जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तड़के रवाना हुआ। उनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं।

bharti airtel
भारती एयरटेल लिमिटेड
सी.आई.एन.: L74899DL1995PLC070609
पंजीकृत कार्यालयः भारती क्रिसेन्ट 1, नेलसन मन्डेला रोड, वसन्त कुंज, फेस - II, नई दिल्ली - 110 070, भारत
दूरभाष: 91-11-4666 6100, फैक्स: 91-11-4166 6137
ई-मेल: compliance.officer@bharti.in वेबसाईट: www.airtel.com

24वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:

1. कम्पनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक ('ए.जी.एम.' या 'बैठक') बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को अप. 3.30 बजे (भा.स.अ.) 24वीं ए.जी.एम. की सूचना ('सूचना') में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लिए, एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010, भारत में होगी। सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.airtel.com, एवं कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।
2. सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी की एकीकृत रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय लेखों का शनिवार, 20 जुलाई, 2019 को उन सभी सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और संक्षिप्त वित्तीय विवरण 2018-19 के साथ सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने का कार्य शनिवार, 20 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों को उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके नाम शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 को सदस्यों/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के रजिस्टर में दर्ज हैं।
3. वे सदस्य जिनके पास बुधवार, 7 अगस्त, 2019 ('कट-ऑफ तिथि') को शेयर या तो भौतिक रूप में या अमूर्त (डिमैटिरियलाइज्ड) रूप में उपलब्ध हैं, कार्वी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा ए.जी.एम. स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से भी ए.जी.एम. की सूचना में निर्धारित अनुसार साधारण तथा विशेष कारोबार(रों) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप ('रिमोट ई-वोटिंग') से अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयर का स्वामित्व धारण करता है, वह evoting@Karvy.com पर आग्रह भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी प्रदान की गई है।
4. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 11 अगस्त, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (भा.स.अ.) शुरू होगी और मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे (भा.स.अ.) बंद होगी। (ख) रिमोट ई-वोटिंग, मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे (भा.स.अ.) के बाद अनुमत्य नहीं होगी।
5. वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालते हैं, उनके लिए ए.जी.एम. के स्थल पर मतपत्र/मतदान पत्र/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
6. जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानि बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को सदस्यों/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या ए.जी.एम. में वोटिंग, जैसा भी मामला हो, की सुविधा उठाने के लिए योग्य होंगे।
7. कम्पनी को ए.जी.एम. की कार्यवाही का लाइव वेबकॉस्ट करने की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता है। सदस्यगण जो ए.जी.एम. में भाग लेने के योग्य नहीं हैं, वे अपना सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके कॉर्वी की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर लॉग इन करके ए.जी.एम. की कार्यवाही देख सकते हैं। सदस्यगण जो ए.जी.एम. में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उन्हें लाइव वेबकास्ट की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
8. रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ और/या शिकायत के लिए सदस्यगण https://evoting.karvy.com (कार्वी वेबसाइट) के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध हैल्प एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री रमेश देशाई, प्रबंधक (यूनिट भारती एयरटेल लिमिटेड), कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 से या evoting@karvy.com पर या फोन नं. 040-67161528 या कार्वी के टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड
हस्ता. /-
पंकज तिवारी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2019

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	22/11/1972
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1972PLC106312
5	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 806, देविका टॉवर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 पंजीकृत पते के अलावा अन्य पते या जहां खाता और कागजात की सभी किताबें रखी गई हैं: यूएम हाउस 35-पी, सेक्टर -44, गुड़गांव 122002 HR
6	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	19 जुलाई, 2019 (तिथि जिस पर nclt.gov.in पर आदेश अपलोड किया गया है) - एनसीएलटी के आदेश के अनुसार दिनांक 04 जुलाई 2019 को सीपी न.(आईबी)- 1418 (एनडी)/18
7	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	15 जनवरी, 2020 (19 जुलाई, 2019 से 180 दिन)
8	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : विवेक रहेजा पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00056/2017-18/10133 पता: जेडी-2सी, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेल: vivek@vpgs.in
9	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	नाम : विवेक रहेजा पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00056/2017-18/10133 पता: जेडी-2सी, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ईमेल: vivek@vpgs.in
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार उपयोग किए जाने वाले पता और ई-मेल, यदि क्रम संख्या 9 में दिए गए पत्राचार से अलग हैं।	विवेक रहेजा जेडी-2सी, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ip.tradingengineers@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	2 अगस्त 2019 (इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का आदेश की सूचना की तारीख से 14 दिन)
12	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	वर्ग(र्गों) का नाम : निल
13	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads पर प्रासंगिक रूप में उपलब्ध हैं निल

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 19 जुलाई, 2019 को **मैसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया के प्रारम्भ का आदेश दिया है।

मैसर्स ट्रेडिंग इंजीनियर्स (इण्टरनेशनल) लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा 2 अगस्त, 2019 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण उपर मद 10 के सम्मुख उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

[illegible]

प्रविष्टि सं. 12 के सम्मुख सूचीबद्ध [illegible] प्रविष्टि सं. 13 में उल्लिखित [illegible]

[illegible] प्रपत्र ब
[illegible] प्रपत्र सी
[illegible] प्रपत्र सीए
[illegible] प्रपत्र डी
[illegible] प्रपत्र ई
[illegible] प्रपत्र एफ

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
दिनांक : 20 जुलाई, 2019
स्थान : नई दिल्ली
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल : **विवेक रहेजा**

विंडीज दौरे से हटे धोनी, दो महीने का लेंगे विश्राम

चयन समिति की बैठक आज

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने भविष्य को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच वेस्ट इंडीज दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया है। वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली टीम चयन के लिए रविवार को होने वाली बैठक से पहले उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने से मना कर दिया। विश्व कप में भारत के सेमी फाइनल से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बढ़ती अटकलों के बीच धोनी ने बीसीसीआइ से कहा है कि वह अपनी अर्धसैनिक रेजिमेंट की सेवा के लिए खेल से दो महीने का विश्राम लेंगे।

धोनी प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। बीसीसीआइ के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। अधिकारी ने कहा कि धोनी ने वेस्ट इंडीज दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया क्योंकि वह अगले दो महीने अपने अर्धसैनिक रेजिमेंट के साथ बिताएंगे। झारखंड के 38 वर्षीय धोनी ने रविवार को चयन समिति की बैठक से पहले बीसीसीआइ को अपने फैसले से अवगत कराया।

अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि धोनी अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तीन चीजें कहना चाहते हैं। वह अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे हैं। वह अपने अर्धसैनिक रेजिमेंट की सेवा के लिए दो महीने का विश्राम ले रहे हैं, जो उन्होंने बहुत पहले तय किया था। हमने कप्तान विराट कोहली और चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद को उनके फैसले से अवगत करा दिया है। धोनी के संन्यास लेने से इनकार करने के बाद उनके भविष्य पर फैसला चयनकर्ताओं को करना है, जो वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली टीम में उन्हें जगह नहीं देने पर विचार कर रहे थे। तीन अगस्त से शुरू होने वाले दौरे में भारतीय टीम तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय, इतने ही एकदिवसीय और दो टैस्ट मैच खेलेगी। यह माना जा रहा है कि एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली चयन समिति भविष्य पर नजर रखना चाहती है, लेकिन वे इस मुद्दे पर भारतीय कप्तान का रुख भी जानना चाहते हैं।

अधिकारी ने कहा कि चयन समिति हमेशा एक मुद्दे पर स्पष्ट रही है। उन्हें किसी खिलाड़ी के कद के इतर यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें कब संन्यास लेना है। लेकिन, जब टीम चयन की बात आती है, तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। धोनी के दौरे से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत तीनों प्रारूपों में विकेटकीपर बनने की पहली पसंद होंगे। ऋद्धिमान साहा टैस्ट में पंत के साझेदार हो सकते हैं।

टीम का ज्यादा ध्यान अब टी-20 मैचों पर होगा क्योंकि अगले साल आस्ट्रेलिया में टी-20 विश्व कप खेला जाना है। इस विश्व कप की तैयारियों के तहत भारतीय टीम तीन मैचों की कई द्विपक्षीय टी-20 शृंखला खेलेगी। धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आइपीएल के एक और सत्र में खेलने की उम्मीद है जिससे स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है। मौजूदा चयन समिति का कार्यकाल अक्तूबर में समाप्त होगा जब बीसीसीआइ के चुनाव निर्धारित हैं। ऐसे में चयन समिति कप्तान और कोच के साथ मिलकर समन्वय बनाए रखना चाहेगी। चुनाव के बाद हालांकि जब बोर्ड के सदस्य कार्यभार संभाल लेंगे और धोनी संन्यास नहीं लेने के अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, तो आने वाले महीनों में स्थिति कुछ और हो सकती है। उससे पहले सबकी निगाहें रविवार को बीसीसीआइ मुख्यालय पर होगी जहां प्रसाद अपने कार्यकाल के सबसे अहम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

चयनकर्ताओं से सवाल

- क्या वे धोनी को टी-20 विश्व कप तक खेलते हुए देख रहे हैं?
- क्या वे उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ज्यादा मौका देने को तैयार हैं?
- क्या कप्तान विराट कोहली उन्हें टी-20 में एक बल्लेबाज के रूप में देखते हैं?
- क्या वह छठे या सातवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं?
- क्या आखिरी ओवरों में वह आते ही शीर्ष गेंदबाजों पर तेज प्रहार कर सकते हैं?

मध्यक्रम का मसला

चयन समिति मध्यक्रम के संयोजन पर भी बात करेगी जो विश्व कप सेमी फाइनल से भारत के बाहर होने का अहम कारण रहा। चौथे नंबर को पक्का करना बेहतर जरूरी है। समझा जाता है कि मध्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची होगी। चयनकर्ताओं के पास कर्नाटक के मयंक अग्रवाल और मनीष पांडे व मुंबई के श्रेयस अय्यर के रूप में विकल्प हैं जो घरेलू सर्किट पर लगातार अच्छा खेल रहे हैं। अंबाती रायुडू के रिटायर होने और विजय शंकर के नाकाम रहने से उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। चयनकर्ता युवा शुभमन गिल और पृथ्वी साव के नाम पर भी विचार कर सकते हैं हालांकि साव कूल्हे की चोट से जूझ रहे हैं।

अक्षर की पारी बेकार, वेस्ट इंडीज 'ए' पांच रन से जीता

कूलिज (एंटीगा), 20 जुलाई (भाषा)।

हरफनमौला अक्षर पटेल की दमदार पारी के बाद भी वेस्ट इंडीज 'ए' ने पांच मैचों की अनौपचारिक एकदिवसीय शृंखला के चौथे मुकाबले में भारत 'ए' पर पांच रन की रोमांचक जीत दर्ज की। भारत 'ए' पहले ही शुरुआती तीनों मुकाबला जीतकर शृंखला अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम को इस दौरे पर पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा।

जीत के लिए 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की टीम अक्षर पटेल की 63 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी के बावजूद नौ विकेट पर 293 रन ही बना सकी। भारतीय टीम 160 रन पर छठा विकेट गंवाकर मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन अक्षर ने सातवें विकेट के लिए वाशिंगटन सुंदर (52 गेंद में 45 रन) के साथ 60 रन की साझेदारी कर उम्मीदों को बनाए रखा।

- जीत के लिए 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की टीम अक्षर पटेल की 63 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी के बावजूद नौ विकेट पर 293 रन ही बना सकी।

हालांकि आखिरी ओवरों में तीन गेंद के अंदर खलील अहमद (15) और नवदीप सैनी (शून्य) का विकेट गिरने के कारण टीम लक्ष्य को हासिल करने से चूक गई। भारत 'ए' को अंतिम ओवर में जीत के लिए नौ रन चाहिए थे लेकिन टीम तीन रन ही बना सकी। अक्षर ने अपनी नाबाद पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। अक्षर और वाशिंगटन के अलावा क्रुणाल पंड्या (45), कप्तान मनीष पांडे (24), ऋतुराज गायकवाड़ (20) और हनुमा विहारी (20) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। वेस्ट इंडीज 'ए' के लिए रोवमैन पावेल और कीमो पाल ने दो-दो विकेट लिए।

प्रेसीडेंट कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने शिव थापा

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

चार बार के एशियाई पदकधारी शिव थापा शनिवार को कजाखस्तान के अस्ताना में प्रेसीडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट के फाइनल में वाकओवर मिलने के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अपने नए भार वर्ग 63 किग्रा (ओलंपिक वर्ग) में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले थापा को फाइनल में कजाखस्तान के जाकिर सफिउल्लिन से भिड़ना था जो चोट के कारण रिंग में नहीं उतरे। इससे बिना खेले ही थापा विजेता घोषित कर दिए गए।

थापा इससे पहले इस साल एशियाई चैंपियनशिप के सेमी फाइनल में सफिउल्लिन से हार चुके थे। थापा के स्वर्ण के अलावा महिला मुक्केबाज परवीन (60 किग्रा) ने रजत पदक हासिल किया। उन्हें फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी रिम्मा वोलोसेंको से शिकस्त झेलनी पड़ी। ओलंपिक भार वर्ग में हुए बदलाव से पहले 60 किग्रा वर्ग में खेलने वाले थापा ने कहा कि नए वजन वर्ग में खुद को ढालना आसान रहा। मैंने बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं किया।

खबर कोना

महिला विश्व कप में जीत दर्ज करने के बाद शनिवार को देश लौटी अमेरिकी फुटबॉलर रोज लावेले का स्वागत किया गया। इस दौरान वह ट्रॉफी के साथ दिखीं।

न्यूपोर्ट एटीपी टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में इस्नर

न्यूयार्क, 20 जुलाई (एएफपी)।

तीन बार के चैंपियन जॉन इस्नर यहां खेल जा रहे एटीपी ग्रास कोर्ट (घसियाले कोर्ट) टूर्नामेंट में आस्ट्रेलिया के मैथ्यू इब्डेन को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेमी फाइनल में पहुंचे। पैर की चोट से उबरकर टूर्नामेंट में भाग ले रहे शीर्ष वरीय इस्नर के सामने सेमी फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त उगो हम्बर्ट की चुनौती होगी। फ्रांस के 20 के साल हम्बर्ट ने अंतिम आठ मुकाबले में बेलारूस के इल्या इवाशका को 7-5, 3-6, 6-2 से हराया। कजाखस्तान के सातवीं वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर बुबलिक ने अमेरिका के टेनिस सैंडग्रेन को 0-6, 6-3, 6-0 को पराजित किया। सेमी फाइनल में वह स्पेन के मार्सेल ग्रैनोलर्स से भिड़ेंगे।

रूस ओपन बैडमिंटन में भारत का अभियान समाप्त

व्लाडिवोस्टक (रूस), 20 जुलाई (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मेघना जाकामपुडी को शनिवार को यहां रूस ओपन बीडब्लूएफ टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के मिश्रित और महिला युगल मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। इससे भारत का प्रतियोगिता में अभियान भी समाप्त हो गया। मेघना और ध्रुव कपिला की आठवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को अदनान मौलाना और मिशेल क्रिस्टनी बंडासो की इंडोनेशिया की सातवीं वरीय जोड़ी से मिश्रित युगल सेमी फाइनल में महज 27 मिनट में 6-21, 15-21 से हार का मुंह देखना पड़ा।

मेघना फिर अपनी महिला युगल जोड़ीदार पूर्विशा एस राम के साथ उतरीं पर उन्हें फिर से 75,000 डॉलर ईनामी राशि के टूर्नामेंट के अंतिम चार मुकाबले में मात खानी पड़ी।

पेस और डेनियल की जोड़ी सेमी फाइनल में

न्यूपोर्ट, 20 जुलाई (भाषा)।

भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार मार्कस डेनियल के साथ मिलकर एटीपी हॉल ऑफ फेम ओपन के क्वार्टर फाइनल में मैथ्यू एबडेन और रॉबर्ट लिंडसडेट की जोड़ी को हराकर अंतिम चार में जगह पक्की की। भारतीय और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने आस्ट्रेलिया और स्वीडन की जोड़ी के खिलाफ तीन मैच प्वाइंट बचाकर 6-4, 5-7, 14-12 से मुकाबला अपने नाम किया।

पेस और डेनियल को फाइनल में पहुंचने के लिए मार्सेल ग्रैनोलर्स और सर्गिय स्टाखोवस्की की जोड़ी की चुनौती से पार पाना होगा। हॉल ऑफ फेम में 1995 में पदार्पण करने वाले 46 साल के पेस इसके सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। यह रेकार्ड जोन मैकनरो के नाम है जिन्होंने 47 साल की उम्र में 2006 में इस टूर्नामेंट के सेमी फाइनल मे जगह बनाई थी।

हॉल ऑफ फेम ओपन

इस जीत के बाद पेस ने कहा कि यह ऐसा क्षण है जिसका आपको इंतजार रहता है। कड़ी मेहनत, बुखार की स्थिति में भी खेलना और ना चाहते हुए भी जिम में समय देना काफी मुश्किल है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं अच्छी जगह यात्रा करता हूं लेकिन यह कड़ी मेहनत ही मुझे अभी भी खेलने के लिए प्रेरित करती है। अठारह ग्रैंड स्लैम खिताब के इस विजेता ने कहा कि उनके पास इस खेल को देने के लिए अभी काफी कुछ है।

टीम का ध्यान एएफसी क्वालीफायर पर होना चाहिए : कोच

नई दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)।

मुख्य कोच मेमोल रॉकी ने शनिवार को कहा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम का ध्यान एएफसी क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन करने पर होना चाहिए। इससे उन्हें एशियाई फुटबॉल तालिका में छलांग लगाने में मदद मिलेगी।

मेमोल ने कहा कि अब बतौर टीम हमारे लिए यहां से आगे बढ़ने का समय आ गया है। हम ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे दौर में काफी करीब से चूक गए लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अगला उद्देश्य निश्चित रूप से एएफसी क्वालीफायर होना चाहिए।

इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में सिंधू

जकार्ता, 20 जुलाई (भाषा)।

ओलंपिक रजत पदकधारी पीवी सिंधू ने शनिवार को ऑल इंग्लैंड चैंपियन चेन युफेई पर सीधे गेम में जीत से इंडोनेशिया ओपन बीडब्लूएफ टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। सिंधू इस सत्र में थोड़ा जूझ रही हैं लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्र के पहले फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सत्र के पहले फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी चेन को 21-19, 21-10 से शिकस्त दी।

दुनिया की पांचवें नंबर की भारतीय खिलाड़ी इस साल सिंगापुर और इंडिया ओपन के सेमी फाइनल तक पहुंची थीं। अब फाइनल में उनका सामना जापान के चौथे वरीय अकाने यामागुची से होगा। सिंधू का यामागुची पर जीत का रेकार्ड 10-4 है, जिन्हें वह पिछली चार भिड़ंत में हरा चुकी हैं। आस्ट्रेलिया, स्विस और ऑल इंग्लैंड ओपन जीत चुकी चेन इस सत्र में बेहतरीन खेल रही हैं, वह पहले गेम में अच्छा खेली लेकिन सिंधू ने जल्द ही संभलते हुए शुरुआती गेम अपने नाम किया।

दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तैराकी चैंपियनशिप में शनिवार को करतब दिखाते प्रतिभागी।

ओवरथ्रो के नियमों की समीक्षा कर सकती है एमसीसी

लंदन, 20 जुलाई (भाषा)।

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए विश्व कप के फाइनल में हुए 'ओवरथ्रो' विवाद के बाद क्रिकेट कानूनों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) इस नियम की समीक्षा कर सकती है। 'द संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एमसीसी में एक विचार है कि जब अगली बार खेल के नियमों की समीक्षा हो तो ओवरथ्रो के नियमों पर ध्यान दिया जाए, जो इसकी उप-समिति की जिम्मेदारी है।'

फाइनल में इंग्लैंड को आखिरी ओवर में ओवरथ्रो से छह रन मिले। मार्टिन गुप्टिल का थ्रो बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर सीमा रेखा के पार चला गया था। इंग्लैंड ने मैच टाई कराया और फिर सुपर ओवर भी टाई छूटा जिसके बाद 'बाउंड्री' गिनती की गई और इंग्लैंड चैंपियन बन गया। श्रीलंका के कुमार धर्मसेना और दक्षिण अफ्रीका के मारियास इरासमुस मैदानी अंपायर थे जिन्होंने इंग्लैंड को छह रन दे दिया। हालांकि आइसीसी के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर साइमन टफेल ने कहा था कि यह बहुत खराब फैसला था। उन्हें (इंग्लैंड) पांच रन दिए जाने चाहिए थे। यह घटना मैच के अंतिम ओवर में हुई। टीवी रीप्ले से साफ लग रहा था कि आदिल राशिद और स्टोक्स ने तब दूसरा रन पूरा नहीं किया था जब गुप्टिल ने थ्रो किया था। लेकिन मैदानी अंपायर ने इंग्लैंड के खाते में छह रन जोड़ दिए।

विजेंदर ने आमिर को दी थी हिदायत | आमने-सामने | कहा था, 'बच्चों' से लड़ना बंद करें

नीरज ने विजेंदर को दी नवंबर में भिड़ने की चुनौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह की 'बच्चे' कहने वाली टिप्पणी युवा मुक्केबाज नीरज गोयत को पसंद नहीं आई है। उन्होंने शनिवार को इस स्टार को नवंबर में लड़ने की चुनौती दी है।

विजेंदर ने गुरुवार को पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान को हिदायत दी थी कि वह बच्चों से लड़ना बंद करें। आमिर ने ओलंपिक कांस्य पदकधारी विजेंदर से लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी और दावा किया था कि भारतीय खिलाड़ी उनसे डरता है।

आमिर को डब्लूबीसी पर्ल विश्व चैंपियनशिप में नीरज से भिड़ना था लेकिन मुकाबले से एक महीने पहले ही इस भारतीय युवा मुक्केबाज को कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विजेंदर की टिप्पणी नीरज को पसंद नहीं आई जिन्होंने ट्विटर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हरियाणा के इस अनुभवी मुक्केबाज को चुनौती दी है। उन्होंने विजेंदर को मुकाबले के लिए ललकारा है।

नीरज ने ट्वीट किया, 'मुझे बच्चा बता रहे हो। मैं एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हूं जिसने अपने ही देश में एक विश्व चैंपियन (चीन के मुक्केबाज) को हराया है। मैं चाहता हूं कि आप इस साल नवंबर में विकास कृष्ण और मुझसे भिड़ो जिसमें आमिर खान अंडरकार्ड मुकाबले में हों। क्या आप तैयार हो?'

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदकधारी विकास कृष्ण ने भी गोयत की चुनौती का समर्थन करते हुए लिखा, 'विजेंदर सिंह नीरज और आमिर खान एक ही वजन वर्ग के हैं, उन्हें लड़ने दो। जैसा कि नीरज गोयत कह रहा है कि हम एक ही वजन वर्ग के हैं, हमें इस साल नवंबर में उनके कार्ड के अंतर्गत खेलना चाहिए। चलो रिंग में एक दूसरे का सामना करते हैं।'

विजेंदर ने गुरुवार को पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान को हिदायत दी थी कि वह बच्चों से लड़ना बंद करें। आमिर ने ओलंपिक कांस्य पदकधारी विजेंदर से लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी और दावा किया था कि भारतीय खिलाड़ी उनसे डरता है।

मुझे बच्चा बता रहे हो। मैं एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हूं जिसने अपने ही देश में एक विश्व चैंपियन (चीन के मुक्केबाज) को हराया है। मैं चाहता हूं कि आप इस साल नवंबर में विकास कृष्ण और मुझसे भिड़ो जिसमें आमिर खान अंडरकार्ड मुकाबले में हों। क्या आप तैयार हो?
- नीरज गोयत

विजेंदर सिंह

'तैरते होटलों' पर विचार कर सकता है तोक्यो

योकोहामा, 20 जुलाई (एएफपी)।

अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान तोक्यो में होटलों की कमी पड़ सकती है जिसके मद्देनजर क्रूस जहाजों को पानी पर 'तैरते होटलों' में बदला जा सकता है। ओलंपिक को देखते हुए जबर्दस्त निर्माण कार्य के बावजूद तोक्यो में 14000 कमरे कम पड़ सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बड़े-बड़े जहाजों को अस्थायी रूप से होटलों में बदला जा सकता है। जापान की सबसे बड़ी ट्रैवल एजंसी जेटीबी ने ओलंपिक के दौरान 1011 केबिन का 'सन प्रिंसेस' जहाज बुक रखा है जिसमें जकुजी से लेकर थिएटर तक सब कुछ है। एजंसी ओलंपिक स्पर्धाओं के टिकटों के साथ पैकेज का प्रस्ताव दे रही है लेकिन ये सस्ते नहीं हैं। बालकनी के साथ एक कमरे का दो रात का किराया 1850 डॉलर है।

ओलंपिक

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 245, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली

जनसत्ता रविवारी

• 21 जुलाई, 2019 •

हादसों की सड़क

सड़कों के निर्माण से देश के विकास को गति मिलती है। इससे लोगों के एक से दूसरी जगह पहुंचने और माल ढुलाई में सुगमता आती है। बाजार और व्यापार को रफ्तार मिलती है। मगर तेजरफ्तारी के इस जमाने में यही सड़कें मौत की वजह बन रही हैं। फर्राटा दौड़ने वाले वाहनों का चलन बढ़ा है, तो सड़कें भी उनके मुताबिक बनने लगी हैं। ऐसे में रफ्तार के दीवाने युवा कभी नशे में, कभी जोश में, तो कभी मोबाइल फोन के मोहपाश में संतुलन खो बैठते हैं और हादसा कर बैठते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत जैसे देश में जितने लोग आतंकी घटनाओं में नहीं मारे जाते, किसी बीमारी से जान नहीं गंवाते, उससे अधिक सड़क हादसों के शिकार हो जाते हैं। सड़क हादसों की वजहों का विश्लेषण कर रही हैं नाज खान।

जिन सड़कों के सहारे युवा तरक्की का सफर तय करते हैं, उन्हीं रास्तों पर हादसे उनकी रफ्तार पर लगाम लगा रहे हैं, यानी देश की एक बड़ी आबादी को सड़कें लील रही हैं। वही सड़कें, जो हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं पर पिछले एक दशक में करीब बारह लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इससे दस गुना अधिक लोग गंभीर रूप से घायल और अपंग हो चुके हैं। कोई तो वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जानें सड़क हादसों में जा रही हैं। लोग हर बार हादसों को किस्मत का लिखा मान कर सब्र करके बैठ जाते हैं। सवाल है कि लोग इस ओर जागरूक क्यों नहीं होते, आखिर खामी कहां है? इसके लिए गड्ढों से भरी मुंह चिढ़ाती सड़कें जिम्मेदार हैं या यातायात नियम-कायदों की अनदेखी इतने बड़े स्तर पर मौत का कारण बन रही है या फिर चिकनी, सपाट सड़कें युवाओं की रफ्तार में जोश भर रही हैं और वे हादसों का शिकार हो रहे हैं?

साल-दर-साल बढ़ते हादसों को गंभीरता से लेते हुए पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने भी सड़क हादसों पर टिप्पणी करते हुए अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि देश की सरहद पर गोलीबारी में या आतंकवादी घटनाओं में जितने लोग मरते हैं, उससे कहीं अधिक लोग देश की सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो जाते हैं। हादसों की बढ़ती संख्या और भयावहता का अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत में अधिकतर बच्चे और युवा बीमारी से नहीं, बल्कि सड़क हादसों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2016 में सड़क दुर्घटना में 13.5 लाख लोगों की मौत हुई और मरने वाले हर नौ लोगों में से एक भारतीय है। वहीं 5-29 वर्ष के लोगों की मौत की बड़ी वजह सड़क हादसों में घायल होना है। पूर्व न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि 2013-17 बीच देश में सड़क के गड्ढों की वजह से हुए हादसों में 14,926 लोगों की मौत हुई। वहीं सड़क सुरक्षा पर आधारित वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। 2018 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में होने वाली बीस मौतों में से एक की मौत का कारण शराब है और भारत में तो शराब पीकर वाहन चलाना आम बात है।

हमारे देश में सड़कें बनती हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। यानी कहीं न कहीं सड़कें बनाने में लागत में कटौती की जाती है, मानक के अनुरूप लागत का इस्तेमाल नहीं होता, यानी भ्रष्टाचार होता है। केएस राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सड़कों पर इतनी अधिक हुई मौतों के आंकड़े सड़कों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के संकेत हैं। यही वजह है कि एक बार की बारिश में ही सड़कें गड्ढों से भरी और सरकारी दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी की जाती रही है। यातायात अमले में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसी का फायदा उठा कर लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते और पैसे देकर छूट जाते हैं। वहीं हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए पुलिस के पचड़े से बचने की वजह से भी लोग घायलों की मदद करने सामने नहीं आते। हालांकि अब हालात कुछ बदले हैं। मगर अब भी सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराने और इस ओर लोगों को जागरूक करना लंबी कवायद है। दरअसल, बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सवाल कई हैं और कारण भी कई, मगर यातायात नियमों के सख्ती से पालन के साथ खुद लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और अपने जीवन का मोल समझना होगा। ■

साल-दर-साल बढ़ती दुर्घटनाएं

आपराधिक घटनाओं की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। कहीं बदहाल सड़कों के कारण, तो कहीं अधिक सुविधापूर्ण अत्याधुनिक चिकनी सड़कों पर तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहनों के कारण ये हादसे होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के अठाईस देशों में ही सड़क हादसों पर नियंत्रण की दृष्टि से बनाए गए कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाता है। वहीं भारत की तस्वीर इससे उलट है। यहां कानून के पालन में काफी ढिलाई बरती जाती है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में सड़क पर मरने वालों की संख्या 12,330 थी, जो 2017 में बढ़ कर 20,457 हो गई। लोकसभा में दी गई एक जानकारी में कहा गया है कि 2015-17 के बीच देश में सड़क हादसों में करीब 4.45 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं 14.65 लाख लोग घायल हुए। यानी हर दिन करीब चार सौ या इससे अधिक लोगों की मौत की बड़ी वजह सड़क हादसे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैदल यात्रियों के लिए भारत की सड़कें कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट के हवाले से राज्यवार आंकड़े भी पेश किए। इनके मुताबिक पिछले इन तीन वर्षों में सबसे अधिक सड़क हादसे वाले राज्यों में पहले और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रहे। 2016-17 में सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में हुए सड़क हादसे देखें तो मौत का आंकड़ा सभी मौतों का करीब पच्चीस फीसद है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वाधिक हादसों वाले दस देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन के मुताबिक विश्व में वाहनों की कुल संख्या का करीब तीन फीसद हिस्सा भारत में है, लेकिन देश में होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वालों के मामले में यह हिस्सेदारी 12.06 फीसद है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2020 तक सड़क हादसों में पचास फीसद तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ■

मनमानी सबसे बड़ी वजह

इस तरह के हादसों के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। जहां सड़क परिवहन का हाल बुरा है, वहीं सड़कें बदहाल हैं, यातायात के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। साथ ही ट्रक ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था नहीं है। अपनी लंबी यात्रा में लगातार जागते रहने की वजह से भी वे अक्सर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाते और कभी नींद और कभी हड़बड़ी में हादसों के शिकार हो जाते हैं। वहीं देश में आज भी ज्यादातर लोग यातायात नियमों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं या इस ओर जागरूकता कम ही दिखाते हैं। जहां सड़कों के गड्ढे हादसों की वजह बनते हैं, वहीं चिकनी, सपाट सड़कों पर युवा तेज रफ्तार का जोश दिखाते दिख जाते हैं और निडरता से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, संगीत सुनते हैं। इससे भी सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि सड़क हादसों में मरने वालों में अठारह से पैंतीस वर्ष के लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब तक तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने के साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक इन हादसों में कमी लाना संभव नहीं हो सकता।

सख्त नियमों की दरकार

बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने इस पर मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर दस गुना तक जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यातायात नियमों को कड़ा किया जा रहा है। इन नियमों के मद्देनजर हेलमेट खरीदने होंगे, इसके बाद ही वे अपनी बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी यह नियम लागू सख्ती से लागू करने जा रही है कि हेलमेट पहने बाइक सवारों को ही पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मिलेगा। साथ ही अब यातायात पुलिस नए नियमों को भी लागू कर रही है। इसके तहत अब ऐसे बाइक सवारों की खैर नहीं, जो वाहन चलाते समय संगीत का भी लुत्फ उठाते हैं। अगर वे वाहन चलाते समय हेडफोन पर संगीत सुनते पकड़े जाते हैं, तो उन्हें एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके लिए सीसीटीवी के जरिए वाहन चालकों पर नजर रखी जाएगी, ताकि उन्हें ई-चालान भेजा जा सके।

राज्य	2015	2016	2017
उत्तर प्रदेश	17,666	19,320	20,124
तमिलनाडु	15,642	17,218	16,157
महाराष्ट्र	13,212	12,935	12,264
कर्नाटक	10,856	11,133	10,609
राजस्थान	10,510	10,465	10,444
मध्यप्रदेश	9,314	9,646	10,177
आंध्रप्रदेश	8,297	8,541	8,060
तेलंगाना	7,110	7,219	6,596
पश्चिम बंगाल	6,234	6,544	5,769
बिहार	5,421	4,901	5,554

कुछ बंदिशें भी लगाई जा रही हैं, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। वहीं राज्यों की ओर से भी अब कड़े यातायात नियम लागू किए जा रहे हैं। जैसे हाल में मध्यप्रदेश में अब नए दो पहिया वाहनों को खरीदने वालों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। अब कोई वाहन खरीदने से पहले उन्हें दो

इन हादसों के बाद होने वाली पीड़ित परिवारों को होने वाली समस्याएं भी कम नहीं हैं। इनमें ऐसे परिवारों की संख्या भी कम नहीं होती, जिन्हें पात्र होने के बावजूद मुआवजा नहीं मिल पाता। कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क हादसों की वजह से बर्बाद होने वाले परिवारों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। 2014-15 में बीमा कंपनियों ने करीब 11,480 करोड़ का मुआवजा दिया। हालांकि आधे पीड़ित इससे वंचित रह गए। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ितों को औसतन पांच लाख रुपए का खर्च कर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। वहीं देश को इन सड़क हादसों की वजह से मानव संसाधन के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

ऐसे में यह चिंता का विषय है कि इतने अधिक सड़क हादसों और इनमें हुई मौतों का मुद्दा लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं लगता और इसके बावजूद लोग जागरूक क्यों नहीं होते? क्यों यातायात नियमों की अनदेखी लगातार की जाती है और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। ■

जिन्होंने हादसों से सीखा सबक

मुंबई के एक सब्जी विक्रेता दादरा राव बिल्हारे के बेटे की 2015 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर बने गड्ढों की जद में आने की वजह से वह मौत का शिकार हुआ था। अपने बेटे को हादसे में खोने वाले बिल्हारे ने इसके बाद सड़क के गड्ढों को भरना अपना मकसद ही बना लिया, ताकि कोई अन्य अपनी जान न गंवा बैठे। यही वजह है कि वह जहां भी सड़क पर गड्ढे देखते हैं उसे फावड़ा लेकर भरने में लग जाते हैं। उन्होंने छह सौ से अधिक गड्ढे भर कर लोगों को हादसों से बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। उनका कहना है कि उन्हें जहां बिल्डिंग साइटों या अन्य जगहों पर रेत और कंक्रीट मिलती है, वह उससे गड्ढे भर देते हैं।

बीते वर्ष राजस्थान के भरतपुर में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर मंजू फौजदार ने अपने विवाह के कार्ड पर ही यातायात नियम लिखवा लिए, ताकि इस बहाने लोग यातायात नियमों को लेकर जागरूक हों और उनका पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। दरअसल, उनके पिता ईश्वर सिंह और भाई दोनों की ही सड़क हादसों में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। ■

अजब-गजब जागरूकता अभियान

यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस की ओर से भी कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में यातायात नियम तोड़ने पर लोगों का चालान करने के बजाय उनको लाल, पीले फूल देकर जागरूकता अभियान चलाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी यातायात नियमों के प्रति लोगों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में भी पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान के तहत बिना हेलमेट पहने लोगों का चालान काटने के बजाय उनको निःशुल्क हेलमेट दिए और यातायात नियमों से अवगत कराया। ■

कविताएं

शरद रंजन शरद

आदमी के लिए जगह

(एक)

आदमी ने बनाया घर
फिर उसे कई खानों में बांट कर
निकाली हर जरूरत
और काम के लिए जगह
खड़ी होती दीवारों से जोड़ी वजह

सोच विचार कर बाकायदा
उसने एक हिस्सा रखा
बैठने के लिए
एक पकाने खाने के वास्ते
सोने की जगह निकाली
निवृत्त होने नहाने की
पूजाघर बनाया और भंडार भी

मगर घर बन कर तैयार होने
और बरसों रहने के बाद
आखिरकार पता चला
कहीं नहीं उसके लिए
आदमी के लिए जगह!

(दो)

उस डिब्बे में चढ़ा
तो हर सीट पर था कुछ न कुछ
कहीं रूमाल चादर मफलर
अखबार किताब कलम
किसी जगह झोला टोपी पगड़ी
और चश्मा छाता छड़ी

कुछ सरका कर बैठना चाहा
तो उसने हांक दिया
नहीं यहां नहीं है
आदमी की जगह
कोई दूसरी चीज खिसकानी चाही
तो उसने भी टोका
वैसे ही सबने

इस तरह पूरी रेलगाड़ी में
चीजें थीं उपस्थित
आदमी की जगह पर

और मैं एक सिरे से चढ़ कर
उतर गया दूसरी तरफ!

(तीन)

आदमी ने बार बार
कुहनियों से ठेला पहाड़
अंजुली से उलीचीं नदियां
नाखूनों से काटे जंगल
कंधों से हटाए बादल

अब यह दुनिया
हो गई है बस्तियां
खाली आबादियों की

सिर ही सिर टकराते
हर तरफ से
भागते दौड़ते
घरों तक पहुंच चुके
बड़े बाजार में
आदमी की बोली लगाते!

(चार)

कोई जगह खोजे
आदमी के लिए
तो झट से कहूं
बालपन के खिलौने में

घुंघराली लटों में
बढ़ते बढ़ते
जो हो गईं बेतरतीब

होंठों पर खिंची मुसकी
गालों की लाली
और आंखों के तारों में

कह दूं आदमी के लिए
जगह है महफूज
अभी अभी आए शिशु की
बंद मुट्ठियों में
पैरों में खुलती
गतियों के संग

बच्चों को उठा कर नहीं
उनके बीच ही ढूंढ़ें
इस सजे शामियाने में
आदमी के लिए जगह! ❑

खुशी

कहानी

हरि मोहन

हलो, भाई साहब! मैं आपसे मिलना चाहता हूं।' किसी अजनबी का फोन था। लेकिन स्वर में आत्मीयता थी।

'जी, आप कौन?' आदमी ने पूछा।

आदमी उस वक्त शीशे के सामने खड़ा होकर दाढ़ी बना रहा था।

'जी, मैं डर बोल रहा हूं।' आवाज में विनम्रता और मधुरता थी। आदर-भाव भी।

मोबाइल फोन में यही आफत है, कोई भी, कभी भी, कहीं भी कॉल कर देता है। उसे झुंझलाहट हुई। संयत होकर उसने कहा, 'अरे! भाई सुबह ही सुबह मजाक मत कीजिए।... बताइए न आप कौन...'

उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उधर से आवाज आई- 'जी भाई साहब! मैंने कहा न, डर हूं। अच्छा मैं आपसे मिलने आ रहा हूं।' कहते हुए उसने फोन काट दिया।

अजीब आदमी है! उसने सोचा। ऑफिस का कोई दोस्त या पड़ोसी आवाज बदल कर मजाक कर रहा होगा।

थोड़ी देर बाद ही उसके घर की घंटी बजी। उसने खुद जाकर दरवाजा खोला। देखा, सामने एक सुंदर-सा युवक खड़ा है। उसने प्रश्नवाचक मुद्रा में आगंतुक की ओर देखा। सुंदर गोरा रंग। शानदार ब्रांडेड कपड़े। कीमती जूते। एकदम चमकता सुदर्शन चेहरा।

'जी नमस्ते! मैंने ही आपको फोन किया था। माफ करना। मैं ही डर हूं।' कहते हुए वह अत्यंत विनम्रता से झुका।

आदमी चक्कर में पड़ गया, क्या यह कोई सिरफिरा है या ऐसे ही मजाक कर रहा है। वारदात करने वाले गिरोह का कोई कोई नया तरीका तो नहीं है।...

आप परेशान न हों। एक कप चाय मिलेगी? कहते हुए उसने आदमी की तरफ बेतकल्लुफी से हाथ बढ़ाया। ढीले हाथ से आदमी ने उस अजनबी से हाथ मिलाया और अनमने भाव से 'हां' में सिर हिलाते हुए कहा- 'क्यों नहीं, आइए!' आदमी के अंदर संशय और गाढ़ा हो रहा था।

चलो आज देखें क्या होता है- इस भाव के साथ वह उस सुदर्शन युवक को ड्राईंग रूम में ले आया।

जो अपने आप को डर बता रहा था, वह मुस्कराते हुए इत्मीनान के साथ सोफे पर बैठा था। आदमी को डर, डर की तरह नहीं लग रहा था। आश्चर्य की तरह लग रहा था।

आदमी ने पत्नी को दो कप चाय बनाने के लिए बोल दिया।

'यार तुम भी कैसे डर हो? तुम्हें देख कर कोई डर ही नहीं सकता!' आदमी ने मजे लेते हुए खेल भाव से उसे छेड़ा। फिर झेंपते हुए अपने मन की बात कही, 'डर तो बहत भयानक-सा होता है। एकदम डरावना। राक्षसों जैसा। काला रंग, बड़े-बड़े दांत, सिर पर सींग। पूरे शरीर पर घने बाल। बड़ी-बड़ी लाल-लाल आंखें। भद्दे होंठ। विद्रूप और खूंखार चेहेर पर बेतरतीब बड़ी-बड़ी मूंछें। आड़े-तिरछे कान...।'

'अब मैं इसी तरह रहता हूं।' संजीदा होकर डर ने कहा। और मुस्करा कर बोला, 'मैं किसी को डराता नहीं हूं।'

अगर यह सचमुच डर है, तो कितना भला और मजेदार है! आदमी ने सोचा।

'अब मैं आपके साथ ही रहूंगा।' डर ने हंसते हुए कहा।

मजाक समझ कर आदमी ने भी कह दिया- हां-हां क्यों नहीं। ये घर आपका ही है।

अब डर आदमी के साथ रहने लगा।

000

अब आदमी को अपने चारों ओर डर ही डर दिखाई देता। ऑफिस में मुस्कराते हुए खूबसूरत ऑफीसर का चेहरा उसे डर का ही चेहरा लगता। खेलते हुए बच्चों के हाथों में क्रिकेट की बॉल उसे बम दिखाई देती। आदमी जब बाजार जाता तो बड़े-बड़े मॉल और सजे हुए बाजार ऐसे लगते मानो इनमें डर ही सजा कर रखा हुआ है। वह अखबार पढ़ता, राष्ट्राध्यक्ष ने शांति की अपील की है। घर के एक कोने में बैठा डर उसकी ओर देख कर मुस्करा रहा होता।... टेलीविजन समाचार में किसी शांति स्तूप प्रांगण में रक्षामंत्री घूमने गए हैं... डर सामने बैठा उसकी ओर देखने लगा। वह कहीं जाता और रास्ते में कोई दोस्त मिलता हाल-चाल पूछता, तो महसूस होता कि दोस्त नहीं, डर है जो 'कैसे हो प्यारे!' बोल रहा है।... मोबाइल फोन पर कोई कॉल आती तो लगता डर का कॉल है। वाट्स-ऐप पर मैसेज का संकेत आता, तो लगता डर का मैसेज है।... दरवाजे की घंटी बजती, तो लगता डर ही घंटी बजा रहा है।...

अखबारों की खबरों में डर लिखा हुआ है। विज्ञापनों के रंगीन चित्रों में भी डर मुस्करा रहा है। मंहगाई, युद्ध, शांति वार्ताओं में भी डर की छाया है। डॉलर की तस्वीर पर डर छपा है। टेलीविजन के पर्दे पर नाचती अर्धनग्न लड़की... शांति की अपील करता कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति... सब डर के चेहरे लगने लगे थे। वह समाचारों में देखता, शांति वार्ताओं की मेजों पर राष्ट्राध्यक्षों के बगल में मुस्कराता डर भी बैठा हुआ है।

अब तो आदमी को डर के साथ रहने की आदत हो गई।

अपनी खूबसूरती के साथ डर आदमी के पूरे घर में फैला रहता। धीरे-धीरे डर के साथ रहते-रहते आदमी को अपने जीवन में एकरसता आने लगी। वह परेशान-सा रहने लगा। उसे नया कुछ देखने और करने को चाहिए था। उसने अपनी इच्छा डर को बताई। डर अब अपने साथ आदमी को बाहर घुमाने ले जाने लगा। उसने देखा, खूबसूरत स्त्रियों के सौंदर्य का रहस्य डर है। उसने देखा, मुस्कराते, गोलमटोल, लाल चेहरों वाले राजनेताओं की भव्यता का रहस्य डर ही है। उसने देखा, पूरा बाजार सुंदर माया लोक है और इस माया लोक का स्वामी डर है। उसे लगता, हर बार डर नए-नए चेहरे और वस्त्र बदल कर उसके सामने आ खड़ा होता है।... बिंब बदलते रहे, वह देखता रहा। टेलीविजन के पर्दे पर कोई ऊल-जलूल-सा गीत चल रहा है। डरावने मुखौटे लगाए लड़के-लड़कियां तरह-तरह की व्यायामिक मुद्राओं में अश्लील नृत्य कर रहे हैं। वे अधनंगे हैं और डर को हास्यास्पद बना रहे हैं।...

वह चैनल बदलता है। समाचार दिखाए जा रहे हैं। रंगीन कपड़े पहने एक अर्द्ध नग्न लड़की की लाश पड़ी है। कैमरा उसके बहते रक्त पर फोकस है। संभ्रांत हत्यारे युवक का इंटरव्यू चल रहा है। वह मुस्करा रहा है। उसके चेहरे पर भय और पश्चात्ताप का कोई भाव नहीं है। तभी विज्ञापन आया, जो गोरा बानाने वाली किसी क्रीम का है... वह फिर चैनल बदलता है। युद्ध के बीच शांति वार्ता में दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने-सामने बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कराहट है। इंसेट में युद्ध के दृश्य हैं। मारे जा रहे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों की लाशें हैं।... तभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है- किसी देश में आतंकी वारदात हुई है। एक आतंकी गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आतंकियों के आका का मुस्कराते हुए बयान आ रहा है।... इसी बीच मंहगी चमचमाती कार का विज्ञापन!...

उसने फिर चैनल बदला। सेंसेक्स का ग्राफ बढ़ा.. डर मुस्करा कर आदमी का हाथ दबाने लगा।

000

जब वह एकांत में होता, तो डर आता और बातें करता। लेकिन पत्नी और बेटी के आते ही हवा में विलुप्त हो जाता। पत्नी ने कई बार पूछा कि इस तरह आप किससे, क्या बातें करते रहते हो। वह क्या कहता। चुप बना रहता। एक रात पत्नी के बहुत पूछने पर उसने सारी बात बताई। पत्नी बोली, आपका वहम है। इस तरह आप कब तक डर के साथ जियोगे... उसका साथ छोड़ दीजिए... हम लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं... घुल-मिल नहीं पाते। वह मान गया।

अचानक अगले दिन सुबह आदमी मर गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि आदमी डर से मरा है।

उसकी छह साल की बेटी ने बताया, डर तो पापा का दोस्त था। मैंने देखा था, सुबह खुशी आई थी खिड़की पर। कांच की खिड़की के पार से खुशी ने पापा को छुआ था! ❑

नामहीन लोगों की कोई कतार नहीं होती

ललित प्रसंग

सुरेश सेठ

मियां, अभी-अभी हमें इस देश में नई सदी लाने का दावा करने वाले महाप्रभुओं ने बताया है कि हमारा देश बड़ा विकसित हो गया है और हम अपने पड़ोसी देश चीन, जिसने आज तक हमारी नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, से भी कहीं तेजी से विकास पथ पर भाग रहे हैं। हमें दुनिया का सबसे बड़ा विकास धावक कह सकते हैं।

हम अपने बिवाइयां फटे पांवों और पीठ से सटे पेट को देख कर हैरत करते हैं कि 'अरे, हम इतनी तेजी से भाग कर दुनिया में सबसे आगे हो गए और हमें खबर भी नहीं हुई?'

कल तक तो हमें भूख से मरने वाले देशों का सूचकांक बता रहा था कि हम इन भुखमरे देशों के ताज की मुकुट मणि हैं, आज अचानक यह अच्छे दिन आ गए के नारे कैसे उठने लगे? इस बात को कैसे भूलें कि कल तक जो योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दृष्टि से एक विकासशील देश कहलाता था, उसे आज फिर संयुक्त राष्ट्र के विकास मूल्यांकन प्रकोष्ठ ने अल्प विकसित देश बना दिया? हां, विदेशी महानुभावों के दर्जा संस्थान इतनी दया दृष्टि हम पर अवश्य दिखाते हैं कि व्यापार की साख और सुविधा की दृष्टि से आपका देश बेहतर हो गया। लेकिन पहले यह निवेश विरोधी कानूनों की बंदिश हटाओ, निवेश से हम जितना चाहे कमा कर लाएं, उसकी लूट को अपने देश से ले जाने की खुली इजाजत दे दो और हड़ताल के अधिकार, श्रम हितैषी कानूनों का बोरिया बिस्तर बांधें, तभी वे आपके देश में निवेश नहीं करते।

लीजिए अपने ही देश में माल तैयार करो के नारे पिछले कई वर्षों से अंतरिक्ष में गूंजते रहे। लेकिन न अपने यहां कुछ बढ़िया बनाया जा सका, न बाहर का बना कुछ सस्ता आया। हम इंतजार में रहे और हवा में शब्द गूंजते रहे 'वह न आएंगे पलट कर चाहे लाख हम बुलाएं'। देश में क्रांति करनी है, उद्योग धंधों को ही नहीं, कृषि को भी शीर्ष तक पहुंचाना है। हमारी हथेलियों तो क्या गमलों में भी सरसों नहीं जमती। बस एक ही भावना सिर पर सवार रहती है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नौ मन तेल लेने के लिए हमने विदेशों के द्वार खटखटाए, लेकिन जिस निवेश के लिए हमने अपनी आंखों के गलीचे बिछाए वह तो आया नहीं, हां, आए तो शेयर मंडियों के अग्रिम सौदों के उस्ताद आए, जिन्होंने 'खाया-पीया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बारह आना' के अंदाज में लिया-दिया कुछ नहीं और अपनी कागजी लेन-देन से शेयर बाजार को उछाल आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन ऐसी ऊंचाई किस काम की? थोड़ी सी अफवाह पर ही तो वे मंडियां धड़ाम से फिर नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिर जाते हैं हमारा कल्याण करने वाले निवेशकों के वायदे, जिनसे प्रेरित होकर हम अपनी पक्षाघात से पीड़ित उत्पादन प्रक्रिया में किसी हलचल की उम्मीद में बैठे रहते हैं। लेकिन फिर एक बात कह दें, क्यों देखते रहते हैं सितारों की तरफ हम, जब उनसे मुलाकात का वादा भी नहीं है।

अजी मियां, भूख के दिनों में इन रोमांटिक शेयरों पर मुंह न बिसूरिए। पूरा देश काम धाम छोड़ जुआ खेलने में लगा है या शर्तें लगा रहा है। इन्हीं की कृपा से कल के राजा आज रंक हो रहे हैं, और कल के रंक आज राजा। शर्तें लग रही हैं, क्रिकेट के नतीजों से लेकर मौसम के नतीजों तक। लोग काम-धाम छोड़ कर हाथ की लकीरें पट रहे हैं। कभी अच्छे खासे मेहनती लोगों का देश निठल्ले लोगों का देश बनता जा रहा है, क्योंकि वंचित मजदूर या किसान को स्वचालित मशीनें खा गईं। जो बचा वह सत्ता के दलालों ने निगल लिया। उत्पादन प्रक्रिया पर अरबपति व्यावसायिक घरानों ने कब्जा कर लिया, अपना देश एशिया में सबसे अधिक करोड़पतियों का देश बन गया। लेकिन मियां जी के इस जुमले के कान में कोई नहीं फुस-फुसाया कि 'मियां जितने करोड़पतियों की संख्या इस देश में बढ़ी है, उससे दस गुना अधिक भुखमरों की संख्या बढ़ गई है।'

चित्र: श्रीगोपाल व्यास

यहां संपन्नता के शीर्ष पर हरकत नजर आती है, क्योंकि अमीर और अमीर हो गया। उन करोड़ों गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का क्या हाल पूछते हो? उनका तो हर दिन मयस्सर होने वाला दिहाड़ी में एक जून भोजन भी पंचतारा गैर-सरकारी सेवा संस्थाओं की अनुकंपा से चलने वाली सस्ती रसोइयों की भेंट हो गया।

ये रसोइयां 'चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है' की तरह अपनी दया का जलवा दिखा कर बंद हो जाती हैं, लेकिन देश में भूखों, बेकारों और आत्महत्या के लिए तैयार होते दुखी जीवों की कतार निरंतर कम नहीं होती, बढ़ती जा रही है। इनका बेहतरी का सपना भयावह यथार्थ के झटके से बार-बार टूटता है। यह नींद भी कैसी नींद है? इतने वर्ष तक लोग फुटपाथ पर सोते थे, अब भी वहीं सोते हैं, लेकिन तब इन पत्थरों पर नींद आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों सपने जवान थे और क्रांति और बदलाव की उम्मीद जिंदा।

लेकिन अब तो ऐसी नींद भी निरापद नहीं। क्लब घरों से निकलते नशे में धुत्त धनकुबेरों की वातानुकूलित आयातित गाड़ियां कब इन्हें कुचल कर निकल जाएं, क्या खबर? आधी रात को शिकार हो गए लोगों की मौत का कोई साक्षी नहीं मिलता। मिलते हैं तो फर्जी गवाह और सत्ता के दलाल। ये लोगों की पीड़ा की टोह में लगे रहते हैं। मिल जाए तो उसे अपनी जेब में समेट उसका मुआवजा हथियाने का पुण्य कर्म शुरू करते हैं। ❑

प्रीत का गांव

चंद्र त्रिखा

संस्कृति

प्रीतनगर, पंजाब का एक सीमावर्ती गांव है। यह अमृतसर और लाहौर से भी करीब बीस किलोमीटर की दूरी पर है। लेखक और चिंतक गुरबख्श सिंह चाहते थे, प्रेम की एक ऐसी बस्ती बसाना, जहां संवेदनशील, लेखक, चित्रकार, रंगकर्मी इकट्ठे रहें। वर्ष 1938 में एक सौ पचहत्तर एकड़ जमीन खरीदी गई। एक जैसी कोठियों का निर्माण हुआ। पहले-पहले वहां बसने वालों में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, बलराज साहनी, नानक सिंह, नूरजहां, उपेंद्रनाथ अश्क, अहमद नदीम कासमी आदि शामिल थे। कुछ वर्ष तो 'प्रीत' का जादू खूब चला, मगर धीरे-धीरे परिंदे अपनी-अपनी जड़ों की ओर उड़ने लगे। खुशबू अब भी थोड़ी बहुत कायम है। प्रेस है, पत्रिका निकलती है, कुछ किताबें भी छपती हैं।

गुरबख्श सिंह 'प्रीतलड़ी' का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सियालकोट शहर में 26 अप्रैल, 1895 को हुआ था। 1918 में उन्होंने रुड़की स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद सेना की इंजीनियरिंग शाखा में नौकरी कर ली। सेना की नौकरी के सिलसिले में उन्हें बगदाद में तैनाती मिली। वहां कुछ वर्ष बिताने के बाद वे सिविल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रविष्ट हो गए। वापसी पर भारतीय रेलवे में 1925 से 1932 तक नौकरी करते रहे। इसी बीच कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रयोग की दिशा में काम करते रहे।

अलग-अलग तरह के अनुभवों से गुजरते हुए गुरबख्श सिंह के मन में एक ऐसा कस्बा बसाने की परिकल्पना जगी, जिसमें लेखन कला और संस्कृति से जुड़ी नामी शख्सियतें एक साथ रह सकें। शुरुआत 'प्रीतलड़ी' पत्रिका के प्रकाशन से हुई। मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग और थोड़े उच्च मध्यवर्ग से लेखन और कला की दुनिया में आए बुद्धिजीवियों को 'प्रीतलड़ी' ने प्रकाश में आने का अवसर दिया। गुरबख्श सिंह खुद भी खूब लिखते थे। उनका लेखन क्षेत्र उपन्यास था। उनकी व्यापक सोच और मौलिक परिकल्पना का ही परिणाम था कि 'प्रीतनगर' कल्पना से ठोस धरातल पर उतर आया।

इस प्रीतनगर में आकर बसने वालों की फेहरिस्त में फ़ैज़, साहिर, अश्क, कर्तार सिंह दुग्गल, कवि मोहन सिंह, अमृता, बलवंत गार्गी, मुल्कराज आनंद, उपन्यासकार नानक सिंह आदि के नाम शामिल थे। सिलसिला इतना प्रभावी था कि गांधी और नेहरू को भी एक जिज्ञासु पर्यटक के रूप में खींच लाया। लेकिन सृजन की दुनिया के इन बंदों को जोड़ कर नहीं रख पाए गुरबख्श सिंह। सभी की चिंतन दिशा अलग-अलग थी। वे जानते थे कि सिलसिला शायद लंबा नहीं चल पाएगा।

ऐसा कभी होता नहीं कि किसी व्यक्ति की कोई पत्रिका ही उसके नाम का एक हिस्सा बन जाए। पर उनके नाम के साथ उनकी पत्रिका 'प्रीतलड़ी' का नाम भी जुड़ गया। इस विलक्षण लेखक के खाते में चौबीस बहुचर्चित पुस्तकें दर्ज हैं, लेकिन उन्हें अब भी प्रीतलड़ी और अपने एक अभिनव प्रयोग प्रीतनगर के लिए याद किया जाता है।

भारत-पाक विभाजन के समय प्रीतनगर भी उजड़ गया था, हालांकि लेखकों में से कई वहां से कुछ वर्ष बिताने के बाद ही चले गए थे। भारत-पाक विभाजन के समय दंगों और असुरक्षा की भावना ने यहां पर हलचल पैदा कर दी। अनेक लेखक दिल्ली, लाहौर या जालंधर चले गए। गुरबख्श सिंह का परिवार भी एक बार तो वहां से चला गया था, लेकिन कुछ अन्य परिवारों के साथ वे कुछ माह बाद वापस लौट आए।

नब्बे के दशक में वहां 'गुरबख्श सिंह-नानक सिंह फाउंडेशन' नाम से एक ट्रस्ट बना। उनके बेटे नवतेज सिंह ने काफी लंबे समय तक गतिविधियां चलाईं और उनके बाद उनके बेटे सुमित सिंह ने परंपरा जारी रखी। इन दिनों सरदार गुरबख्श सिंह की बड़ी बेटी उमा गुरबख्श सिंह ट्रस्ट की देखरेख करती हैं। जब सीमा पर शांति होती है तो पाकिस्तान से भी कुछ रंगकर्मी यहां अपनी प्रस्तुतियां देने आ जाते हैं।

पंजाबी कवि शिवकुमार बटालवी लंबी अवधि तक यहां आते रहे। उन्होंने अपने अधिकांश प्रेम-गीत या तो यहां लिखे थे या फिर यहीं की पृष्ठभूमि पर लिखे थे। साहित्य, कला और संस्कृति है प्रीतनगर की रीत, कभी कलाकारों और साहित्यकारों का मक्का कहलाता था यह गांव। इसे पंजाब का पहला सुनियोजित गांव होने का गौरव प्राप्त है। नाम के अनुरूप यहां प्रेम और दोस्ती का बसेरा रहा है। करीब नब्बे साल से कला और साहित्य का अनोखा संगम इस गांव ने देखा है। अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद यह गांव आज पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को संजो कर नई पीढ़ी के लिए एक अनोखे सृजन केंद्र के रूप में लौटने लगा है। पैंतीस साल बाद यहां सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है। इससे कलाकारों के लिए सृजनात्मक वातावरण उपलब्ध करवा कर प्रीत और अमन की नई इबारत लिखने की तैयारी है।

इस अनोखे गांव में 'प्रीत मिलनियों' का आयोजन होता था, जिनमें सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तियां पहुंचती थीं। 23 मई, 1942 को पंडित जवाहर लाल नेहरू भी यहां आए थे और रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रतिनिधि गुरुदयाल मलिक, जो शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय के कुलपति थे, को यहां भेजा था। महात्मा गांधी ने भी यहां आने की इच्छा जाहिर की थी।

जो साहित्यकार प्रीतनगर में रहे उनमें उपन्यासकार नानक सिंह का विशेष उल्लेख जरूरी है, क्योंकि वे अंतिम सांस तक प्रीतनगर की मिट्टी से जुड़े रहे। यही कारण था कि गुरबख्श सिंह तथा उनकी याद में 16 अप्रैल, 1999 को 'गुरबख्श सिंह-नानक सिंह फाउंडेशन' की स्थापना की गई और ठीक पांच साल बाद यहां 'प्रीत भवन' खुला। इसमें एक संग्रहालय है, जहां गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के जीवन से संबंधित तस्वीरें और अन्य वस्तुएं संग्रहित हैं। नाटक मंचन के लिए एक बड़ा हॉल है। डिजिटल सुविधाओं वाला एक हॉल भी है।

उनके सृजनात्मक कार्य में सबसे महत्त्वपूर्ण है उनके द्वारा शुरू की गई पंजाबी पत्रिका 'प्रीतलड़ी'। इसे आज भी उनके पौत्र और पौत्रवधू चला रहे हैं। इनके अलावा चौथी पीढ़ी के समिया, रतिका और सहज भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। साझे (भारत और पाकिस्तान के) पंजाब के लेखकों की रचनाएं तबसे अब तक इसमें छपती हैं। सरहदों से ऊपर उठ कर साहित्य के जरिए प्रीत की लड़ी पिरोने वाले इस परिवार ने एक चिराग आतंकवाद में खोया है। गुरबख्श सिंह के पोते सुमित सिंह जो तब प्रीतलड़ी के संपादक थे, को उनके जोशीले लेखों के कारण 22 फरवरी, 1984 को आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया था।

प्रीतलड़ी की संपादक पूनम सिंह बताती हैं कि इस गांव की परंपरा को जारी रखने का जिम्मा अब चौथी पीढ़ी ने उठाया है। रतिका सिंह और समिया सिंह द्वारा शुरू किए गए 'आर्टिस्ट्स रेजिडेंसी प्रोग्राम' के अंतर्गत ब्रिटिश कोलंबिया तथा स्कॉटलैंड से भी विद्यार्थी आकर यहां पंजाबियत के बारे में लिखते और डाक्यूमेंटरी फिल्में बनाते हैं। यहां मॉरिशस, कनाडा, बंगलूरू के कलाकारों का काम भी प्रदर्शित है।

प्रीतनगर पहुंचते ही आपका स्वागत एक ऐतिहासिक तालाब करता है। कहते हैं कि नानकशाही ईंटों से यह तालाब जहांगीर ने बनवाया था। इसी के पास स्थित है एक ऐतिहासिक इमारत, जो कभी जहांगीर और नूरजहां की आरामगाह थी, पर अब खंडहर हो गई है। इसी इमारत में कभी गुरबख्श सिंह 'प्रीतलड़ी' ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी।

प्रीत मिलनियों के पैंतीस वर्ष बाद शुरू हुआ मेला आज भी जारी है। इस मेले में फरीदकोट से पारंपरिक खेस बुनने वाले तथा जंडियाला गुर से पीतल पर नक्काशी करने वाले कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही ऑर्गेनिक खेती के बारे में गांव वालों के लिए एक कार्यशाला 'खेती विरासत मिशन' द्वारा चलाई जाती है। पटियाला से लोकनृत्य गिद्दा प्रस्तुत करने कलाकार विशेष रूप से पहुंचते हैं। यहां महीने के हर तीसरे गुरुवार को नाटक का मंचन भी होता है। प्रीतलड़ी ने अपने अस्सीवें वर्ष में कदम रखा। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस विरासत के महत्त्व को स्वीकार किया। ■

बिमल रॉय

जन्म : 12 जुलाई, 1909
निधन : 8 जनवरी, 1966

शख्सियत

बिमल रॉय भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। उन्हें सामाजिक और यथार्थवादी फिल्मों का अगुआ कहा जाता है। भारतीय सिनेमा जगत में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा। उनका जन्म ढाका (बांग्लादेश) में एक बंगाली जमींदार परिवार में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत के पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का हिस्सा था। फिल्मों में रुझान होने की वजह से वे कलकत्ता आ गए। वहीं से उनके फिल्मों का सफर शुरू हुआ।

करिअर

कलकत्ता के 'न्यू थिएटर प्राइवेट लिमिटेड' में बतौर कैमरा सहायक उन्होंने अपने करिअर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने निर्देशक पीसी बरुआ की 1935 की हिट फिल्म 'देवदास' के लिए पब्लिसिटी फोटोग्राफर के रूप में भी सहयोग किया। 1940 और 1950 के दशक में रॉय समानांतर सिनेमा आंदोलन का हिस्सा थे। कोलकाता स्थित फिल्म उद्योग की हालत खराब होने पर रॉय अपनी टीम के साथ मुंबई चले गए और वहां से फिल्मों की नई शुरुआत की। 1952 में उन्होंने 'बॉम्बे टॉकीज' के लिए फिल्म 'मां' के साथ अपने करिअर की दुबारा शुरुआत की। बिमल रॉय 'रोमांटिक-रियलिस्ट मेलोड्रामा' फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे, जो मनोरंजक होते हुए महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे।

'मधुमती' रही प्रेरणा

बिमल रॉय ने फिल्मों में निर्देशक से लेकर निर्माता, संपादक और सिनेमाटोग्राफर तक का काम किया। उनकी फिल्मों की सूची काफी लंबी है, जिनमें 'दो बीघा जमीन', 'परिणीता', 'बिराज बहू', 'मधुमती', 'सुजाता', 'परख', 'बंदिनी', 'मां', 'देवदास', 'प्रेम पत्र' आदि शामिल हैं।

व्यावसायिक सिनेमा में उनकी 'मधुमती' काफी प्रभावशाली फिल्म साबित हुई। माना जाता है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा, टेलीविजन उद्योग और विश्व सिनेमा में पुनर्जन्म के विषय पर काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। फिल्म 'कर्ज' (1980) समेत कई फिल्में 'मधुमती' से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। 1958 में उन्हें फिल्म 'मधुमती' के लिए नौ फिल्म पुरस्कार मिले। उनके नाम यह रेकॉर्ड करीब सैंतीस साल तक कायम रहा। इस फिल्म के लिए संगीतकार सलिल चौधरी की रची धुनें आज भी लोगों की जुबान पर हैं।

फिल्म पुरस्कार

बिमल रॉय ने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें ग्यारह फिल्मफेयर पुरस्कार, दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कान्स फिल्म महोत्सव का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। 1959 में उन्हें 'मधुमती', 1960 में 'सुजाता' और 1961 में 'परख' और 1964 में फिल्म 'बंदिनी' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा दोनों में ही बिमल रॉय का प्रभाव दूरगामी था। भारतीय सिनेमा में, उनका प्रभाव मुख्यधारा के व्यावसायिक हिंदी सिनेमा और उभरते हुए समांतर सिनेमा, दोनों पर था। उनकी फिल्म 'दो बीघा जमीन' (1953) कला और व्यावसायिक सिनेमा की सफलता वाली पहली फिल्म थी। 1953 में इस फिल्म ने कान्स फिल्म महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

सम्मान

बिमल रॉय मेमोरियल ऐंड फिल्म सोसाइटी द्वारा 1997 से हर साल बिमल रॉय मेमोरियल ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अनुभवी कलाकारों के साथ उन नए और युवा फिल्मकारों तथा लोगों को दिया जाता है, जिनका भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 8 जनवरी, 2007 को बिमल रॉय के सम्मान में भारतीय डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था।

निधन : कैंसर के कारण मात्र छप्पन साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ■

स्वादिष्ट और सुपाच्य

कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, जिन्हें नाश्ते और भोजन दोनों रूपों में खा सकते हैं। बरसात के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन होता है। इसलिए अगर कुछ ऐसा बनाएं, जिसे नाश्ते या भोजन दोनों तरह से खा सकें, तो उसका आनंद बढ़ जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक व्यंजन बनते हैं, जिन्हें दोनों रूपों में खा सकते हैं और उन्हें अपने ढंग से चटपटा स्वाद भी दे सकते हैं।

दाना-पानी

मानस मनोहर

सूजी के मेदू वड़े

मेदू वड़ा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में खाया जाने वाला लोकप्रिय नाश्ता है। यह मुख्य रूप से उड़द की दाल से बनता है। इसके लिए पहले उड़द की दाल को रात भर भिगोना पड़ता है, फिर उसे पीस कर मसाले वगैरह मिला कर उसके वड़े बनाए जाते हैं। यह वड़ा नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाया जाता है। कुछ लोग इसे दही के साथ भी खाना पसंद करते हैं। पर इस तरह मेदू वड़ा बनाना खासा झंझट का काम है, इसलिए प्रायः लोग आलस्य कर जाते हैं। मगर सूजी से मेदू वड़ा बनाना बहुत आसान होता है। यह स्वाद में किसी भी तरह उड़द दाल के वड़े से कम नहीं होता। फिर इसका एक फायदा और है। उड़द की वादी होती है, गैस बनाती है। अगर उड़द की दाल को दही के साथ खाते हैं, तो वह विरुद्ध आहार है। पेट में परेशानी पैदा करता है। इसलिए सूजी के मेदू वड़े स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त नाश्ता है। इसे ठंडा होने के बाद भी खाया जा सकता है।

मेदू वड़े बनाने के लिए दो कप सूजी लें। उसमें एक कप दही मिलाएं। ऊपर से स्वाद के मुताबिक बारीक कटी हरी मिर्चें, अदरक और हरे धनिया की पत्तियां डालें। इसमें कढ़ी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसलिए भरपूर मात्रा में कढ़ी पत्ता बारीक काट कर डालें। जरूरत भर का नमक डालें और सारी चीजों को मिलाएं। अगर सूजी में दही की मात्रा पर्याप्त नहीं लग रही, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सारी चीजों को मिलाएं। ध्यान रहे कि घोल पतला नहीं होना चाहिए। चूंकि इससे वड़े बनाने हैं, इसलिए घोल ऐसा रखें, जो हाथ पर टिक सके। सख्त भी नहीं होना चाहिए।

इसे पांच से दस मिनट तक ढंक कर रख दें। तब तक एक कड़ाही में वड़े तलने के लिए तेल गरम करें। जब तेल ठीक से गरम हो जाए तो आंच मध्यम कर दें। आंच तेज रहेगी, तो वड़े जल्दी गहरे रंग के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे भी नहीं।

अब हाथों में पानी लगाएं और मुट्ठी से गोल करते हुए मेदू वड़े को आकार दें। एक अंगुली से बीच में छेद बनाएं और वड़ों को तेल में डालते जाएं। सुनहरा होने तक तलें। आंच को मध्यम ही रखें।

आप देखेंगे कि वड़े ऊपर से सख्त और कुरकुरे हो गए हैं और भीतर से पक कर नरम और मुलायम हैं।

इन्हें नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें या चाहें तो अपनी मनपसंद किसी भी चटनी से खाएं। इसके साथ भुने प्याज और टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है।

मुंबई का वड़ा-पाव

महाराष्ट्र में वड़ा-पाव बहुत लोकप्रिय नाश्ता है। हल्की-फुल्की भूख हो, तो इसे किसी भी वक्त खाया जा सकता है। पाव के साथ खाया जाने वाला वड़ा आलू से बनता है। इसे थोड़ा तीखा और चटपटा रखा जाता है।

पाव के साथ खाने वाला वड़ा बनाने के लिए पहले आलुओं को उबाल लें। इन्हें ठीक से मसल कर एक सार कर लें। इसमें लहसुन और अदरक का स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए लहसुन और अदरक कूट लें। आलू की मात्रा के मुताबिक इसकी मात्रा रखें। जैसे एक कप मसले हुए आलू हैं, तो एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट पर्याप्त रहता है। इसमें कढ़ी पत्ते का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में कढ़ी पत्ता काट कर रख लें।

अब एक कड़ाही में एक-दो चम्मच तेल गरम करें। उसमें हींग, जीरा और अजवाइन का तड़का लगाएं। उसी में अदरक-लहसुन का पेस्ट और कड़े हुए कढ़ी पत्ते डालें। फिर आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला डालें और फिर मसले हुए आलुओं को डालें और धीमी आंच पर चलाते हुए मिलाएं। स्वाद के अनुसार नमक डालें और सारी चीजों को तब तक भूनें, जब तक कि मसाला पूरी तरह आलुओं में मिल न जाए। इसे ठंडा होने के लिए रख दें।

वड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार करना भी कौशल की मांग करता है। एक बड़े कटोरे में एक कप बेसन लें। उसमें चुटकी भर हींग, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, चौथाई चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अजवाइन के दाने डाल कर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक ही दिशा में चलाते हुए फेंटें। घोल ऐसा गाढ़ा होना चाहिए कि वह आलू की पिट्ठी पर चढ़ सके, इसलिए इसे पतला न होने दें। इसे जितना फेटेंगे, उतना ही नरम और गाढ़ा होता जाएगा।

अब आलू की पिट्ठी को मनचाहे आकार में गोल-गोल बना लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और आंच मध्यम रखें। आलू की गोलियों को बेसन में डुबोते जाएं और तेल में डालते जाएं। जब तक वड़े पक कर सुनहरे रंग के न हो जाएं, तब तक तलें।

बाजार में पाव आसानी से मिल जाते हैं। पाव के बीच में चीरा लगाएं और उसकी निचले हिस्से पर सॉस या चटनी लगाएं और उस पर वड़ा रख कर खाएं। चाहें, तो इसके साथ तली हुई हरी मिर्च भी रख सकते हैं। ■

अनदेखा न करें कमर दर्द को

सेहत

कमर दर्द की शिकायत अब आम हो चली है। हालांकि इसके कई कारण होते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण आधुनिक जीवन शैली भी है। महानगरों की चमक दूर से तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन यहां की आरामपसंद जीवनशैली, शारीरिक श्रम की कमी, बैठने और सोने का गलत ढंग, दफ्तर में झुक कर काम करना, कम्प्यूटर पर देर तक काम करना और रोजाना घंटों गाड़ी चलाना या सफर करना लोगों को कमर दर्द का मरीज बना रहा है। दरअसल, लंबे समय तक ऐसी स्थिति से रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है, जो कमर दर्द के रूप में सामने आता है। वहीं महिलाओं में लंबे समय तक ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से भी कमर दर्द की शिकायत रहती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐंड स्ट्रोक के अनुसार, लगभग अस्सी प्रतिशत वयस्क अपने जीवन में कमर दर्द का अनुभव करते हैं। पहले कमर दर्द को बुढ़ापे या औरतों का रोग माना जाता था, पर आज इसकी चपेट में किशोर और युवा भी हैं।

बिस्तर

कई बार कमर दर्द बिस्तर के नर्म होने से भी होता है। अगर आप काफी नरम गद्दे पर सोते हैं, तो यह आपके कमर दर्द का कारण बन सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए थोड़े कठोर गद्दे पर सोने की आदत डालें।

बच्चों को बिस्तर पर लेट कर या बैठ कर पढ़ने से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए कुर्सी-टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट कर टीवी या मोबाइल देखने से भी बचना चाहिए।

तनाव

तनाव को कई बीमारियों का जनक कहा जाता है। कई शोध और विशेषज्ञ भी यह मानते हैं किअत्यधिक तनाव लेना भी कमर दर्द के कारणों में से एक है। दरअसल, तनाव मस्तिष्क के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर रीढ़ की हड्डी वाले स्थान पर दर्द पैदा कर सकता है।

घंटों बैठे रहना

डॉक्टरों की मानें तो कमर दर्द के अनेक कारण होते हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण डेस्क जॉब यानी लगातार कई घंटे तक बैठ कर काम करना भी है। देश के ज्यादातर सरकारी और निजी दफ्तरों में काम के आठ से नौ घंटे के होते हैं। एक ही जगह पर लगातार घंटों बैठ कर काम करने से भी कमर दर्द की समस्या होती है। ऊपर से इन दफ्तरों की कुर्सियां भी बैठने की सही मुद्रा के हिसाब से नहीं होते। नतीजतन, लोग कमर दर्द के शिकार हो जाते हैं।

झुक कर चलना

कमर दर्द सही तरीक से खड़े नहीं रहने और चलने से भी होता है। अक्सर कई लोग खड़े या चलते समय अपने कंधे झुका कर रखते हैं, जिससे कमर दर्द की समस्या होती है।

मोटापा

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी है। मोटापा भी कमर दर्द में अहम भूमिका निभाता है। ज्यादा वजन होने के कारण व्यक्ति के शरीर का सारा भार कमर और पैरों पर पड़ता है, जिसके कारण मोटे लोग अक्सर कमर दर्द की शिकायत करते हैं। शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव कई बार मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है, जो लगातार बना रहता है। इसलिए कमर दर्द से बचने के लिए मोटापा कम करना आवश्यक है।

कैल्शियम की कमी

शरीर में कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी से भी कमर दर्द होता है, ऐसे में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए दूध, पनीर, फल, हरी सब्जियों का सेवन फायदेमंद रहता है। वैसे तो विटामिन-डी की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की रोशनी से बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर विटामिन-डी की दवा और सूई लेने की सलाह देते हैं।

हार्मोन

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोन के स्तर में वृद्धि से कब्ज हो जाता है और बढ़ता हुआ गर्भाशय पीठ के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे गर्भवती महिलाओं में कमर दर्द होता है।

उपचार

- डॉक्टरों के मुताबिक कमर दर्द का सबसे बेहतरीन उपचार है आराम।
- बैठे हुए और खड़े रहते समय शरीर को सही मुद्रा में रखें। शरीर को सीधा और संतुलित हो, आगे या पीछे की ओर झुका हुआ न हो।
- एक ही स्थिति में अधिक देर तक न बैठें। बहुत अधिक देर तक बैठना जरूरी हो तो थोड़ी-थोड़ी देर में उठें।
- कमर दर्द में कसरत और योग से लाभ मिलता है। लेकिन योग या कसरत का अभ्यास विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। कारण कि कई बार गलत ढंग से किया गया कसरत या योग कमर के दर्द को बढ़ा सकता है।
- स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें। इसके अलावा खानपान में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। ■

फैशन में झोला

फैशन सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं होता। वह सजने-संवरने, व्यक्तित्व निखारने, जीवन शैली से जुड़ी तमाम चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए बैग जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी वस्तुओं में भी बदलाव होते रहते हैं। पहले अक्सर लड़कियां बैग लेकर चलती थीं, पर आजकल लड़कों में भी इसके प्रति खासा आकर्षण देखा जाता है। दफ्तर जाना हो, कहीं घूमने-फिरने या फिर खरीदारी करने, बैग एक जरूरी साधन है। बैग को लेकर फैशन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में बात कर रही हैं अनीता सहरावत।

झोला यानी बैग एक ऐसी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ जरूरत नहीं, शौक से भी अपने पास रखते हैं। कोई भी पहनावा इसके बिना अधूरा है। स्टाइल और सहूलियत का लंबा सफर तय किया है इस एक अदद झोले ने। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसके रूप, रंग, आकार को बदलती जरूरतों के लिहाज से बदलते रहे हैं ए बैग्स। एक चीज जो नहीं बदली है, वह है इनका आकर्षण। आजकल 'माइक्रो पर्स' के खूब चर्चे हो रहे हैं, हालांकि इस पर्स में इस्तेमाल की सहूलियत जैसा कुछ नहीं, पर हथेली में सिमटा यह गुड़िया पर्स स्टाइल के लिए लेकर चला जा रहा है। हालीवुड, बालीवुड अभिनेत्रियों के स्टाइल को बेचता है बाजार। आजकल तरह-तरह के पर्स, वॉलेट, बैग फैशन का हिस्सा हैं।

बैगपैक : पट्टियों की मदद से दोनों कंधों पर लटकता और कमर तक झूलता बैग, बैगपैक के नाम से मशहूर है। डिजाइन तो इसे लड़कों के लिए ही किया गया था, लेकिन इसकी सहूलियत और सुविधा ने इसे पढ़ाई करने वाले लड़के-लड़कियों की पहली पसंद बना दिया। बैगपैक का बड़ा आकार किताबें, सफर के दौरान सामान ढोने, खाना और पानी जैसी दूसरी चीजें रखने के लिहाज से एकदम उपयुक्त है। हांलाकि अब इनके छोटे आकार भी कंपनियां बाजार में उतार रही हैं। यह ऐसा बैग है, जो आज तकरीबन हर किसी की अलमारी में जरूर मिलेगा।

बेल्ट बैग : छोटे बैग, जो बेल्ट के जरिए जुड़े होते हैं, बेल्ट-बैग की श्रेणी में आते हैं। फैनी पैक और बेल्ट बैग में मोटा अंतर बेल्ट का ही होता है, फैनी पैक में बेल्ट बैग से अलग नहीं होती, जबकि बेल्ट बैग में बैग सिर्फ पाउच की तरह बेल्ट से लटका होता है। फैनी पैक के अलावा इन्हें कमर बैग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई कमर तक लटकती है।

साईकिल बैग : जैसाकि नाम से ही जाहिर है, ये बैग साइकिल सवारों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन होते हैं और आमतौर पर धुलने लायक कपड़े से बने होते हैं। साइकिल पर टांगने के लिए इनमें लूप भी होते हैं। साइकिल से लंबी दूरी नापने वालों के लिए तैयार किया गया यह बैग सफर में सामान से परेशानी आड़े नहीं आने देता। तीन तरह के साइकिल बैग आजकल चलन में हैं- हैंडलर बैग, पैनियर बैग और फ्रेम बैग।

बंडल बैग : पहले ये गरीबों के थैले कहे जाते थे। पश्चिम भारत में ये थैले खूब इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। डिजाइनरों और बैग कंपनियों की नजर में आते ही ये फैशन का हिस्सा हो गए। कपड़े के इस थैले की खासियत यह है कि इसके दोनों छोर गांठ लगा कर जुड़े होते हैं। बाजार, हाट की शौकिया घुमक्कड़ी के लिए इसे कंधे पर लटकाने में हर्ज नहीं। इन्हें होबो बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। मगर अब इनके भी ढेरों रंग, डिजाइन और पैटर्न बाजार में लुभा रहे है।

माइक्रो पर्स और मिनी पर्स : ये दोनों ही हथेली में सजने वाले पर्स हैं। माइक्रो हथेली से भी छोटा और मोबाइल के जैसा, मुट्ठी में बंद हो जाने वाला डिजाइन है। मिनी बैग माइक्रो बैग से बड़ा होता है, इसमें मोबाइल और कुछेक प्रसाधन सामग्री आसानी से रखी जा सकती है। क्लच पर्स के मुकाबले मिनी पर्स में पकड़ने के लिए हैंडल या पट्टी भी होती है।

मिनोडॉयर : इसे क्लच या इवनिंग बैग भी कह सकते हैं। ठोस पदार्थ से बना यह पर्स चाबी या फिर लिपस्टिक जैसा छोटा-मोटा सामान साथ रखने के लिए ही बनाया गया है। यह पूरी तरह से सिर्फ सजावटी पर्स है, जो आमतौर पर महिलाएं पार्टी और दूसरे मौकों पर साथ रखती हैं। इसे हथेली का आभूषण कह सकते हैं, क्योंकि सजने-धजने के बाद हथेली का खालीपन अखरता है और क्लच पर्स इसे भरता है।

कलाई बैग : कलाई पर लपेट कर पहना जाने वाला यह पर्स छोटे पर्स की श्रेणी में सबसे उम्दा कहा जा सकता है। स्टाइल के अलावा इसमें पैसे, कार्ड, फोन और दूसरे सामान रखने के लिए काफी जगह होती है। इसके अलावा यह हाथ में पूरी तरह से आरामदायक रहता है और हथेलियां आजाद रहती हैं।

पाउच पर्स : चेन या जिप से बंद होने वाला यह पाउच पर्स आसानी से कहीं भी साथ ले जाया जा सकता है। शाम को बाहर घूमने जाते वक्त या फिर दोस्तों के साथ घूमना हो, पैसे, मोबाइल को इसमें सहूलियत से संजोया और इस्तेमाल किया जा सकता है।

गोलाकार बैग : गोलाकार या राउंड बैग फैशन का ताजातरीन चलन है। अलग-अलग तरह के स्लिंज और क्लच बैग लिए युवतियां-लड़कियां आपको आसानी से बाजार, कॉफी-शॉप, मॉल, रेस्तरां में नजर आ जाएंगी।

सैडल या काठी बैग : सैडल बैग, जिसका निचला हिस्सा गोलाकार और उपरी हिस्सा समतल होता है। फ्लैप के साथ बंद होने वाले इस पर्स का फ्लैप घोड़े की काठी जैसे आकार का दिखने के कारण इसे सैडल या काठी बैग नाम मिला है। इसके अलग-अलग डिजाइन और पैटर्न के हिसाब से इसे घर, बाहर, दफ्तर के साथ मैच करें।

सैचल बैग : कामकाजी महिलाओं के लिए सैचल बैग एक उपयुक्त पसंद है। लैपटॉप से लेकर रोजाना इस्तेमाल के दूसरे सामान इसमें आसानी से रखे जा सकते हैं। इससे अलग-अलग जरूरतों के दो पर्स और बैग रखने की चिंता खत्म। लेकिन अच्छी गुणवत्ता के बैग में निवेश करके ही आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं।

स्लिंज बैग : एक स्लिंज बैग को सीधा या क्रॉस बॉडी स्टाइल से पहना जा सकता है। आराम और स्टाइल का खूबसूरत मेल। यह बैग खरीदारी करने से लेकर घूमने तक आसानी से काम आता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो स्लिंज बैग एक उम्दा पसंद है। सबसे खास बात कि इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग स्टाइल और आकार में चुन सकते हैं। इसके अलावा क्लिटेड बैग भी आपके व्यक्तित्व को पूरा करते हैं। इनकी अलहदा बनावट किसी भी पार्टी या समारोह में भारतीय या पाचात्य पहनावे के साथ बड़ी आसानी से मिल जाता है।

क्लच पर्स : किसी पार्टी या आयोजन में तैयारी के बाद भारी भरकम पर्स पहनावे के लुक को खराब कर सकता है। ऐसे में अकर्षक दिखने के लिए क्लच की ओर रुख किया जा सकता है। हांलाकि इनमें सुविधा के लिहाज से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अब कई ब्रांड युवतियों की जरूरतों का खयाल रखते हुए इनमें पॉकेट पार्टीशन देने लगे हैं।

शॉपिंग बैग : ये बैग आमतौर पर ज्यादा सामान रखने के लिहाज से तैयार किए जाते हैं। कपड़े, जूट, चमड़े, बीच बैग, टोटे बैग की अनगिनत विविधता आपको इस श्रेणी में आसानी से मिल जाएगी।

वॉलेट या पर्स : सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के लिए भी एक बहुत जरूरी चीज है वॉलेट। यह एक सार्वकालिक, सबकी पसंद है। कितने ही चलन आएं और पुराने हो जाएं, लेकिन यह सदाबहार है, जो हर वार्डरोब की हमेशा जरूरत रहेगी। इसे चुनने के मामले में आप अपनी पसंद-नापसंद को ही तवज्जो दें, क्योंकि इसका स्टाइल और सहूलियत आपकी पसंद के जायके को दिखाता है। ❑

नन्ही दुनिया

बंधे हाथों का कमाल

कहानी

विप्रम

अकडू और पेटू दो भाई थे। अकडू बड़ा था और पेटू छोटा। अकडू आठवीं कक्षा में पढ़ता था तो पेटू छठी में। अरे, यह बताना तो भूल ही गए कि अकडू का नाम विनोद था और पेटू का प्रमोद। पर दोनों को कोई उनके नामों से नहीं पुकारता था। दोनों अपने नामों के बिल्कुल उलट थे।

विनोद बात-बात पर अकड़ता था। जरा-जरा सी बात पर पेटू की पिटाई कर दिया करता। इसलिए अकडू पुकारा जाने लगा। उधर प्रमोद अपने आप को कुछ कम न समझता था। हर समय मस्ती में रहता। कुछ न कुछ खाने-पीने की खोज में रहता। जब खाने को बैठता तो खाता ही चला जाता था। सो, उसका नाम पेटू पड़ गया।

एक दिन तो हद ही हो गई। हुआ यह कि सुबह-सुबह पेटू ने अकडू की कमीज पहन ली और ड्रेसिंग-टेबल के सामने खड़ा होकर तरह-तरह की मुद्राएं बना कर खुद को निहार रहा था। तभी अकडू आ गया। उसे देख कर वह बहुत आग बबूला हुआ। गुस्से में उसने एक हाथ से पेटू के बाल पकड़े और दूसरे पल दाएं हाथ से उसकी पीठ पर मुक्कों की बरसात कर दी- तक्क, धिना-धिन्न। बेचारे पेटू ने जैसे-तैसे अपने को छुड़ाना चाहा। तो अकडू पेटू की कमीज पकड़ने लगा। चकमा देते हुए पेटू ने एक लंगड़ी मार दी। फटाक से अकडू चारों खाने चित। मुंह दरवाजे से लगा सो अलग। ऐसे में उसकी ठोड़ी से खून बहने लगा। अकडू ने झट दरवाजे पर टंगी चिक से एक खप्पची (बांस की पतली डंडी) खींची और लगा पेटू को उधेड़ने।

उसी दिन रात को पूरे परिवार को एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना था। लेकिन अकडू और पेटू के झगड़े से उनके पिता इतने खिन्न हुए कि बोले- 'सुनती हो, इन बदमाशों को कहीं नहीं ले जाना। शैतान, बहुत लड़ते-झगड़ते हैं।'

'इन्हें तो घर में बंद कर देना चाहिए! ये कहीं ले जाने के लायक नहीं।' यह उनकी मां ने तड़प कर कहा था।

'एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तब तक मैं इन शैतानों का इलाज करता हूं।' कहते हुए वे इधर-उधर कुछ खोजने लगे। उन्हें एक खप्पची पड़ी दिख गई। फिर उन्होंने चिक की ओर देखा। झट मन में क्या सूझा कि उन्होंने चिक से आठ-दस खप्पचियां निकाल लीं। जो धागा चिक से लटक रहा था उसे भी खींच कर तोड़ लिया।

अब उन्होंने पहले अकडू को पकड़ा। उसके दोनों हाथों में चार खप्पचियां धागे से ऐसे बांध दीं कि उसका हाथ एकदम सीधा रहे। कोहनी से बिल्कुल भी मुड़ने न पाए। ऐसे ही पेटू के हाथों में खप्पचियां बांध दीं। इस बीच दोनों बहुत रोए। हाथ-पैर पटकते रहे, पर उनके पिता तनिक भी न पसीजे, न उन्हें दया आई।

रात के आठ बज रहे थे। पेटू रोते-रोते सो गया था। उधर दूसरे कमरे में अकडू टीवी देखते-देखते ऊंघ रहा था। पर दर्द के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी ठोड़ी में खुजली होने लगी। चोटवाले स्थान पर वह अपना हाथ लगा नहीं सकता था। सो, उसने अपना कंधा कुछ उचका कर ठोड़ी सहलानी चाही। ऐसे में उसकी पट्टी हिल गई। अब क्या करे? वह सोचने लगा। तभी वह दूसरे कमरे में गया और अपने हाथ से पेटू को हिलाते हुए बोला- 'प्रमोद! ओ प्रमोद! उठ तो जरा। देख, मेरी पट्टी खुल गई है।'

हड़बड़ा कर पेटू उठ बैठा। कुछ देर अकडू को देखता रह गया। फिर शर्माते हुए पूछा- 'भाई, बहुत दर्द हो रहा है। जरा नीचे तो झुक। थोड़ा पीछे बैठ। तभी तो मेरा हाथ पहुंचेगा।'

अकडू की पट्टी ठीक तरह से बांध कर पेटू किचन में चला गया। वहां फ्रिज में मिठाई का डिब्बा दिखा। डिब्बे के बगल में सेब और केले रखे थे, जिन्हें देख कर पेटू के मुंह में पानी आ गया। भूख लगने लगी। पर समस्या यह थी कि यह सब वह खाए तो खाए कैसे? खैर, उसने जैसे-तैसे एक सेब उठा लिया। पर उसे खा न सका। सेब हाथ से फिसल कर नीचे लुढ़क गया। और दरवाजे पर जा लगा। खट से एक आवाज हुई। आवाज सुन तुरंत अकडू आ पहुंचा। उसने पहले सेब को देखा फिर पेटू को। फिर फर्श से सेब उठा कर पेटू को देने लगा। तभी उसे कुछ ध्यान आया, सो बोला- 'पागल, हाथ में सेब लेगा तो खाएगा कैसे? ले, मेरे हाथ से खा।'

पेटू ने सेब को दांतों से काटा और खाने लगा। खाते-खाते उसका मुंह थोड़ी देर के लिए रुका। अपनी आंखें फैलाते हुए- 'भाई, एक मिनट' कह कर वह फ्रिज की ओर लपका। फ्रिज से उसने एक और सेब निकाल कर अकडू की ओर किया और प्यार से बोला- 'भाई, तुम भी खाओ न!'

अब दोनों खा रहे थे। पहले सेब खाए। उसके बाद केलों का नंबर लगाया। फिर मिठाई पर हाथ फेरा। जब पेट भर गया, तब दोनों ने एक-दूसरे को पानी पिलाया। फिर कुछ उछलते हुए अकडू बोला- 'प्रमोद! हम यों ही बुद्धू बन रहे थे। रुक, देख। मैं तेरे हाथ खोल सकता हूं। रुक, सीधे हाथ रख।'

'अरे हां, भाई! यह तो हमनें जाना ही नहीं। तुम मेरे हाथ खोल दो। मैं तुम्हारे हाथ खोलता हूं। भाई, आज मुझे पता चला कि मेल-मिलाप से कितने फायदे हैं। मिल कर रहने से बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। भाई, मुझे माफ कर देना। नाहक ही मैं तुमसे लड़ता रहा।'

'अच्छा, अच्छा, अब जरा चुपचाप खड़ा रह। वैसे देखा जाए तो कुछ गलती मेरी भी थी, प्रमोद। खैर।' कहते हुए अकडू ने पेटू के हाथ खोल दिए थे। बाद में पेटू ने भी उसके हाथ खोल दिए। अब वे पूरे आजाद थे। उछल-कूद कर सकते थे। लेकिन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि अपना-अपना होमवर्क करना उचित समझा। सचमुच दोनों पढ़ने बैठ गए थे।

रात के ग्यारह बजे अकडू-पेटू के माता-पिता लौट कर आए। घर का दरवाजा खोल कर जैसे ही भीतर कमरे में वे आए तो उन्हें यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अकडू और पेटू पलंग पर मस्त पड़े थे। दोनों के हाथ एक-दूसरे की छाती पर रखे हुए थे और उनकी पुस्तक-कॉपियां दूसरी तरफ बिखरी पड़ी थीं। तो धागा-खप्पचियां पलंग के नीचे थे। साथ ही केलों के छिलके थे। यह दृश्य देख कर उनके पिता मुस्करा दिए। मुस्कराते हुए ही बोले- 'देखा, भाग्यवान! बंधे हाथों का कमाल। कैसे खा-पीकर पड़े हैं दोनों। मानो कभी झगड़े ही न हों।' ❑

कविता ● सुनील भट्ट

दादाजी के खेत में

दादा जी के खेत में, लंबी सी इक बेल
लंबी सी इक बेल पतली सी इक बेल
पतली-लंबी बेल, छत तक पहुंची बेल
छत तक पहुंची बेल, पहुंच के फैली बेल।

बेल पे लटके कद्दू, छत पर फैले कद्दू
छत पर फैले कद्दू, कितने सारे कद्दू
दर्जन-भर ये कद्दू, पीले रंग के कद्दू
पीले रंग के कद्दू, गोल-मटोल से कद्दू।

गोल-मटोल से कद्दू देख, आई गिलहरी छोटी
आई गिलहरी छोटी, कद्दू खाने बैठी
दस दिनों तक कद्दू खाए, खाकर हो गई मोटी
खाकर हो गई मोटी, अब तक थी जो छोटी
अब तक थी जो छोटी, हुई गिलहरी मोटी। ❑

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

बिखरना / बिफरना

जब कोई चीज तितर-बितर हो जाती है, तो उसे बिखरना कहते हैं। बिखरना यानी छितरा जाना। जबकि बिफरना का अर्थ होता है नाराज होना, बगावत कर देना, बागी हो जाना, गुस्से में आना।

विकल / विफल

जिसके मन में शांति न हो, व्याकुल, बेचैन, अधीर व्यक्ति को विकल कहते हैं। टूट-फूट, खंडित, अपूर्ण अधूरा के लिए भी विकल शब्द का प्रयोग होता है। जबकि विफल का अर्थ है सफल न होना। सफल का विलोम शब्द है विफल।